लोव -सभा
वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड ८, १९६२/१८८४ (शक)

[३ से ७ सितम्बर १९६२/१२ से १६ भाद्र, १८८४ (शक)]

Chamber Fumigated 18/X/73

3rd Lok Sabha

Preservation Unit 14-5-97
Fumigated 08.12.83
Parliament Library

दूसरा सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ८ में अंक २१ से २५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

लोक-सभा

मंगलवार, ४ सितम्बर, १९६२
१३ भाद्र, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

†**अध्यक्ष महोदय** : सचिव उस सदस्य का नाम पुकारें जो संविधान के अधीन शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करने आये हैं ।

†**सचिव** : श्री एन० जी० रंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संसद्-कार्य मन्त्री सदन को सदस्य का परिचय दें ।

†**संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा)**: श्रीमन्, मुझे आपसे तथा आपके द्वारा से इस सभा से श्री एन० जी० रंगा का, जो आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर निर्वाचन-क्षेत्र से, श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार के स्थान के रिक्त होने के फलस्वरूप, लोक-सभा के लिये निर्वाचित हुए हैं, परिचय कराने में बड़ी प्रसन्नता है ।

श्री रंगा...चित्तूर ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

चाय बागानों का विस्तार

†*७६७. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार चाय बागानों का विस्तार करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह विस्तार किन शर्तों पर करने दिया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

809(Ai)LSD—1

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

सरकार ने कभी चाय बागानों की स्थापना और/अथवा विस्तार पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है । चाय उद्योग के लिये तृतीय योजना-काल के अन्त में ९० करोड़ टन पौंड चाय के उत्पादन लक्ष्य पूरा करने के लिये चाय बागान नियमों, जिनमें चाय की खेती के विस्तार के लिये अनुमति देने की व्यवस्था है, को ढीला कर दिया गया है ताकि चाय के उत्पादन में वृद्धि की जा सके । नियमों के अधीन वर्तमान उपबन्धों और प्रस्तावित संशोधन निम्न प्रकार हैं :

प्रत्येक पंचवर्षीय अवधि में आरम्भ में एकड़ बागान की अनुमति	विस्तार की वर्तमान अधिकतम सीमा	विस्तार की प्रस्तावित अधिकतम सीमा
१० हैक्टर तक	क्षेत्र का ४० प्रतिशत	१० हैक्टर
१० से अधिक परन्तु ६० हैक्टर से अधिक नहीं	क्षेत्र का ४० प्रतिशत	१०० प्रतिशत
६० से अधिक परन्तु २०० हैक्टर से अधिक नहीं	१२० हैक्टर तक २५ प्रतिशत १२० से अधिक परन्तु २०० हैक्टर से अधिक नहीं तक १५ प्रतिशत	६० हैक्टर
२०० हैक्टर से अधिक	१५ प्रतिशत	अनुमति का ३० प्रतिशत

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या सरकार वर्तमान बागानों के लिये, जहां भूमि उपलब्ध है, एक अनिवार्य विस्तार योजना लागू करने पर विचार कर रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अनिवार्य विस्तार आवश्यक नहीं है । परन्तु ऐच्छिक रूप से हमने प्रत्येक बागान को सिद्धान्त के अनुसार विस्तार की अनुमति दी है । यदि कोई बागान इससे अधिक विस्तार करना चाहता है, तो हम उस मामले पर विचार करेंगे ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या बागान ऋण को अन्तिम रूप दे दिया गया है और यदि हां, तो बागान मालिकों ने क्या उत्तर दिया है और यह ऋण किन शर्तों पर दिया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : बागान ऋण योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है परन्तु माननीय सदस्य को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि पिछले कुछ महीनों में चाय उद्योग के लिये फिर बाग लगाने के लिये ऋण, विस्तार ऋण और क्रयावक्रय योजनाओं के अधीन ४ करोड़ रुपये से अधिक दिये गये हैं ?

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : नये बाग लगाने के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : रुपया विशिष्ट रूप से नहीं दिया गया है क्योंकि वास्तव में विस्तार का अर्थ नये बाग लगाना अथवा फिर से बाग लगाना है । दोनों कार्य साथ साथ चलते हैं और दोनों में कोई वर्गीकरण नहीं किया जाता है ।

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि छोटे अलाभप्रद बाग भी हैं ,जन्हें भूमि की कमी के कारण नुकसान हो रहा है; यदि हां, तो क्या सरकार राज्य सरकार से यह देखने को कहेगी कि अलाभप्रद बागान बेकार भूमि में, जहां वे हैं, बनाये जायें ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यदि माननीय सदस्य भूमि के टुकड़ों को एक बनाने की बात कह रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि वह इरादा नहीं है। जहां पर जो भी कृषि भूमि है उससे भली प्रकार लाभ उठाया जा सकता है। जो कुछ प्रयत्न हम कर रहे हैं वह यह है जहां बागान छोटे हैं, ऋण सहायता के लिये उन्हें अधिक लाभप्रद शर्तें दी जा रही हैं।

†**श्री अब्दुल गनी गोनी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हाल में जम्मू तथा काश्मीर में पुनः बाग लगाने की सम्भावना का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है; यदि हां, तो उस सर्वेक्षण दल ने क्या सिफारिशें की हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : उन्होंने अपने 'आर्थिक सर्वेक्षण' में अपनी सिफारिशें दी हैं। सभी सर्वेक्षणों की तरह, यह बड़ी व्यापक है। परन्तु यदि काश्मीर में चाय के विस्तार के इच्छुक बागान मालिकों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हों, तो हम उन्हें विशेष प्राथमिकता देंगे।

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या सरकार ने उन क्षेत्रों का, जहां विस्तार की सम्भावना है, कोई सर्वेक्षण किया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कोई सर्वेक्षण आवश्यक नहीं है क्योंकि बागान मालिकों को इसका पता है। बागान आयोग ने एक रिपोर्ट दी है। मांग धीरे धीरे आ रही है। हर समय विस्तार करने की अपेक्षा प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि करने का प्रश्न अधिक आवश्यक है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्योंकि चाय बागान मालिक अक्सर शिकायत करते हैं कि उत्पादन लागत की तुलना विश्व मन्डी में हानिकारक होती है, क्या सरकार उनको ऐच्छिक विस्तार की अनुमति देने से पूर्व उन्हें कोई परामर्श देगी अथवा कोई सिफारिश करेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस मामले पर बड़ी ध्यानपूर्वक विचार किया गया है और बागान मालिकों और चाय बोर्ड को काफी मात्रा में संश्लिष्ट उर्वरकों का उपयोग करने की अनुमति दी गयी है। वास्तव में इस वर्ष उनकी सारी मांग पूरी की गयी है। अब वे कृत्रिम सिंचाई भी कर रहे हैं जिसके लिये ३ करोड़ से ४ करोड़ रुपये तक की और धनराशि के बारे में विचार किया जा रहा है।

†**श्री प० कुन्हन** : क्या केरल सरकार ने केरल में चाय बागानों के विस्तार के लिये केन्द्रीय सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : राज्य सरकार इस बीच में नहीं आती। केरल बागान मालिकों का प्रतिनिधान है और वे योजनाओं—उपासी और केरल बागान मालिकों—का लाभ उठाते हैं।

गन्डक नदी पर बन्ध

†*७६८. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से नेपाल सरकार से प्रस्ताव किया था कि गन्डक नदी की बाढ़ से गोरखपुर जिले के एक बड़े हिस्से को जलमग्न होने से बचाने के लिये वह (नेपाल सरकार) उत्तर प्रदेश राज्य को एक बन्ध बनाने की अनुमति दे दे; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के बारे में नेपाल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी हां । नेपाल बांध नाम का आठ मील लम्बा बांध का प्रस्ताव १९५४ में बनाया गया था । अब यह योजना गण्डक परियोजना का अंग है । नेपाल सरकार से इस वर्ष अप्रैल में इस बांध को बनाने के लिये अनुमति मांगी गई थी ।

(ख) नेपाल सरकार ने सामान्यतया प्रस्ताव का स्वागत किया और बांध क्षेत्र का विस्तार-पूर्वक सर्वेक्षण करने की अनुमति दे दी । उन्होंने जिला अधिकारियों को हिदायतें कर दी हैं कि भारत सर्वेक्षण दल को उनके काम के सम्बन्ध में जिस प्रकार की जितनी सहायता की आवश्यकता हो पड़े, वे उनको दें ।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : काम कब आरम्भ किया जायेगा ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : कार्य वर्तमान बाढ़ के मौसम के बाद आरम्भ किया जायेगा ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : यदि यह बांध गण्डक परियोजना का अंग बन गया है, तो नवीन अनुज्ञा मांगने और नवीन सर्वेक्षण करने की आवश्यकता क्या है, विशेषकर जब गण्डक योजना का स्वितारपूर्वक सर्वेक्षण किया जा चुका है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह विशेष बांध हमारे राज्य-क्षेत्र का अंग नहीं । यह नेपाल के राज्य-क्षेत्र में है । इसलिये हमें नेपाल सरकार की नवीन अनुज्ञा प्राप्त करनी है । इसके लिये नेपाल सरकार से भूमि लेने की भी आवश्यकता है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, गंडक बांध के निर्माण में पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के दो इंजीनियरों को नेपाल में गिरफ्तार कर लिया गया था । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अब स्थिति में सुधार हुआ है और क्या ऐसी कोई अड़चन आने की आशंका नहीं है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : माननीय सदस्य की बात बिल्कुल सही नहीं है । उन को गिरफ्तार नहीं किया गया । उन्हें अन्दर जाने से रोका गया, क्योंकि उनके पास शनाख्त के समुचित कागज़ नहीं थे ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : सरकार ने बताया है कि नेपाल सरकार ने बांध बनाने की अनुज्ञा दे दी है । क्या यह अनुज्ञा बाढ़ों के आने से बहुत पहले दी गई थी या बाढ़ों के आने के बाद ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : समूचा मामला विशेषज्ञ समिति के सामने रखा गया था जिस की बैठक इस वर्ष ९ और १० अप्रैल को हुई थी । अब समुचित सर्वेक्षण किया जायेगा और सिफारिश के अनुसार काम आरम्भ किया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अनुज्ञा कब दी गई थी ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : अभी हाल ही में, भारत में वहां के सम्राट् के आने के बाद ।

श्री विश्राम प्रसाद : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बांध को बनाने में कितने दिन लगेंगे और कब तक ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में आ रही बाढ़ को रोका जा सकेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं बता चुकी हूं कि काम वर्तमान बाढ़ की मौसम के बाद आरम्भ किया जायेगा ।

पश्चिम एशिया के देशों के साथ व्यापार

+

†*७७०. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री राम रतन गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम एशिया के देशों के साथ व्यापार बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यरपार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). पश्चिम एशिया के साथ व्यापार के विस्तार के सम्बन्ध में लगातार पुनर्विचार किया जाना है और वे सभी उपाय किये जा रहे हैं, जिन से इन सब देशों के साथ व्यापार बढ़ेगा, जिन में इन में से प्रत्येक देश के साथ किये गये व्यापार समझौते/करार शामिल हैं ।

जो कार्रवाई या तो की जा चुकी है या की जाने वाली हैं, जिन से निर्यात बढ़ाया जा सके, उन में से कुछ उपायों को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

निर्यात बढ़ाने के उपाय :

(१) व्यापार करारों/समझौतों पर लगातार पुनर्विचार ।

(२) भारतीय माल को लोकप्रिय करने के लिये शो रूम, प्रदर्शनी और मेले, चाय स्थान और गाड़ियां ।

(३) अपने व्यापार प्रतिनिधि मण्डलों को विदेश भेजना या विदेशी व्यापार प्रतिनिधि मंडलों को भारत बुलाना ।

(४) निर्यात माल के लिये कच्चे माल के लिये विदेशी मुद्रा नियतन में अग्रता ।

(५) निर्यात संवर्धन योजनाओं का सरलीकरण एवं उदारीकरण जिसके द्वारा कच्चे माल, पुर्जों और मशीनरी के लिये आयात लाइसेंस देना ।

(६) बहुतेरे निर्यात गृहों और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारी फर्मों की स्थापना को बढ़ावा देना ।

(७) राजकीय व्यापार निगम तथा निर्यात संवर्धन परिषदों का कार्य-क्षेत्र बढ़ाना ।

(८) प्रमुख निर्यात उद्योगों तथा निर्यात वस्तुओं के लागत के ढांचे में कमी करने के उपायों का विचार ।

(९) प्रत्येक निर्यात संवर्धन योजना में पूंजी माल और उपकरण के आयात का हक शामिल करने के द्वारा उद्योगों का आधुनिकीकरण ।

(१०) निर्यात किये गये माल पर दिये गये सीमा शुल्क तथा उपादन शुल्क का वापिस दिया जाना ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(११) पिछले बजट में घोषित निर्यातकों को आयकर में कमी ।

(१२) बाजार सर्वेक्षण तथा उत्पाद प्रदर्शनी आदि कार्यों का बढ़ाया जाना ।

(१३) निर्यात के लिये निर्णय करने के हेतु देशी कच्चे माल की सरलतापूर्वक प्राप्ति

(१०) निर्यातकों के लिये उदारीकृत तथा विस्तारित वित्तीय एवं ऋण सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है । निर्यात जोखिम बीमा निगम अधिकाधिक उदार सुविधाएं प्रदान कर रहा है । निर्यात के लिये ऋण को अधिक सस्ता करने के लिये अग्रेतर उपायों का विचार किया जा रहा है ।

(१५) गुण प्रकार नियंत्रण, वर्गीकरण और जहाज पर लादने से पूर्व निरीक्षण की सक्रिय प्रणाली की रचना । एक गुण प्रकार नियंत्रण एवं जांच सलाहकार परिषद् स्थापित की जा चुकी है ।

(१६) निर्यात वाले माल पर रेलवे और समुद्री भाड़ा दरों में रियायत और माल उठाने में अग्रता । रेलवे द्वारा निर्यात के लिये संवहन की अग्रता दी जा चुकी है और वैगनों पर "निर्यात के लिये" चिह्न लगाया जायेगा, जिनके संवहन में अग्रना दी जायेगी ।

(१७) प्रोत्साहन, निदेशक, संवहन निदेशक तथा गुण प्रकार नियंत्रण निदेशक पूर्णकालिक अधिकारियों के तौर पर नियुक्त किये जा चुके हैं । निर्यात संवर्धन हक की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है । उत्पादन निदेशक भी नियुक्त किया जा रहा है जिसके अधीन महत्वपूर्ण निर्यात वस्तुओं के उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रमों की प्रगति की लगातार देखभाल करने के सामग्री अधिकारी होंगे ।

(१८) सभी निर्यात संवर्धन योजनाओं को स्थायी आधार पर रखा गया है ।

(१९) निर्यात गृहों की योजना को सरल कर दिया गया है ।

(२०) छोटे उद्योगों "ई० ए० एस० आई०" को निर्यात सम्बन्धी सहायता दी जा रही है ताकि छोटे एकांशों को निर्यात में योगदान देने में सहायता मिल सके ।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सच है कि इंडोनेशिया इस तरह की धमकियां दे रहा है कि वह भारत के साथ व्यापार-सम्बन्ध तोड़ लेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : माननीय सदस्य कुछ देर तक प्रतीक्षा करें ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्य इस आशय के अखबारी समाचारों में कोई सत्य है कि जोर्डन ने हाल ही में पिछले जून या जुलाई में एक आंदोलन प्रारम्भ किया है कि एक अरब साझा बाजार स्थापित किया जाये, और यदि हां, तो उस आंदोलन की पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के व्यापार पर क्या प्रतिक्रिया होगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : ये विभिन्न देशों के विविध प्रकार के प्रस्ताव हैं, केवल अकेले जोर्डन के ही नहीं । ये अस्पष्ट विचार हैं । कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और न ही संकल्प पारित किये गये हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : ये अस्पष्ट भले ही हों, किन्तु क्या समाचार सत्य हैं या नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह काल्पनिक प्रश्न है कि जब वे संगठित हो जायेंगे तो उन का पश्चिम एशिया के देशों में हमारे व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : हम ने पश्चिम एशिया के किन किन देशों के साथ व्यापार समझौते कर रखे हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : उन में से अधिकांश के साथ—इराक, ईरान, जोर्डन और अफगानिस्तान के साथ ।

†**श्री दाजी** : क्या इस दिशा में पग बढ़ाने के लिये काहिरा सम्मेलन में कोई कार्रवाई की गई थी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हम ने ठीक यही एक काम किया है ।हम अनुभव करते हैं कि पशिया की खाड़ी के देशों में हमारे निर्यात व्यापार के बढ़ाने की संभाव्यता बहुत है । हम भारतीय निर्यातकों के द्वारा उस क्षेत्र में अधिक दफ्तर खुलवाने का प्रयत्न कर रहे हैं और विवरण में जो विविध उपाय बताये गये हैं, हम उन को भी कर रहे हैं ।

†**श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा** : पश्चिम एशिया के देशों के साथ हमारे आयात एवं निर्यात व्यापार में क्या अनुपात है ? क्या यह ५० : ५० है या कुछ कम या कुछ अधिक ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अनुपात का हिसाब लगाया जा सकता है । कुछ आयातों और निर्यातों पर लगभग १०० करोड़ से १०५ करोड़ रुपये की राशि लगी हुई है ?

†**श्री अब्दुल वहीद** : क्या महत्वपूर्ण पश्चिम एशियाई देशों में राजकीय व्यापार निगम के दफ्तर खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री मनुभाई शाह**: राजकीय व्यापार निगम के नहीं, क्योंकि इन क्षेत्रों में उस माल का अधिकांश नहीं खपता, जिस के व्यापार में राजकीय व्यापार निगम का सम्बन्ध है । किन्तु हम अवश्यमेव खोलना चाहते हैं और हम ने इन क्षेत्रों में कुछ चाय केन्द्र तथा व्यापार केन्द्र और दस्तकारी केन्द्र खोले हैं ।

†**डा० म० मो० अणे** : पश्चिम देशों के साथ हुए व्यापार करारों के स्वरूप से भिन्न एशियाई देशों के साथ किये गये व्यापार करारों का सामान्य स्वरूप क्या है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : स्वरूप ऐसा है जिसे स्थान सम्बन्धी आधार कहा जाता है । अर्थात उन देशों के सम्बन्ध में जहां खनिज तेल पैदा होता है, जिस की हमें अपने तेल शोधन कारखानों के लिये आवश्यकता है—अशोधित खनिज तेल जैसे पेट्रोलियम—इन का उन देशों से भारत में काफी आयात किया जाता है । कुछ देश कई प्रकार के फल जैसे खजूर आदि पैदा करते हैं, जिन्हें हम ऐतिहासिक कारणों से, छोटी मात्राओं में मंगवाना पड़ता है । हम कपड़ा, कुछ पटसन की चीजें, कुछ चाय और बहुत सी दूसरी उपभोक्ता वस्तुओं का निर्यात करते हैं । अब हम पूंजी माल का निर्यात आरम्भ करना चाहते हैं ।

बिहार में छोटे पैमाने के उद्योग

†**७७१. श्री योगेन्द्र झा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६१-६२ के वित्तीय वर्ष में भारत सरकार ने बिहार सरकार को छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये २० लाख रुपये का आवंटन किया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उक्त रकम पूर्णतः खर्च कर दी गई थी ; और

(ग) १९६२ से १९६५ की अवधि में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार सरकार की कितनी रकम दिये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से(ग). मांगी गई जानकारी देने वाला एक विवचण सभा की मेज़ पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) भारत सरकार ने १९६१-६२ के वित्तीय वर्ष में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये बिहार सरकार को अस्थायी रूप से ६०.७५ लाख रु० (२४.८२ लाख रु० अनुदान तथा ३५.९३ लाख रु० ऋण के रूप में) की राशि मंजर की थी ।

(ख) बिहार की सरकार ने बताया है कि वर्ष १९६१-६२ में छोटे पैमाने के उद्योगों पर लगभग ५३.०८ लाख रु० खर्च हुआ ।

(ग) राज्य सरकारों को छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये वार्षिक आधार पर राशि आवंटित की जाती है । ये आवंटन राज्यों के वार्षिक कार्यक्रम, उन्हें पिछले वर्ष दी गई सहायता, कुल पूंजी व्यय, केन्द्र के पास उपलब्ध साधन, राज्य सरकारों ने पहले कैसा काम किया आदि विभिन्न बातों को ध्यान में रख कर किये जाते हैं । इस समय यह बता सकना संभव नहीं है कि १९६२-६३ से १९६५-६६ की अवधि में बिहार की सरकार के लिये कितनी रकम आवंटित की जायगी ।

श्री योगेन्द्र झा : आगे के लिये जो एलाटमेंट बिहार सरकार को किया गया है लघु उद्योगों के लिये, क्या उस के लिये बिहार सरकार ने पहले से कोई योजना बना ली है और इस की जानकारी भारत सरकार को है ?

श्री कानूनगो : अभी तो जो काम चल रहा है वह १९६१-६२ का काम चल रहा है । आप ने १९६५-६६ की जो चीज़ है और इस के पहले की जो चीज़ है, उस के बारे में पूछा है । इस का जवाब यह है कि हर साल प्लानिंग कमिशन और मिनिस्ट्री आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री की आपस में डिसकशन होती है और उस में जो प्लान निकलता है, उसी के आधार पर एलोकेशन होता है ।

श्री योगेन्द्र झा : मैं ने यह नहीं पूछा था । मैं ने पूछा था कि

अध्यक्ष महोदय : आप ने यह पूछा था कि जो आप ग्रांट देने वाले हैं उस के लिये बिहार गवर्नमेंट ने कोई प्लान बना लिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट को इत्तिला दे दी है । उन्हों ने जवाब दिया है कि हर साल जब वह बनता है तो उस गवर्नमेंट के नुमाइंदे यहां पर प्लानिंग कमिशन से सलाह कर के उस को तैयार करते हैं ।

†**श्री विश्राम प्रसाद** : क्या उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों से निर्धनता को मिटाने के लिये वहां के लिये कोई ऐसी ही योजना है ?*

†**अध्यक्ष महोदय** : यह संगत प्रश्न नहीं है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या इस बात का अनुमान लगाया गया है कि ५३ लाख रुपये का यह व्यय इस क्षेत्र में उत्पादन की तुलना में कहां तक ठीक है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री कानूनगो** : जी, हां । उत्पादन के आंकड़े राज्य सरकार से प्राप्त किये जाते हैं और उत्पादन के आंकड़े बढ़ रहे हैं । किसी विशिष्ट वर्ष में किसी विशिष्ट विनियोजन का संबंध दिखाना सरल नहीं है । पुराने विनियोजनों और पुराने बकायों के संचित प्रस्ताव को ध्यान में रखा जाता है । इसलिये किसी उत्पादन संबंधी किसी विनियोजन का संबंध जोड़ना ठीक नहीं होगा ।

श्री विभूति मिश्र : जितनी रकम बिहार सरकार को स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिये दी जाती है, उस के बावजूद भी प्रधान मंत्री जी ने बराबर यह कहा है कि बिहार में बहुत ज्यादा गरीबी है । क्या सरकार यह सोचती है कि इस एमाउंट को बढ़ाया जाय ?

†**श्री कानूनगो** : साधनों की उपलब्धि के अनुसार हमेशा प्रयत्न यह किया जाता है कि उतनी राशि का प्रबन्ध किया जाय जिस पर ज्य सरकार द्वारा प्रभावी रूप से खर्च की जा सकती है । इन मामलों पर योजना आयोग द्वारा चर्चा की जाती है ।

दंडकारण्य

†७७२. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ६५० से अधिक विस्थापितों ने जो मनीपुर गये थे और जिन्हें आज तक न तो मकान के लिये जमीन और न खेतीयोग्य जमीन मिली है, दंडकारण्य जाने के लिये आवेदन किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि उन्हें दंडकारण्य ले जाने से इन्कार कर दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्यों ; और

(घ) उन का पुनर्वास अन्य किस प्रकार से किया जा सकता है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) से (घ). ये अप्रायोजित विस्थापित व्यक्ति हैं जिन में से अधिकांश बहुत वर्ष पहले मनीपुर चले गये थे । वे इतने वर्षों से सरकारी सहायता के बिना अपना जीवन निर्वाह करते रहे हैं और इतने वर्ष बीतने के बाद उन्हें पुनर्वास लाभ नहीं दिये जा सकते ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह तथ्य नहीं है कि ये शरणार्थी मनीपुर में ही इस विभाग के बन्द किये जाने से बहुत पहले से इन लाभों के लिये प्रार्थना करते रहे हैं और विभाग के बन्द होते समय भी उन्हों ने सरकार से बहुत प्रार्थना की थी । अब उन को शरणार्थी होने से क्यों पृथक् किया जा रहा है जो अवशिष्ट समस्या के अन्तर्गत हैं ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : मनीपुर में लगभग २००० विस्थापित व्यक्ति आये । मैं स्वयं वहां गया था और मैं ने तत्स्थान पर समस्या को जांचा । इन परिवारों का पुनर्वास, मेरे मतानुसार, समुचित रूप से और पूर्णतया हो चुका है । यह विभाग मनीपुर में लगभग १९५७ में बन्द कर दिया गया था, अर्थात् पांच वर्ष पूर्व और हम किसी अप्रायोजित परिवार की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो पुनर्वास कार्य के लिये पहले या बाद में आया हो ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : ये अप्रायोजित परिवार नहीं हैं । मैं 'अप्रायोजित' का अर्थ नहीं समझ सकी । किन्तु चूंकि वे शरणार्थी हैं और उन्हों ने पुनर्वास संबंधी सुविधाओं की मांग की है और

†मूल अंग्रेजी में

क्योंकि आज भी उन को एक इंच पर भी मकान या स्थान नहीं मिला, तो यदि उन को मनीपुर में स्थान नहीं दिया जा सकता तो उन को दंडकारण्य क्यों नहीं ले जाया जाता ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : अप्रायोजित परिवार वे हैं जो प्रव्रजन के उद्देश्य के लिये प्रायोजित नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने किसी पुनर्वास लाभ के लिये प्रार्थना नहीं की। अब पूछा गया प्रश्न उन के मनीपुर में बसाये जाने के बारे में नहीं, किन्तु यह पूछा गया है कि क्या उन परिवारों को पुनर्वास के लिये दंडकारण्य भेजा जा सकता है। इस कारण से मेरा उत्तर नकारात्मक है कि हम ने दण्डकारण्य केवल उन विस्थापित लोगों के लिये खोला है जो पश्चिम बंगाल के शिविरों में हैं।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सच है कि कुछ पोलिटिकल पार्टीज़ ऐसी हैं जो चाहती हैं कि ये डिसप्लेस्ड परसंज़ दंडकारण्य न जायें और वहीं डटे रहें ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : अगर आप 'हां' कहेंगे तो मैं भी हां कह दूंगा लेकिन आप की आपस में नाराज़गी हो जायगी।

†**श्री हृ० प० चटर्जी** : क्या यह सत्य है कि इन शरणार्थियों ने बार बार मकान और खेती के लिये भूमि मांगी है, किन्तु उनको ये नहीं दी गई ? अब सरकार कैसे कहती है कि उनको दण्डकारण्य में नहीं बसाया जाएगा ? मुझे मालूम है कि उन्होंने प्रार्थना की थी किन्तु उनको पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यहां यह कहा जा सकता है कि माननीय मंत्री का वक्तव्य गलत है? यदि वह मुझे कोई सबूत दिखा सकें, तो मैं माननीय मंत्री से पूछूंगा कि उन्होंने क्यों ऐसा वक्तव्य दिया। किन्तु जब माननीय मंत्री यहां वक्तव्य देते है तो हमें उसे स्वीकार करना पड़ता है।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या दंडकारण्य में अग्रेतर अधिग्रहण की कोई गुंजाइश है और यदि है तो वहां कितने और शरणार्थी बसाये जा सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : आज हम दंडकारण्य की चर्चा नहीं कर रहे।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या सरकार ६५० शरणार्थियों में से किसी को पुनर्वास लाभ प्रदान करने का विचार करती है, जो वास्तविक शरणार्थी सिद्ध हुए हैं, जो यहां आए हैं और सभी नियमों को पूरा करते हैं जो उनको लाभ प्राप्त करने के लिये अर्ह बनाते हैं ? हमें इस बात से झगड़ा नहीं, चाहे वे मनीपुर में या दंडकारण्य में या अन्य कहीं दिए जाएं।

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : पुनर्वास सतत कार्य नहीं रखा जा सकता। ये लोग पिछले पन्द्रह वर्षों से मनीपुर में हैं और अपनी व्यवस्था स्वयं कर सके हैं। हम उन पन्द्रह वर्षों को बदल कर उनको पुनर्वास लाभ नहीं दे सकते।

आयात और निर्यात नीति

+

†*७७३. { **श्री अजित प्रसाद जैन** :
श्री धवन : }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयात-निर्यात नीति समिति की इन सिफारिशों के सम्बन्ध में कि सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिये, अर्थात् प्रतिरक्षा उद्योगों और दूसरे उद्योगों के लिये एकीकृत आयात

†मूल अंग्रेज़ी में

निर्यात-नीति निर्धारित करने के लिये एक उच्चशक्ति-प्राप्त समिति नियुक्त की जाये, कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जी हां। सचिवों की आर्थिक समिति ने देश की आयात तथा निर्यात सम्बन्धी समस्याओं के लिये समेकित ढंग से हल करने के लिये नीति सम्बन्धी इन सब मामलों पर विचार करती है।

किसी और समिति का इरादा नहीं है। प्रतिरक्षा उद्योगों की देख भाल मंत्रिमंडल की प्रतिरक्षा समिति द्वारा पृथक रूप से की जाती है। प्रतिरक्षा उद्योगों समेत देशों के आयात और निर्यात की समूची स्थिति पर इन दोनों समितियों द्वारा विचार किया जाता है।

†**श्री अ० प्र० जैन** : क्या इस समय तदर्थ या अन्यथा कोई ऐसा यंत्र है जो प्रतिरक्षा उद्योगों और अन्य उद्योगों के निर्यात का समन्वय करता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : निर्यात के लिये प्रतिरक्षा उद्योगों का योगदान बहुत अधिक नहीं है। हमने कोई तदर्थ समितियां नहीं बनाई, किन्तु हम बहुधा बैठके करते रहे हैं। पिछले सप्ताह ही प्रतिरक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक यह विचार करने के लिये हुई थी कि वे कितना अधिक योगदान कर सकते हैं।

†**श्री अ० प्र० जैन** : सचिवों की समिति द्वारा इस प्रस्ताव के रद्द किये जाने के क्या प्रमुख कारण थे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : नहीं। प्रस्ताव एक प्रकार से यह था कि रामस्वामी मुदालियर समिति ने यह सोचा कि संभवतः कोई अधिक शक्ति सम्पन्न समिति इस काम को बेहतर कर सकती है। यथार्थ कार्य संचालन में हम देखते हैं कि सचिवों की आर्थिक समिति, जिसका अर्थ व्यवस्था के सब पहलुओं के साथ अधिक सम्बन्ध है और मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति जो प्रायः सभी पहलूओं के साथ सम्बन्धित है, उनको अधिक ज्ञान है और अधिक सुविधा है तथा निर्यात आयात समेत समूची अर्थ व्यवस्था सम्बन्धी समस्याओं से अधिक सम्बन्ध रखती है, अतः किसी नवीन समिति की स्थापना करने का इरादा नहीं है।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : यदि मुदालियर समिति को यह रिपोर्ट देने के लिये कहा था कि आर्थिक उप समिति में आर्थिक मामलों पर किस प्रकार से विचार किया जाता है अथवा इसे रिपोर्ट देने के लिये कोई पृथक विषय दिया गया था ?

†**श्री मनुभाई शाह** : समिति के निर्देश निबंधन देश को भली प्रकार मालूम है। सरकार का संकल्प एवं रिपोर्ट---दोनों सभा पटल पर रखे गये थे। यह विशिष्ट कार्य के लिये एक विशिष्ट समिति थी।

श्री म० ला० द्विवेदी : जैसा कि सरकार ने बार बार इस सदन में बतलाया है, सरकार की यह नीति रही है कि छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ाया जाये ताकि उत्पादन बढ़े। लेकिन निर्यात आधा करने के फलस्वरूप ऐसा मालूम होता है कि उत्पादन भी आधा हो जायेगा। क्या इस आर्थिक समिति ने इस बात पर विचार किया है और अपनी ही नीति को काटने का प्रयत्न क्यों किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मनुभाई शाह : ऐसी बात नहीं है । जैसी सिचुएशन आती है उसके अनुसार सब पर कटौती होती है, और ५० परसेंट कट सभी इंडस्ट्रीज पर लागू हो, ऐसी भी बात नहीं है । लेकिन जितना पैसा सरकार के पास है फारेन एक्सचेंज का, उसमें से सब इंडस्ट्रीज को प्रायरिटीज के हिसाब से दिया जाता है । मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि छोटे और लघु उद्योगों में जो रस सरकार और इस सदन को है, उसके अनुसार उसमें कम से कम कट किया जा रहा है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : आयात निर्यात स्थिरीकरण निधि की स्थापना के सम्बन्ध में समिति की सिफारिशें कब कार्यान्वित की जाएंगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : बहुत शीघ्र ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : नीति और इसकी क्रियान्विति दोनों पृथक बातें है । मुदालियर समिति ने समेकित नीति बनाने की सिफारिश की थी । क्या माननीय मंत्री का यह अभिप्राय है कि सचिवों की समिति भी नीति निर्धारित कर रही है और इसको कार्यान्वित भी कर रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : बात यह है कि कार्यान्वित करने के लिये विविध मंत्रालयों का सम्बन्ध है । विदेशी मुद्रा बजट और आवंटनों पर लगातार पुनर्विचार किया जाता रहा है । हमें यह नहीं मान लेना चाहिये कि मुदालियर समिति की प्रत्येक सिफारिश या मत इन मामलों में अन्तिम निर्णय होता है । यह एक सुझाव था । हमने इस पर अपना ध्यान दिया । हम देखते है कि एक पृथक उच्च शक्ति सम्पन्न समिति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों द्वारा इन समस्याओं के लिये समेकित रूप में हल करने का कोई विकल्प नहीं है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच नहीं है कि सचिवों की समिति तथा मंत्रियों की समिति पहले ही थी और क्या मुदालियर समिति ने इस समिति की विद्यमानता का विचार किया था और फिर भी दूसरी समिति की स्थापना की सिफारिश की थी, और यदि हां, तो उन्होंने किन बातों के आधार पर यह सिफारिश की है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : रिपोर्ट उपलब्ध है । उनको मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति के कार्य एवं भारत सरकार की प्रत्येक समिति के आन्तरिक कार्य तथा सब संचालन का पता नहीं होगा । स्वभावतः उन्होंने यह सोचा कि यह अच्छा सुझाव है कि दूसरी उच्च शक्ति सम्पन्न समिति कोई दूसरा हल निकाल सके । ऐसा बहुत सी अन्य समितियों में भी होता है । हमने इन सब बातों पर विचार किया है ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : मैं यह भी बता दूं कि मुदालियर समिति ने जिस प्रसंग में यह सिफारिश की है वह इस कारण की कि वे प्रतिरक्षा उद्योगों के उत्पादों के निर्माण के प्रश्न पर विचार नहीं कर सकते थे। रामस्वामी मुदालियर समिति ने अन्य उद्योगों के बारे में विचार किया । अतः उन्होंने कहा कि अन्य समिति प्रतिरक्षा उद्योगों के उत्पादों पर भी ध्यान दे सकेगी और यह देख सकेगी कि कौन से प्रतिरक्षा उत्पादों का निर्यात किया जा सकता है । अतः उसने उस प्रकार की एक नवीन समिति की स्थापना का सुझाव दिया, जिसकी हम अब चर्चा कर रहे है ।

†**श्री मुरारका** : माननीय मंत्री ने बताया है कि मुदालियर समिति की सिफारिशें किन परिस्थितियों में की गई थीं और उसने विशेष रूप से प्रतिरक्षा उद्योगों के लिये इस समिति की नियुक्ति का सुझाव दिया था । सरकार ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री क० च० रेड्डी** : सचिवों की समिति इस काम को करेगी, जिसका उल्लेख मेरे साथी ने किया है

काश्मीर

+

†*७७६. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री हेम बरुआ ।
श्री प्र० के० देव :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री बूटा सिंह :
श्री कजरोलकर :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुरक्षा परिषद में काश्मीर के प्रश्न पर विचार होने के बाद यदि पाकिस्तान ने और कोई कार्यवाही की है, तो वह क्या है ; और

(ख) क्या इस मामले में भारत सरकार ने कोई पहल की है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) सरकार को इस विषय में जानकारी नहीं ।

(ख) क्योंकि जम्मू व काश्मीर राज्य भारतीय राज्य क्षेत्र का अंग है सरकार को इस मामले में कोई पहल करने की आवश्यकता नहीं, केवल पाकिस्तानी आक्रमण को खाली करवाने के इलावा जिसके बारे में शान्तिपूर्ण उपायों के द्वारा काम करने की सरकार की नीति है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यह सूचना दी गई है किपाकिस्तान का राष्ट्रपति पुनः अमरीका जा रहा है ताकि उस समस्या पर पाकिस्तान के हितों को बढ़ा सके, और काश्मीर समस्या को हल करने के लिये कुछ अधिक सुपरसौनिक विमान प्राप्त कर सके । क्या इस बात की ओर ध्यान दिया गया है । और इसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : माननीय सदस्य मुझ से ऐसे प्रश्न पूछ रहे है जिन्हें पाकिस्तान सरकार से पूछना ठीक है । मैं कैसे उन का उत्तर दे सकता हूं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या प्रधान मन्त्री ने इस आशय के समाचारों पर ध्यान दिया है जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने इस के बारे में समाचारपत्रों में कुछ समाचार पढ़े हैं। हम इस के बारे में क्या करते हैं यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हमारा राजदूत वहां है, जो वहां पर वहां की सरकार तथा जनता को वह सब कुछ कहने का प्रयत्न कर रहा है जो हमें उनको कहना है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : माननीय उपमंत्री ने बताया है कि हम काश्मीर समस्या को केवल आक्रमण खाली करवाने तक उठाने का इरादा करते हैं। क्या इन दस वर्षों में हमारी

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकार ने इस विशिष्ट कार्य के लिये, अर्थात् आक्रमण को खाली करवाने के लिये, कोई पहल की है, या हमने केवल तभी यह मामला उठाया है, जब पाकिस्तान ने यह मामला उठाया है ?

†**श्री जवाहलाल नेहरू** : इन दस वर्षों में, यह मामला बारबार संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के सामने आया है और हमें जो कुछ कहना था, हमने वहां कहा है। मुझे पता नहीं कि आया माननीय सदस्य किसी सैनिक कार्रवाई का उल्लेख कर रहे हैं जो हम ने की हो। हमारी सामान्य नीति यह है कि कोई सैनिक कार्रवाई न करें अपितु इसे शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयत्न करें। निस्संदेह यदि वे कोई और आक्रमण करेंगे तो हमें सैनिक कार्रवाई करनी होगी।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अमरीका ने पाकिस्तान के साथ खूब वफादारी दिखाई है, जो सुरक्षा परिषद में काश्मीर स्थिति संबंधी चर्चा में प्रदर्शित की गई है, क्या उस से भारत–अमरीकी संबंधों में कोई अन्तर पड़ा है, जो पाकिस्तान अपेक्षा करता था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : नहीं, भारत-अमरीकी संबंधों में कोई अन्तर नहीं आया है, न कि किसी अन्तर का इरादा है।

†**श्री हेम बरुआ** : पाकिस्तान भेद डालना चाहता था। इसी कारण मैंने पूछा है कि क्या कोई अन्तर आया है जैसी कि पास्कतिान की आशा थी ?

†**श्री नरेन्द्र सिंह बहीड़ा** : क्या प्रधान मंत्री का ध्यान इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि ऐडमिरल निमिटड ने अमरीका में कहा है कि जब तक श्री जवाहर लाल नेहरू प्रधान मंत्री जीवित हैं, यह प्रश्न हल नहीं होगा।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : पाकिस्तान में उन्होंने ऐसा कहा है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ को भेजे गये लंका के प्रतिनिधि की रिपोर्ट में कुछ दिन पहले बताई गई बात की ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया है, जो स्पष्टतः मालूम हो गई थी, कि पाकिस्तान, सैंटो में पाकिस्तान के लगातार सदस्य बने रहने के मूल्य के तौर पर काश्मीर पर पाकिस्तान के कब्जे का समर्थन करने के हेतु पाकिस्तान द्वारा अमरीका को अनुरोध करने का एक नवीन अन्दोलन चला रहा है, और यदि इस बात की ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया गया है, तो क्या हमारी सरकार ने इस आधार पर अमरीकी सरकार या पाकिस्तान को इस बात का स्पष्टीकरण करने के लिये कहा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम ने तथाकथित रहस्योद्घाटन के संबंध में समाचार पत्रों में समाचार देखे हैं, जिनका माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे हैं। हमने इस विषय पर अमरीकी सरकार से कुछ कहना आवश्यक नहीं समझा।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह तथा नहीं है कि पाकिस्तान ने संविधान के अनुच्छेद ३७० के उपबंधों का अक्सर प्रचार के साधन के तौर पर दुरुपयोग किया है कि काश्मीर शेष भारतीय संघ से पृथक अस्तित्व है ? यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद ३७० का

---

†मल अंग्रेजी में

उत्सादन करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ताकि काश्मीर को शेष भारत के साथ अधिक पूर्णतया मिलाया जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्रवाई का सुझाव है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : सुरक्षा परिषद् में इस चर्चा के पश्चात् इंगलिस्तान स्थित हमारे उच्च आयुक्त द्वारा आयरलैंड की सरकार के साथ मुलाकात की गई तथा प्रधान मंत्री द्वारा अमरीका के राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया बताया जाता है। किन बातों को उठाया गया था, और राष्ट्रपति तथा आयरलैंड की सरकार की प्रतिक्रियाएं क्या थीं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इंगलिस्तान स्थित हमारा उच्च आयुक्त आयरलैंड की सरकार के लिये हमारा राजदूत भी है। निश्चय ही, माननीय सदस्य मुझ से यह अपेक्षा नहीं करते कि मैं उस सरकार के साथ, जहां वह भेजा गया है, हमारे राजदूत की गोपनीय बात को बताऊं। यह अवश्य अपेक्षा की जाती है कि उसने हमारी स्थिति का स्पष्टीकरण दिया है।

†**श्री त्यागी** : इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में काश्मीर प्रश्न की क्या स्थिति है, और यदि अन्तिम निर्णय को जल्दी करवाने के लिये सरकार कोई कार्रवाई कर रही है तो वह कार्रवाई क्या है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं माननीय सदस्य को ठीक से समझ नहीं पाया। हमारे अन्तिम निर्णय को जल्दी करने में क्या कार्रवाई की गई है का क्या अर्थ है ?

†**श्री त्यागी** : संयुक्त राष्ट्र संघ का अन्तिम निर्णय ; आखिर यह कब तक लंबित पड़ा रहेगा ? सरकार ने निर्णय में शीघ्रता लाने के लिये क्या किया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : पिछली बार यह सुरक्षा परिषद में गया जिसका परिणाम मा० सदस्य और सभा के मालूम है। तब से, हमारी जानकारी में, पाकिस्तान सरकार द्वारा पुनः इस को वहां ले जाने के लिये कोई कार्रवाई नहीं की गई ; और हम इस विशिष्ट मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने ले जाने का कोई इरादा नहीं रखते ।

†**श्री त्यागी** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला।

†**अध्यक्ष महोदय** : उत्तर दिया गया है कि पाकिस्तान ने प्रयत्न किया है और परिणाम मा० सदस्य को विदित है। हमारी सरकार इस मामले को उठाने में या कुछ करने में न उत्सुक है और न ही तैयार है।

†**श्री त्यागी** : क्या मैं यह समझूं कि हमारी सरकार इस मामले के शीघ्र निपटारे के लिये उत्सुक नहीं ? हमने मामला पेश किया है जो वहां उसके अन्तिम निर्णय के लिये पड़ा है। हम उसके शीघ्र निपटारे के लिये क्या कर रहे हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस का शीघ्र निपटारा कराने का प्रश्न नहीं है। यह बारबार वहां आया है। मा० सदस्य यह सुझाव देते प्रतीत होते हैं कि हमें इसको वहां लाने के लिये कुछ कार्रवाई करनी चाहिये। हम वहां यह करना नहीं चाहते।

---

†मूल अंग्रेजी में

संसद की कार्यवाही का हिन्दी में प्रसारण

*७७७. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद् की कार्यवाही का सारांश हिन्दी में आकाशवाणी द्वारा केवल हिन्दी-भाषी राज्यों में ही प्रसारित करने का निश्चय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो नया निश्चय किस आधार पर किया गया है ; और

(ग) यह निश्चय कब लागू किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामनाथ) : (क) और (ख) संसद् की कार्यवाही की समीक्षा हिन्दी में अगस्त, १९५९ और फ़रवरी, १९६१ के बीच के समय को छोड़ कर, १९५६ से प्रसारित की जा रही है, और यह हिन्दी क्षेत्र के आकाशवाणी के सभी केन्द्रों और अहिन्दी क्षेत्र के कुछ केन्द्रों द्वारा रिले की जाती है। इन प्रसारणों के बारे में कोई नया फैसला नहीं किया गया है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि संसद् समीक्षा के सम्बन्ध में जो यह प्रसारण किए जाते हैं यह अहिन्दी भाषी किन किन केन्द्रों से किए जाते हैं ?

श्री शाम नाथ : हिन्दी रीजन के जिन स्टेशनों से यह ब्राडकास्ट किये जाते हैं वे ये हैं—जैसे इलाहाबाद, पटना, रांची, जलन्धर, जयपुर.....

श्री भक्त दर्शन : मेरा प्रश्न अहिन्दी केन्द्रों के सम्बन्ध में है ।

श्री शाम नाथ : अहमदाबाद, बरोदा, और राजकोट।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समय जिन केन्द्रों से इसको प्रसारित किया जा रहा है, उनके अतिरिक्त क्या किन्हीं अन्य अहिन्दी भाषी क्षेत्रों से इसके लिए मांग आयी है जैसे बंगलौर से ?

श्री शाम नाथ : जी, नहीं, ऐसी अभी कोई मांग नहीं आयी है ?

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि आकाशवाणी की भाषा नीति में इस सम्बन्ध में सहसा परिवर्तन करने की जो बात चल रही है, उसका क्या कारण है ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि संसद् की यह कार्रवाई, जिसके सम्बन्ध में अभी मंत्री महोदय ने उत्तर दिया, यहां से पहले अंग्रेजी में अंकित हो कर वहां जाती है और फिर उसका हिन्दी में अनुवाद करके उसको प्रसारित किया जाता है, अथवा हिन्दी की कार्रवाई हिन्दी में ही जाती है ?

श्री शाम नाथ : हिन्दी और अंग्रेजी में जो यहां की कार्रवाई ब्राडकास्ट होती है उनके लिए ए० आई० आर० के कमेन्टेटर यहां मौजूद रहते हैं और अपने इम्प्रेशन्स के आधार पर वह कमेंटरी तैयार करते हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरा प्रश्न यह था कि.

अध्यक्ष महोदय : आपने कहा कि क्या पहले इसका टैक्स्ट अंग्रेजी में दिया जाता है और वह उसका तर्जुमा करते हैं हिन्दी में और वह कहते हैं कि नहीं उनके रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं और वह हिन्दी में ले जाते हैं टैक्स्ट और उसको ब्राडकास्ट करते हैं।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : उन्होंने यह नहीं कहा, यह तो आप कह रहे हैं ;

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो यही समझा। अब आप कह लें।

श्री शाम नाथ : मैंने कहा था कि एस०आई० आर० के जो रिप्रेजेंटेटिव यहां रहते हैं वह टैक्स्ट हिन्दी और अंग्रेजी में ले जाते हैं और उनके जो इम्प्रेशन्ज़ होते हैं उनके आधार पर वह कमेंटरी तैयार करते हैं और रात को उसको ब्राडकास्ट किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि जो हिन्दी की कमेंटरी तैयार की जाती है उसका टैक्स्ट हिन्दी में देते हैं वह ब्राडकास्ट होता है, या उसका टैक्स्ट अंग्रेजी वाले देते हैं और उसका तर्जुमा किया जाता है और तब ब्राडकास्ट होता है।

†**श्री शाम नाथ :** मुझे इस के बारे में पता नहीं है।

श्री भागवत झा आजाद : मैं यह जानना चाहता हूं कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में कुछ केन्द्रों से ही यह प्रसारण क्यों किया जाता है, दूसरे केन्द्रों से क्यों नहीं किया जाता?

श्री शाम नाथ : चीज यह है कि हिन्दी रीजन के तमाम.....

श्री भागवत झा आजाद : मैंने नान-हिन्दी कहा ।

श्री शाम नाथ : अभी तक इसको अहमदाबाद, बरौदा और राजकोट से रिले किया जाता है। लेकिन इस पर विचार किया जा सकता है कि जो और अहिन्दी रीजन के स्टेशन्स हैं उन से भी इसको रिले किया जाए।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही नहीं है कि हैदराबाद, कलकत्ता, मद्रास और मैसूर में हिन्दी जानने वालों की तादाद ज्यादा है, यदि हां, तो क्या सरकार वहां इस ब्राडकास्ट को जारी करने की सोच रही है ?

श्री शाम नाथ : मैंने कहा कि इस पर विचार किया जा सकता है।

†**श्री शिवाजी राव शें० देशमुख :** क्या महाराष्ट्र के परमनी जिले में एक नवीन रिले स्टेशन बनाने का संसद् की कार्यवाही के हिन्दी रूपान्तर को रिले करने से कोई संबंध नहीं है ?

†**श्री शाम नाथ :** यह सर्वथा पृथक प्रश्न है।

श्री रघुनाथ सिंह : कलकत्ता शहर में कम से कम बीस लाख हिन्दी भाषा भाषी लोग होंगे। इन बीस लाख आदमियों के वास्ते.....

अध्यक्ष महोदय : कलकत्ता के बारे में तो विभूति मिश्र साहब ने सवाल किया था।

श्री रघुनाथ सिंह : उन्होंने तो साउथ के बारे में सवाल किया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : वह कलकत्ता के बारे में पूछ चुके हैं। मेम्बर साहब को ध्यान से सुनना चाहिए।

श्री विश्राम प्रसाद : मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जब हिन्दी को राष्ट्र भाषा के रूप में मान लिया गया है तो उनको हिन्दी में ब्राडकास्ट करने में क्या एतराज है?

श्री शाम नाथ : एतराज की तो कोई बात नहीं है। लेकिन इसकी फीजिविलिटी (संभाव्यता) देखनी पड़ती है और जो प्रोग्राम होता है उसको एडजस्ट करना पड़ता है। मैंने कहा कि इस के बारे में विचार किया जा सकता है कि नान-हिन्दी रीजन के और जो स्टेशन हैं वहां से भी इस कमेंटरी को ब्राडकास्ट किया जाए।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

श्री यशपाल सिंह : मेरा एक प्रश्न यह गया।

अध्यक्ष महोदय : रह गया तो मैं क्या करूं।

वैस्ट इरियन के लिये भारतीय सेनायें

\+

†*७७९. **श्री बसुमतारी** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सोलंकी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री बड़े :
श्री कछवाय :
श्री हरिविष्ण कामत :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री कजरोलकर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने, वैस्ट इरियन में विधि और व्यवस्था बनाये रखने में वर्तमान पपुअन पुलिस बल की सहायता के लिये भेजी जाने वाली संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा सेना का अधिकांश भाग देने के लिये भारत से प्रार्थना की है;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और इस मामले में क्या कार्रवाई करने का विचार है?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

†**अध्यक्ष महोदय**। अगला प्रश्न।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री यशपाल सिंह : श्रीमन, आप ने अगला क्वेस्टियन बुला लिया है, लेकिन सप्लीमेंटरी क्वेस्टियन करने वाले बैठे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय कोई माननीय सदस्य खड़े नहीं हुए थे, इस लिए मैंने नैक्स्ट क्वेस्टियन बुला लिया।

श्री यशपाल सिंह : मैं खड़ा हूं। मैं देखता रहा कि शायद उधर से सवाल पूछा जाये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को उठना चाहिए था। वह उधर देखते रहे और उधर कोई माननीय सदस्य खड़ा नहीं हुआ। चूंकि मैंने किसी को भी खड़ा होते नहीं देखा, इस लिए मैंने नैक्स्ट क्वेस्टियन बुला लिया।

श्री यशपाल सिंह : अब सवाल पूछने की आज्ञा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री यशपाल सिंह।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं यहां तुरन्त खड़ा हुआ था।

श्री यशपाल सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब हमारे पास फ़ौजें नाकाफी हैं और हम पाकिस्तान और चीन के साथ लगे बार्डर का इन्तजाम नहीं कर सकते हैं, तो सरकार को क्या मारल राइट हासिल है कि वह दूसरे देशों में अपनी फ़ौजें भेजे।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : माननीय सदस्य ने तो ऊंचे दर्जे की मारेलिटी का सवाल किया है, लेकिन इस का जवाब यह है कि हम वहां नहीं भेज रहे हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : गत मास की २७ तारीख को लगभग १० दिन पूर्व सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए राज्य मंत्री श्रीमती लक्ष्मी मेनन ने कहा था "कि ऐसा कोई विचार नहीं है कि पश्चिम इरियान में हमारी सेना भेजी जाएंगी।" प्रधान मंत्री ने उस उत्तर के पश्चात् बोलते हुए कहा कि "कुछ अफसर बुला लिये गये हैं —कुछ: या सात —गाजा यूनिट से, मैं नहीं समझता कि कांगो से बुलाये गये हैं।" उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि वे कांगो से भी एक या दो अफसरों को निकाल लें। वास्तविक स्थिति क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : किन्तु प्रश्न यह है कि क्या हम कुछ सेना भजने वाले हैं ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : २७ तारीख को मेरा प्रश्न यह था कि क्या हमारे सैनिक संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्य के लिये पश्चिम इरियान भेजे जाएंगे। श्रीमती मेनन ने कहा था कि पश्चिम इरियान में हमारी सेना भेजने का कोई विचार नहीं है। प्रधान मंत्री ने तुरन्त कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के नियंत्रणाधीन गाजा यनिट से या कांगो से कुछ अफसरों को पश्चिम इरियान भेजा जा सकता है। अब उत्तर दिया गया है कि हमारे किसी सैनिक को पश्चिम इरियान में भेजने का विचार नहीं है। स्थिति क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अब यही कहा गया है कि पश्चिम इरियान को सैनिक भजने का कोई विचार नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत :** यहां से । किन्तु क्या वे अन्य स्थानों से हमारी सेनाओं को हटाकर पश्चिम इरियान भेजेंगे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** प्रश्न यह है कि क्या भारत से कहा गया है कि वह अधिकांश सेना को पश्चिम इरियान भेजे जाने के लिये संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् को दें। उत्तर है, "नहीं"। हमें कोई सेना भेजने के लिये नहीं कहा गया। किंतु संयुक्त राष्ट्र संघ ने सुझाव दिया है कि युनेफ—अन्य स्थानों पर तैनात भारतीय टुकड़ियां जो संयुक्त राष्ट्र संघ की कमांड में हैं —छः और अफसर मेजर, कप्तान आदि लगभग छः अफसरों को वहां से पश्चिम इरियान भेजा जाए। यह उन पर निर्भर है। वे इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की कमांड में हैं। और हम ने इसे स्वीकार कर लिया है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** हम से बिना सलाह लिये ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वे उनकी कमांड में हैं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** वे पश्चिम इरियान में किन शर्तों पर भेजे रहे हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं समझता हूं कि वे उन्हीं शर्तों पर जाऐंगे जिन पर अन्यत्र काम कर रहे हैं।

†**श्रीमती चक्रवर्ती :** क्या यह सच है कि नहीं कि संयुक्त राष्ट्रसंघ के अधीन जो टुकड़ियां काम कर रही हैं उन को अन्यत्र काम करने के लिये भेजने से पूर्व, उस देश की सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है, जहां से वे सैनिक टुकड़ियां आई होती हैं, और यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने हमारी सेवाओं को पश्चिम इरियान जाकर संयुक्त राष्ट्र के साथ काम करने की अनुमति दे दी है ?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू :** जी, हां, हम से कहा गया था कि और हम ने स्वीकार कर लिया ।

†**श्री हेम बरुआ :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कांगो में स्थिति में निश्चित रूप से सुधार हो गया है। क्योंकि श्री शोंबे ने वहां संघानीम ढांचे की सरकार बनाने के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के महा सचिव का प्रस्ताव मान लिया है, क्या यह तथ्य है कि सरकार वहां से हमारी टुकड़ियों को हटा कर पश्चिम इरियान भेजने का विचार करती है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू:** स्थिति में संभवतः कुछ सुधार हुआ है, यद्यपि कांगो की स्थिति के बारे में कुछ कहना कठिन है। यह फैसला करना संयुक्त राष्ट्र संघ का काम है कि उनको वहां कितनी देर तक टुकड़ियों की आवश्यकता है। स्वभावतः हमें इस मामले में कुछ कहने का अधिकार है, किंतु हम ने अभी तक ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की। मैं दुहराऊंगा कि पश्चिम इरियान को कोई टुकड़ी भेजने की बात नहीं है । वे तीन या चार या कुल छः अपेक्षतया कनिष्ठ अफसर हैं। उन्होंने पूछा कि क्या हम उनको भेज सकते हैं और हम ने मान लिया।

---

†मूल अंग्रेजी में

सोडियम नाइट्रेट का आयात

†*७८० श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोडियम नाइट्रेट का वर्तमान उत्पादन देश की मांग को पूरा करने के लिय पर्याप्त नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो मांग पूरी करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ; और

(ग) देश की कुल मांग कितनी है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). हमारी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सोडियम नाइट्रेड का हमारा आयात पर्याप्त है ।

(ग) लगभग २५००० टन प्रतिवर्ष ।

†श्री सुबोध हंसदा: मा० मंत्री जी ने बताया है कि हम अभी भी सोडियम नाइट्रेट का आयात कर रहे हैं । हम कब तक इसे बाहर से मंगवाते रहना चाहते हैं और क्या देश को स्वावलंबी बनाने के लिये इसका आयात बन्द करने के लिये कोई समय सीमा नियत की गई है ?

†श्री मनुभाई शाह : यह प्राकृतिक उत्पाद है । यह संश्लेषणात्मक ढंग से तैयार नहीं किया जाता । हम इस का आयात घटाने का प्रयत्न कर रहे हैं । जैसाकि मैं उत्तर चे चुका हूं , हर समय हम ४०,००० से ४५,००० टन तक आयात कर रहे थे और अब हम केवल २५,००० टन आयात करते हैं । बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अधिक प्राकृतिक सोडियम नाइट्रेट अब पैदा किया जा रहा है । ज्यों ज्यों देश में उत्पादन बढ़ेगा , हम इसका आयात घटाने का प्रयत्न करेंगे ।

†श्री स० चं० शामन्त : क्या इस सोडियम नाइट्रोट का स्थान लेने वाली कोई और चीज बनाने का कोई प्रयत्न किया गया है?

†श्री मनुभाई शाह : जी हां, अमोनियम सेल्फेट और उरी के द्वारा । वास्तव में इस बात के दो पहलू हैं । एक यह कि उर्वरकों में इसका उपयोग किया जाता है । वहां हम इस के स्थान पर अमोनियम साल्ट और नाइट्रोजन युक्त नमक लाने का प्रयत्न कर र हैं जैसा कि मा० सदस्य को भली भांति विदित है । औद्योगिक उपभोग के बारे में हम रसायनिक सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट तैयार करने का प्रयत्न कर रहे हैं । और इस प्रकार हम आयत किये गये माल के स्थान पर उन को ले आएंगे ।

†श्री भागवत झा आजाद: वर्तमान उपयोग का कितने प्रतिशत देश के उत्पादन से पूरा किया जा रहा है । और हम कब तक इस के आयात में पर्याप्त कमी कर सकेंगे ?

†श्री मनुभाई शाह : हमारी ३३ प्रतिशत मौजूदा मांग देशी उत्पादन से और ६७ प्रतिशत आयात के द्वारा पूरी की जा रही है । हमें आशा है कि अमोनियम साल्ट और उरी को सोडियम नाइट्रेट के स्थान पर धीरे धीरे ला कर हम बहुत शीघ्र स्वावलंबी हो जाएंगे । किन्तु मैं सभा का ध्यान

---

†मूल अंग्रेजी में

इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली, जहां से हमें इस परम्परागत वस्तु का आयात करना होता है, हमारा बहुत पुराना देश है, और इस कारण कुछ आयात तो जारी रहेगा ही ।

†**श्री विश्राम प्रसाद** : सब कोई जानते हैं कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के लिये नाइट्रेट की अत्याधिक आवश्यकता होती है और इसकी कृषि विकास के लिय् प्रतिदिन आवशयकता रहती है। सरकार अपने देश में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के रूप में नाइट्रेट की कमी को कैसे पूरा करेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह**: यह अधिक व्यापाक प्रशन है। मैं सभा को बता चुका हूं कि सोडियम – नाइट्रेट कतई अक्छा उर्वरक नहीं हे, बल्कि कृषि विशेषज्ञ इस पसन्द नहीं करते ।

विदेशों में भारत के व्यापार तथा आर्थिक प्रतिनिधि

†*७८१. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारत के व्यापार तथा आर्थिक प्रतिनिधियों का चयन किस आधार पर किया जाता है ; और

(ख) क्या इन प्रतिनिधियों को विदेश जाने से पूर्व उन्हें आर्थिक और वाणिज्यिक मामलों में कई विशेष प्रशिक्षण दिचा जाता है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) विदेशों में भारतीय मिशनों में वाणिज्यिक तथा आर्थिक पदों पर सामान्यतया भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी होते हैं। विदेशों में अथवा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के वाणिज्यिक पदों पर जिन अधिकारियों ने काम किया हो और वाणिज्यिक तथा आर्थिक पदों पर काम करने के लिये जिन के पास अपेक्षित ज्ञान एवं अनुभव हो, उन को ढूंढने का प्रयत्न किया जाता है। कुछ मामलों में भारतीय विदेश सेवा से भिन्न अफसरों को, जिन्होंने वाणिज्यिक तथा आर्थिक काम में विशेषता प्राप्त की हो, ऐसी नियुक्तियों के लिये तदर्थ आधार पर चुन लिया जाता है ।

(ख) अफसरों को, विदेश में तैनात करने से पूर्व वाणिज्यिक तथा उद्योग विभाग के संबंध विभागों में प्रशिक्षण तथा आवश्यक अनुदेश देने के लिये अस्थायी तौर पर लगा दिया जाता है, इस की अवधि अफसर के पुराने अनुभव तथा उस पद के स्वरूप के अनुसार भिन्न २ होती है, जिस पर उसको लगाया जाता है। नये भरती किये गये भारतीय विदेशी सेवा के अफसरों के मामले में, इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि उर्वरक भरती के समय से लेकर, उन में से कुछ चुने गये लोगों का प्रशिक्षण तथा बाद में तैनात इस प्रकार किया जाता है कि उन को वाणिज्यिक तथा आर्थिक मामले में विशेषज्ञता प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो ।

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी** : सरकार ने विदेश स्थित हमारे व्यपार मिशनों के कर्मचारियों को सुधारने की दिशा में क्या प्रयत्न किया है ? उदाहरणार्थ, इस रिपोर्ट में श्री शिवशंकर ने बताया है कि लन्दन, स्थित इंडिया स्टोरस डिपार्टमेंट लगभग ५०,००० पौण्ड प्रतिवर्ष बचा सकता था यदि इस काम का नौवहन तथा भेजने का काम, नौवहन तथा भेजने के अभिकर्ताओं को दिया जाता। इस प्रकार कई विभाग हानि वाले हैं। क्या हम सम्बद्ध विभागों में सुधार करने के लिये कुछ नहीं कर सकते ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : इसका मुझ से संबंध है। यह घाटे का काम है। दो प्रकार की कार्य व्यवस्था है —एक वाशिंगटन में, दूसरी लन्दन में। वाशिंगटन प्रणाली हमारे लिये अधिक लाभदायक है और हम इस प्रणाली को लन्दन में जारी करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वास्तव में, हमारा एक अफसर लन्दन गया है। वह इन दिनों वहीं पर है। हमारे और लन्दन के बीच करार हो जाने पर हम लगभग ५०,००० पौंड प्रति वर्ष बचा सकेंगे।

पांडिचेरी में पुलिस सेवा का पुनर्गठन

†*७८४. { **श्री ही० ना० मुकर्जी** :
श्री प्रभात कार :
श्री दाजी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी में पुलिस सेवा का पुनर्गठन किया जा रहा है ;

(ख) पांडिचेरी पुलिस में भारतीय पुलिस सेवा (आई०पी० एस०) के कितने कर्मचारी हैं ?

(ग) क्या पांडिचेरी के इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस तथा सुपरिन्टेंडेंट आफ पुलिस पुराने फ्रांसीसी शासन द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी क्या योग्यतायें हैं ;

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी नहीं।

(ख) कोई नहीं।

(ग) और (घ). जी, नहीं। करीकाल में पुलिस सुपरिटेंडेंट का पद भतपूर्व फ्रांस सरकार के एक अफसर के पास था। वह भूत पूर्व फ्रांस सरकार के पुलिस अधिकारियों में सब से वरिष्ठ था और उसकी २८ वर्ष की सेवा थी।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी**: क्या सरकार को कोई कठिनाई अनुभव हो रही है। क्योंकि यह पुलिस अधिकारी उस प्रकार के अधिकारी नहीं हैं, जिस प्रकार के अधिकारी हमारे पास अपने देश में हैं और उन के कुछ कार्यों से उन पर परिवार पोषण आदि के आरोप लगते हैं ?

†**श्री दिनेश सिंह** : वहीं। हस्तांतरण के पश्चात् हम भूतपूर्व फ्रांसिसी बस्तियों की पुलिस को भारतीय पुलिस के समतुल्य लाने का प्रयत्न कर रहे हैं ?

†**श्री ही०ना० मुकर्जी** : क्या हमें पता चल सकता है कि वहां की पुलिस में इतने बड़े पदों पर किस प्रकार के प्रकार के लोग लगे हुए हैं ?

†**श्री दिनेश सिंह** : इन में से अधिकांश पदों में—वास्तव में एक विशिष्ट को छोड़ कर, जिसका मैं ने उल्लेख किया है, सब पर भारतीय पुलिस के अफसर हैं, जो प्रति नियुक्ति पर हैं।

†**श्री दाजी** : इस प्रदेश के पुलिस अधिकारियों में सब भारतीय हों, इसके लिये कितना समय लग जाएगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दिनेश सिंह :** इस का भारत में काम हो चुका है । यह विशिष्ट व्यक्ति जो पहले फ्रांस की पुलिस में था, भारतीय है ।

†**श्री नम्बियार :** इस तथ्य की दृष्टि से कि पांडिचेरी और अन्य मिले हुये कुछ स्थानों की जन संख्या केवल ४ लाख है, क्या इतने छोटे स्थान पर इंस्पैक्टर जनरल पुलिस जैसा पद रखने की कोई आवश्यकता है ?

†**श्री दिनेश सिंह :** पांडीचेरी का आई० जी० पी० भारतीय पुलिस के सुपरिटेंडेंट के दर्जे का होता है ।

पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत दो भारतीय राष्ट्रजन

†*७८५. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० के० देव :
श्री ह० प० चटर्जी :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या प्रधान मंत्री १४ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३१३ तथा अतारांकित प्रश्न संख्या ७०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार असिस्टेंट सब-इंस्पैक्टर पुलिस, श्री मदन बागची और पश्चिम बंगाल नैशनल बालन्टियर फोर्स के श्री षष्ठीचरण घोष की दशा के सम्बन्ध में पता लगा पाई है जिनको पूर्वी पाकिस्तान राफइलमैनों की सहायता से हथियार बन्द पाकिस्तानी राष्ट्रजन उस समय बिवस कर के जबरदस्ती उठा ले गये थे जब वे दोनों व्यक्ति २२ जुलाई को मर्शिदाबाद जिले के रघुनाथगंज थाते के अन्तर्गत देवनापुर नामक स्थान म गश्त पर थे ; और

(ख) इनको शीघ्र मुक्त कराने के लिए सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) और (ख). उप आयुक्त राजशाही (पूर्वी पाकिस्तान) की ओर से एक उत्तर जिला दंडाधीश मुर्शिदाबाद के पास आ चुका है जिस में यह आरोप लगाया गया है कि दोनों अफसर पाकिस्तानी सीमा पुलिस द्वारा पाकिस्तानी राज्य क्षेत्र में गिरफ्तार किये गये थे।

इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अग्रेतर बातचीत की जा रही है और ढाका में हमारा उप उच्च आयक्त बैठा है ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या सरकार को विदित है कि इन दोनों व्यक्तियों को जो राजशाही जेल में हैं, २३ अगस्त को राजशाही में एक न्यायालय के लिये मुकदमे के लिये पेश किये गये हैं ? क्या उन्हें इस की सूचना है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या इन अफसरों की गिरफ्तारी के पश्चात राजशाही में हमारे सहायक उच्च आयुक्त या ढाका स्थित हमारे उप उच्च आयुक्त ने उन से मिलकर यह पता लगान का प्रयत्न किया है कि उनको किस प्रकार रखा गया है और उन्हें जेल में क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह सच है कि इन दोनों अफसरों को राजशाही जिले में नवाबगंज सिविल जेल में रखा गया था। उन के परिवारों को मासिक भत्ता देनें का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है । ढाका स्थित हमारा उच्च आयुक्त इस बात के लिये सब प्रयत्न कर रहा है कि इन लोगों को अच्छी तरह रखा जाए ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या पाकिस्तान सरकार ने हमारे पाक स्थित उच्च आयुक्त की प्रार्थना स्वीकार नहीं की ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री एवं अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मुझे मालूम नहीं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जिस तरह से कर्नल भट्टाचार्य की गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार के निर्वाह की व्यवस्था की गई थी, उसी प्रकार इनके परिवार के निर्वाह की भी कोई व्यवस्था की गई है और यदि की गई है तो उसका क्या विवरण है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं बता चुकी हूं कि उनके परिवार को भत्ता देने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सत्य है कि हाल ही में इन दोनों व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य दो व्यक्तियों को भी पाकिस्तानियों ने उठा लिया ? हमारी ओर से कुल कितने व्यक्ति उठा कर उनकी हिरासत में रखे गये हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : इसके लिये पूर्व सूचना मिलनी चाहिये ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं समझता हूं कि हम दूसरे प्रश्न के उत्तर में बता चुके है किन्तु मैं एकदम बताने में असमर्थ हूं ।

†**श्री ह० प० चटर्जी**: क्या यह तथ्य है कि सीमा में ऐसी बातें सामान्यतया होती है और लोगों को बहुत अधिक यातना होती है ? यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करने का इरादा करती है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं समझता कि मैं इसका उत्तर दे सकता हूं । निस्संदेह लोगों को ऐसे अवांछित आक्रमों के कारण अनिवार्य कष्ट पहुंचता है । हम सीमा पर जहां तक हम कर सकते है, स्थिति का मुकाबला करने का प्रयत्न कर रहे है। आम तौर पर सेना वहां नहीं लगाई जाती यद्यपि सेना वहां प्रभारी हो सकती है, जैसा कि अब्र है । बंगाल सरकार अपनी सीमा पुलिस के द्वारा ही अपनी सीमा की रक्षा करना बेहतर समझती है। हाल ही में, सेना ने कब्जा किया, किन्तु फिर भी मैं समझता हूं कि वहां सीमा पुलिस के लोग ही वास्तव में लगाये गये हैं। किन्तु मैं समझता हूं कि उनको सेना का भी उपयोग करने का अधिकार है ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यह कुछ गंभीर मामला है क्योंकि न केवल असैनिक अपितु सीमा पुलिस के लोग भी सीमा की गश्त कर रहे हैं। इसलिये मैं जानना चाहती हूं कि सरकार इन राइफलमैनों को, जो वास्तव में सीमा पुलिस के अंग हैं, छुड़ाने के लिये क्या कर रही है। इसके बिना भविष्य में सीमा की गश्त भी कठिन हो जाएगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : निस्संदेह, सरकार राजनयिक एवं अन्य साधनों के द्वारा सब कुछ करने का प्रयत्न कर रही है । पाकिस्तानी यह कहते है कि वे पाकिस्तानी क्षेत्र में घुस आये थे अतः उनको गिरफ्तार किया गया था ।

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान में १ जनवरी से ३० जून तक इस वर्ष में भारतीय राज्य क्षेत्र से दस भारतीय लोगों को उठाया, सरकार ने उनको वापिस लेने के लिये क्या कोई कार्रवाई की है क्यों पाकिस्तान हमेशा हमारे विरोधियों को घृणा और उपहास की दृष्टि से देखता रहा है ? क्या सरकार सुरक्षा उपायों को कड़ा कर के या जहां स्थिति की मांग हो शक्ति का प्रयोग कर के कोई पक्के कदम उठाने का इरादा करती है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं समझ पाया कि उनका "पक्के कदमों' से क्या अभिप्राय है। किन्तु हमारे प्रतिनिधियों ने प्रत्येक स्तर पर बहुत बार उनको कहा है ।

श्री हेम बरुआ : मेरा यह अभिप्राय नहीं था। मैं ने कहा था कि हमारे विरोधों को खुली घृणा की दृष्टि से देखा गया है । इसे दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार सुरक्षा उपाय मजबूत करने और आवश्यकता पड़ने पर शक्ति का प्रयोग कर के ठोस कार्रवाई करने का इरादा करती है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जैसा मैं इसे समझता हूं, माननीय सदस्य का अभिप्राय सैनिक शक्ति समेत बल प्रयोग से है । सैनिक शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है और किया जाता है जब ऐसी बात होती है । किन्तु किसी घटना के हो जाने के पश्चात्, सैनिक शक्ति का कहां और कैसे उपयोग किया जा सकता है ? या तो आप उनके लोगों को इधर उधर से अउठाने में शक्ति का प्रयोग करें—(**अन्तर्बाधा**)

श्री हेम बरुआ : क्या हम यह समझें कि हम ने छोड़ दिया है— (**अन्तर्बाधा**) सीमा के अत्यन्त आपत्तिजनक स्थानों की भी रक्षा नहीं करते ?

अध्यक्ष महोदय : क्या इस का अब उत्तर दिया जा सकता है ? श्री त्रिदिव कुमार चौधरी

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या पश्चिम बंगाल सरकार का यह सुझाव था कि जब स्वर्गीय डा० वि० चं० राव जीवित थे कि पश्चिम बंगाल सरकार को किसी प्रकार का विशेषीकृत पुलिस या सीमा सेना जैसे आसाम राइफल्स या पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स है जो दूसरी ओर पाकिस्तान ने बना रक्खी है, बनाने के लिये राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार की ओर से कुछ अतिरिक्त धन दिया जाए, और क्या उस पर कोई निर्णय किया जा चुका है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: मुझे किसी प्रार्थना का स्मरण नहीं। मैं यह भी बता दूं कि इन में से अधिकांश दुखद घटनाएं उन क्षेत्रों में होती हैं जिन के बारे में विवाद है। वे उन क्षेत्रों

---

†मूल अंग्रेजी में

में भी होती हैं जिनका फैसला हो चुका है और जिनपर नियंत्रण नहीं बदला, किन्तु जिनका अन्यथा फैसला हो चुका है कि वे बदलेंगे। ज्यों ही पक्की सीमा रेखायें निर्धारित की जाती हैं, ये घटनायें कम हो जाएंगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : अल्प सूचना प्रश्न।

†**श्री हेम बरूआ** : मुझे इस अल्प सूटना प्रश्न के बारे में औचित्य प्रश्न उठाना है। इसी विषय पर ध्यान आकर्षित करने का नोटिस था और प्रधान मंत्री ने कहा था कि वह तब तक सूचना प्राप्त नहीं कर सके थे और वह उस प्रस्ताव पर वक्तव्य देने वाले थे। अब अल्प सूचना प्रश्न आ गया है। क्या हम यह समझें कि वह प्रस्ताव हटा दिया गया है और यह अल्प सूचना प्रश्न रख दिया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस तरह अकस्मात नहीं कह सकता कि उस को क्या हुआ। मैं उस का पता करूंगा। मा० सदस्य नहीं हैं अतः मैं उस का उत्तर देने के लिये प्रधान मंत्री को नहीं बुला सकता।

†**श्री हेम बरुआ** : प्रधान मंत्री ने जो आश्वासन दिया था कि वह वक्तव्य देंगे उसका क्या बना ? इस पर एक ध्यान आकर्षित करने का प्रस्ताव था।

†**श्री त्यागी** : अल्प सूचना प्रश्न निश्चय ही बेहतर होता है, क्योंकि उसपर मा० सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। किन्तु वक्तव्य पर अग्रेतर सूचना नहीं मांगी जा सकती।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति।

†**श्री जवहारलाल नेहरू** : किन विषय पर आश्वासन ?

†**अध्यक्ष महोदय** : भारतीय लोग मारे गये थे जब कुछ नेपाली भारतीय क्षेत्र में घुस आये थे और उन्होंने एक मकान पर गोली चला दी थी।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं उत्तर पढ़ कर सुनाने को तैयार हूं।

†**श्री हेम बरुआ** : हमने ध्यान आकर्षित करने का नोटिस दिया था। उस दिन उनके पास सूचना नहीं थी। काफी तर्क वितर्क भी हुआ था, तब उन्होंने वक्तव्य देने की बात कही थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं उसका पता लगाऊंगा। उनको अल्प सूचना प्रश्न में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। यदि मा० सदस्य नहीं हैं तो भी यदि मा० प्रधान मंत्री वह सूचना देना चाहते हैं, तो मैं उनको बुला सकता हूं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि भारतीय लोग मारे गये थे जब कुछ नेपाली सैनिक भारतीय क्षेत्र में घुस आये और उन्होंने २४ अगस्त, १९६२ की रात्रि को दार्जिलिंग जिले के मिरिस थाना में एक मकान पर गोली चलाई।
उत्तर यह है :

---

†मूल अंग्रेजी में

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

नेपाली सैनिकों द्वारा धावे में दो भारतीयों की मृत्यु

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११. श्री श्रीनारायण दास : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २४ अगस्त, १९६२ की रात को जब नैपाली सेनाओं ने भारतीय राज्य-क्षेत्र का अतिक्रमण करके दार्जिलिंग जिले के मिरिस थाने में एक झोंपड़ी पर गोली चलाई, तो उससे दो भारतीय राष्ट्रजन मारे गये ;

(ख) यदि हां, तो वह घटना किन परिस्थितियों में हुई ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) और (ख). जी हां। २४ अगस्त, १९६२ को लगभग ८ बजेरात्रि को नेपाली सशस्त्र सेना के कुछ सैनिक हमारे राज्य क्षेत्र में घुस आये और उन्होंने नौ भारतीयों के एक समूह पर गोली चलाई, जो पश्चिम बंगाल में पुलिस थाने में झुगी नाम बस्ती के मेची डिवीजन में श्री बाल बहादुर लामा की भूमि पर भारत-नेपाल सीमा से लग भग १०० गज की दूरी पर स्थित एक मिट्टी के मकान में विश्राम कर रहे थे। परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति भक्त बहादुर राय मारा गया और लछमान सिंचुरी को गोली की गहरी चोटें लगी। अन्य लोग अन्धेरे में भाग गये। घायल व्यक्ति दार्जलिंग अस्पताल जाते जाते मर गया। चार खाली कारतूस और एक गोली उस स्थान पर मिली है। मकान पर बे तरतीब गोली चलाने का सबूत मौजूद है।

(ग) भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतालय को इस दुखद घटना के सम्बन्ध में एक विरोध पत्र दिया है। मिरिक पुलिस ने भी अपराधियों के विरुद्ध धारा ३०२/३२८/४४७ आई० पी० सी० मामला दर्ज कर लिया है। राज्य सरकार ने इस सीमा क्षेत्र पर गश्त करने के लिये सशस्त्र पुलिस तैनात कर दी है। तथापि स्थिति नियंत्रणाधीन बताई जाती है।

†**श्री हेम बरुआ :** नेपाल का विदेश कार्य मंत्री कभी कभी इस प्रकार के वक्तव्य देता रहता है कि नेपाल और भारत के बीच सम्बन्ध बिगड़ गये हैं। कल ही, उन्होंने कहा है कि सम्बन्ध ठीक हो गये हैं। क्या मैं समझ सकता हूं कि ये दुखद घटनाएं इस प्रकार के वक्तव्यों द्वारा अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन का परिणाम है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मा० सदस्य अन्य बातों में पड़ रहे हैं। वह इस विषय पर पूछ सकते हैं।

†**श्री हेम बरुआ :** चूंकि नेपाल सैनिक भारतीय क्षेत्र में घुस आये और दो लोगों को मार गये, क्या उससे यह समझा जाए कि यह सीमा का स्थान भी विवादग्रस्त है और रेखांतिक नहीं है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यह विशिष्ट स्थान विवादग्रस्त नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ :** हमेशा यही सुविधाजनक तर्क दिया जाता है कि सीमा विवादास्प है अतः घटना हो गई। मैं यही जानना चाहता था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : इस का उत्तर दिया जा चुका है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मा० सदस्य पाकिस्तान सीमा का विचार कर रहे हैं । यह नेपाल के साथ मिलने वाली सीमा है ।

†**श्री हेम बरूआ** : ऐसे सब मामलों में यही तर्क सुविधाजनक होता है, चाहे यह चीन हो या पाकिस्तान या नेपाल, हमेशा यही तर्क दिया जाता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति शांति ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत नेपाल सीमा पर जो यह घटना हुई है उस के बारे में क्या कोई पत्र व्यवहार नेपाल सरकार से किया गया है; और नेपाल सरकार ने उस के बारे में क्या कोई स्पष्टीकरण दिया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जो कोई ऐसी बात होती है तो पत्र व्यवहार किया जाता है । लेकिन आम तौर से सीमा के बारे में नहीं हुआ है ।

सिक्किम में पुलों का बह जाना

\+

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२. { **श्री भक्त दर्शन** : **श्री यशपाल सिंह** : **श्री राम रतन गुप्त** :

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २३ और २४ अगस्त, १९६२ को सिक्किम में तीस्ता नदी की बाढ़ में दो बड़े पुल बह गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसके फलस्वरूप लगभग एक सौ मजदूरों की मृत्यु हो गई और सड़क निर्माण का बहुत सा सामान भी नष्ट हो गया ;

(ग) यदि हां, तो क्या उस दुर्घटना अथवा उन दुर्घटनाओं की परिस्थितियों आदि पर प्रकाश डालने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ;

(घ) उस सामान को बचाने व इन मजदूरों के प्राणों की रक्षा करने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया था ; और

(ङ) उन मृतकों के परिवारों को मुआवजा व सहायता देने और भविष्य की रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) चार पुल बह गये हैं, और पांचवे को भारी क्षति पहुंची है ।

(ख) ८३ मजदूर लापता बताये जाते हैं । कुछ भंडार और साजसामान विनष्ट हुआ है और खराब भी ।

(ग) तीस्ता नदी के अचानक बाढ़ आ जाने के कारण निश्चित नहीं हो पाये । हो सकता है पर्वतों पर कोई स्रोत फट पड़ा हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) तथा (ङ) आवश्यक सहायता के लिये प्रबन्ध कर दिये गये हैं। नियमों के अधीन मुआवजा दिया जायेगा।

जब से मैं इस सभा में आया हूं, मुझे यह सूचना मिली है कि अब जीपें सिलीगुरी और गंगटोक के बीच चल सकती हैं। आज सड़क फिर एक टन भार की गाड़ियों के लिये पुनः खोली जाने की आशा है और सड़क एक सप्ताह में, यदि मौसम खराब न हुआ, सामान्य यातायात के लिये तीन टन की गाड़ियों के लिये ठीक होगी।

†**श्री भक्त दर्शन :** क्या नदी के स्तर में वृद्धि होने के बारे में कोई पूर्व संकेत नहीं था, और यदि हां, तो कुई व्यवस्था क्यों नहीं की गई ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** हमें ऐसी कोई सूचना नहीं थी। कोई अग्रेतर जांच न होने की अवस्था में, हम यकीन करते हैं कि यह पहाड़ों में झील में कुछ टूट हो जाने के कारण ऐसा हुआ होगा। यह अनुसंधान अन्य प्राधिकारियों द्वारा किया गया है।

†**श्री भक्त दर्शन :** क्योंकि गत वर्ष भी इस प्रकार की घटनायें हुई थीं, क्या सरकार समूचे मामले की उच्च शक्ति सम्पन्न जांच करवाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, ताकि ऐसी घटनायें भविष्य में न होने पायें ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** इस प्रकार की कोई घटनायें नहीं हुईं। सड़क बनाने में घटनायें होगी ही रहती हैं, किन्तु इस प्रकार की नहीं।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि दुबारा इन पुलों को बनाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं और यह काम किस स्टेज पर है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** मैं बता चुका हूं कि साधारण यातायात एक सप्ताह में चालू हो जायेगा।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या नदी में होने वाली बाढ़ आदि की पहले से चेतावनी देने के लिये कोई अन्तरिक्ष विज्ञान संबंधी व्यवस्था नहीं है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** यें नहीं समझता कि अन्तरिक्ष विज्ञान झीलों को फटने से रोकने में सहायता करता है।

†**श्री हेम बरुआ :** कम से कम अन्तरिक्ष विज्ञान संबंधी चेतावनी दी जा सकती थी और तदनुसार कारवाई की जा सकती थी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

"औद्योगिक समझौते" की योजना

†*७६९. **श्री नम्बियार :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ५ वर्षों के लिये औद्योगिक 'समझौते' की एक योजना लागू करने का इरादा रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)**: (क) और (ख). इस बात को ध्यान में रखते हुये कि उद्योग में अनुशासन संहिता, कार्यकर्त्ताओं की शिक्षा के कार्यक्रम, मजूरी बोर्डों की स्थापना, आभार संहिता आदि जैसे विविध उपाय सरकार द्वारा पहले ही किये जा चुके हैं ताकि प्रबन्धकों और कार्यकर्त्ताओं के बीच अच्छे संबंध कायम रखें और औद्योगिक शांति बनी रहे तथा इसके परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं, इस समय पर कोई विशेष पंचवर्षीय औद्योगिक संधि योजना बनाना आवश्यक नहीं समझा जाता। ऐसा विचार किया जाता है कि इन संहिताओं और योजनाओं को पहले प्राप्त लाभों और परिणामों को संचित करने के लिये कुछ समय दिया जाना चाहिये।

कपड़े का निर्यात

†*७७४. **श्री स० मो० बनर्जी**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १४ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६७२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ा मिलों को अपने उत्पादों का १२ १/२ प्रतिशत निर्यात करना पड़ता है ;

(ख) क्या कानपुर और अहमदाबाद की कुछ मिलें अन्य मिलों के उत्पादों का निर्यात कर रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच पड़ताल की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). भारतीय कपास मिल फैडेरेशन की सदस्य मिलें आपसी सलाह तथा सहायता से निर्यात बढ़ाने का प्रयत्न कर रही हैं।

गोआ के लिये आयात परमिट

†*७७५. **श्री ज० ब० सिं० विष्ट**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोआ को आयात के परमिट देना सर्वथा बन्द कर दिया है या उनमें कटौती करके पूर्ववर्ती आवंटन का १/८ कर दिया है ;

(ख) इस नीति के क्या आर्थिक परिणाम होंगे ; और

(ग) क्या सरकार गोआ की विशेष स्थिति का ध्यान रखकर आयात परमिट देती रहेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जनवरी–मार्च, १९६२ में १९६१ में हुये कुल आयात का १/८ आयात गोआ के लिये सीमित कर दिया था। अप्रैल–सितम्बर, १९६२ के लिये एक नीति बनाई गई थी जिसके अनुसार वस्तुओं को तीन वर्षों में विभाजित कर दिया गया है। इसी नीति के अनुसार १०२ वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। और वास्तविक उपभोक्ताओं के लिये उदारतापूर्वक २१ वस्तुओं के आयात की अनुमति है और १९६१ के वार्षिक आयात का १० प्रतिशत कोटा २३ वस्तुओं के आयात के लिये प्रतिबन्धित कर दिया गया है।

(ख) इस नीति का निर्धारण इसलिये किया गया है जिससे गोआ का आयात व्यापार देश के अनुरूप हो जाये। परन्तु कुछ वस्तुओं को आयात करने की अनुमति देते समय गोआ, दमन,

†मूल अंग्रेजी में

दवि को इन वस्तुओं के महत्व पर ध्यान रखा जायेगा जिससे स्थापित व्यापारी परिवर्तित दशा तथा अन्य इसी प्रकार की बातों के अनुसार अपने को बनालें।

अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में रिक्त स्थान

†*७७८. **श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संघ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि आदि विविध अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों में होने वाले रिक्त स्थानों की सूचना भारत को दी जाती है और सरकार द्वारा अथवा स्वयं अधिकरणों द्वारा उनके विज्ञापन दिये जाते हैं ;

(ख) इन रिक्त स्थानों पर नियुक्ति के लिये व्यक्ति चुनने का क्या तरीका है ; और

(ग) क्या यह सच है कि इन रिक्त स्थानों के बारे में सूचना केवल सरकारी कर्मचारियों के एक बहुत सीमित मंडल में ही परिचालित की जाती हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) से (ग). संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य तथा कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संघ, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि समेत १४ विशेष अभिकरण हैं। एक और अभिकरण, अन्तर्राष्ट्रीय अणु शक्ति अभिकरण है जिसका संयुक्त राष्ट्र से विशेष संबंध है। इन सभी अभिकरणों की भरती की समान पद्धति नहीं है। जहां तक भारत का संबंध है विभिन्न मंत्रालयों को जिससे वह संबंधित हैं उनका काम सौंप दिया गया है।

रेंड में 'हिन्दुस्तान एलुमीनियम'

†*७८२. **डा० महादेव प्रसाद :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेंड में "हिन्दुस्तान एलुमीनियम' ने अपनी क्षमता बढ़ाने की अनुमति मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित वृद्धि का क्या ब्योरा है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

जी हां। हिन्दुस्तान एलुमीनियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई ने इंडस्ट्रीज (डी० एण्ड आर) एक्ट, १९५१ के अधीन रेंड (उत्तर प्रदेश) में एलुमीनियम स्मैल्टर का प्रतिवर्ष २०,००० से ५०,००० मीट्रिक टन विस्तार करने के लिये लाइसेंस के संबंध में आवेदनपत्र दिया है। भारत सरकार ने फर्म से परियोजना की जांच करने तथा महत्वपूर्ण पहलुओं के ब्योरे जैसे कच्चे माल की उपलब्धता तथा परिवहन के तरीके, योजना के व्यय के लिये विदेशी मुद्रा की व्यवस्था आदि करने को कहा गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

गुजरात में श्रमिक बीमा योजना

†*७८६. **श्री याज्ञिक :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात ही केवल एक ऐसा राज्य है जिनमें श्रमिक बीमा योजना चालू नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह योजना गुजरात में कब तक लागू कर दी जायेगी ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय म श्रम मंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी हां ।

(ख) अहमदाबाद में डिस्पैन्सरियों का अस्पतालों की स्थापना के लिये किराये के मकानों की कमी ।

(ग) अगस्त, १९६३ तक जब अहमदाबाद में राज्य सरकार चिकित्सा व्यवस्था पूरी करने की आशा करती है ।

पाकिस्तान में भारतीय संयुक्त स्कन्ध समवायों (ज्वाइंट स्टाक कम्पनीज) की आस्तियां

†*७८७. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री रास रतन गुप्त :

क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २८ जुलाई, १९६२ को पाकिस्तान में भारतीय संयुक्त स्कन्ध समवायों (ज्वाइंट स्टाक कम्पनीज) की आस्तियों के संबंध में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय का ब्योरा क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :** (क) जी नहीं । मामले पर अभी भी पाकिस्तान सरकार से बातचीत हो रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उद्योग के लिये अलौह धातु

†*७८८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष में उद्योग में वितरण के लिये कितनी अलौह धातु उपलब्ध है ;

(ख) बड़े पैमाने के उद्योग को इसका कितना भाग दिया जाता है तथा छोटे पैमाने के उद्योग को कितना भाग दिया जाता है ;

(ग) क्या वर्तमान अवधि के लिये छोटे उद्योगों के कोटे में कोई कटौती कर दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी कटौती की गई है और

(ङ) उद्योग के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा किये जाने वाले दुरुपयोग के बारे में सरकार का अनुमान क्या है और दुरुपयोग को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ८५**]

रूस को सूती कपड़े का निर्यात

†*७८९. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुस सरकार ने २५ लाख रुपये के मूल्य के सूती कपड़े खरीदने के लिये एक करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस करार की शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या रुस से और अधिक माल के लिये आर्डर मिल रहे हैं; और

(घ) यह आर्डर कितनी मात्रा के हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). २५ लाख रुपये के मूल्य के छपे हुए सूती कपड़े के १,८००,००० मीटर का पहले से निश्चित मूल्य पर निर्यात करने के लिये रुस के क्रय संगठन 'एक्सपोर्टल्जोन' से बातचीत की जा रही है। लगभग १० लाख रुपये की सफेद चादरों के अनुमानित ७ लाख मीटर के अग्रेतर आर्डर पर भी विचार हो रहा है ।

संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन सेना

†*७९०. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन सेना के संधारण के लिये धन देने में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों के दायित्वों के सम्बन्ध में 'हेग निर्णय' भारत सरकर पर भी लागू होता है; और

(ख) यदि हां, तो यह वितीय दायित्व कित्तना है तथा इसको किस प्रकार पूरा किया जायेगा ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा के अनुरोध पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने केवल सलाह दी है । संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों पर यह राय लागू नहीं है । राय के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही करना अब संयुक्त राष्ट्र पर है । जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है यह संसद् द्वारा स्वीकृत राशि में से संयुक्त राष्ट्र शांति कार्यों के व्यय का अपना अंश नियमित रुप से दे रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

छावनी निधि कर्मचारी संस्था, अम्बाला के मामले में समझौता कार्यवाही[1]

†२२१०. **श्री चुनी लाल :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि छावनी निधि कर्मचारी संस्था, अम्बाला के मामले में क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कानपुर द्वारा ११ अप्रैल, १९६२ को छावनी बोर्ड, अम्बाला के दफ्तर में हुई समझौता कार्यवाही असफल हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का प्रतिवेदन मिल गया है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार कब तथा क्या कार्यवाही करने का है ; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालयों में श्रम मंत्री (श्री हाथी) :** (क) और (ख). जी हां।

(ग) और (घ). विवाद को न्यायनिर्णयन के योग्य नहीं समझा गया है। संस्था को स्थिति स्पष्ट की जा रही है।

केरल में काजू के छिलकों का द्रव तैयार करने का कारखाना

†२२११. **श्री मे० क० कुमारन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में काजू के छिलकों का द्रव तैयार करने का कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह इस समय किस स्थिति में है।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** इस समय केरल राज्य में काजू के छिलकों का द्रव तैयार करने के कई छोटे पैमाने के कारखाने चल रहेहैं। हाल ही में इसका 'सोलवेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस' द्वारा निर्माण करने का एक प्रस्ताव मिला है।

(ग) प्रस्ताव विचाराधीन है।

केरल में कागज का नया कारखाना

†२२१२. **श्री मे० स० कुमारन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कागज का नया कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी हां।

(ख) एक यूनिट को औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया है और सिद्धान्ततः एक और आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

1 Conciliation Proceedings.

केरल में सुगन्ध उद्योग

†२२१३. **श्री मे० क० कुमारन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में बहुतायत से प्राप्त वस्तुओं का उपयोग करके वहां पर सुगन्ध उद्योग स्थापित करने की संभावनाओं की जांच कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उद्योग को आरंभ करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** :(क) और (ख). केरल में कोई सुगन्ध यूनिट स्थापित करने के लिये सरकर को कोई प्रस्ताव नहीं मिला है । परन्तु मालूम हुआ है मैसर्स हाफमैन ला-रौचे, एक विदेशी सार्थ केरल में आयोनोन कारखाना स्थापित करने की संभावना की जांच कर रही है ।

संवाददाताओं को मान्यतादान

†२२१४. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १६ अगस्त, १९६२ को जिन भारतीय तथा विदेशी संवाददाताओं को मान्यता दी गई थी उनके नाम तथा पते क्या हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संबद्ध है ? **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० ३९९–६२]**

सूचना अधिकारी

†२२१५. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रेस इन्फारमेशन ब्योरो में प्रिन्सपल इंफारमेशन आफीसर, डिप्टी प्रिंसपल इंफारमेशन आफीसर, इंफारमेशन आफिसर तथा असिस्टेंट इंफरमेशन आफीसर इस समय कितने हैं ;

(क) १९६० तथा १९६१ में कितने थे ;

(ग) क्या मितव्ययता करने के कोई प्रस्ताव है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) १९६०, १९६१ तथा १६ अगस्त, १९६२ तक कुल कितना व्यय हुआ ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) और (ख). स्वीकृत संख्या नीचे दी जाती है :-

पद	वर्तमान	३१–१२–६० को	३१–१२–६१ को
प्रिंसपल इंफारमेशन आफिसर	१	१	१
सशस्त्र सेना इंफारमेशन आफिसर	१	१	१
डिप्टी प्रिंसपल इंफारमेशन आफिसर	९	९	९
इंफारमेशन आफिसर	३०	२८	२९
असिस्टैंट इंफारमेशन आफीसर	६६	६५	६६

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी नहीं ।

(घ) १९५७ के वित्त मंत्रालय की विशेष पुनः गठन यनिट द्वारा किए गए अध्ययन के बाद प्रेस इंफारमेशन ब्यूरो की संख्या का पुनरीक्षण किया गया था । समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया था, तथा १ अगस्त, १९५८ से लागू कर दिया गया था । उसके बाद से कर्मचारियों में बिना वृद्धि किए प्रेस इंफारमेशन ब्यूरो का काम बहुत बढ़ गया है ।

(ङ)	१९६०–६१ . . .	३६,८३,८२२ रुपये
	१९६१–६२ . . .	३९,४३,३१४ रुपये
अप्रैल, १९६२ से जुलाई, १९६२ तक .		१३,७२,८४२ रुपये

मान्यताप्राप्त संवाददाताओं के दौरे

†२२१६. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० कुन्हन :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री पु० द० सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की यह नीति है कि समय समय पर विभिन्न परियोजनाओं आदि का मान्यता प्राप्त संवाददाताओं द्वारा दौरा कराये ;

(ख) यदि हां, तो १९५७-१९६१ में ऐसे दौरों के ब्योरे क्या हैं ;

(ग) किन समाचारपत्रों से कितने संवाददाता ऐसे दौरों पर गये थे ;

(घ) समाचार पत्रों तथा संवाददाताओं का चुनाव किस आधार पर किया गया था; और

(ङ) जुलाई, १९६२ में तथा १६ अगस्त, १९६२ तक प्रेस संवाददाताओं ने कितने दौरे किए तथा इन दौरों पर कितना धन व्यय हुआ ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण संबद्ध है **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ४००–६२]**

(ग) समाचारपत्रों में चुनाव करण निम्न हैं :—

कितने क्षेत्र में परिचालन है । समाचारपत्र कितना पुराना है । इसको पहले कितने अवसर मिल चुके हैं तथा क्या प्रचार की आवश्यकता है । संवाददाताओं का चुनाव केवल दिल्ली के मान्यता प्राप्त संवाददाताओं में से ही नहीं होता है । सामान्यतः दौरे में शामिल होने के लिये समाचारपत्रों को आमंत्रित किया जाता है तथा संवाददाता का नामनिर्देशन उन्हीं पर छोड़ दिया जाता है ।

(ङ) जुलाई-अगस्त, १९६२ में एक; दौरे के लिये १९,००० रुपया स्वीकार किया गया था परन्तु वास्तविक व्यय का पता तभी लग सकता है जब सब बिल मिल जायेंगे । दूसरे अतिरिक्त ५

†मूल अंग्रेजी में

अगस्त, १९६२ को प्रथम अणुशक्ति विद्युत् संयंत्र के उद्घाटन के संबंध में नीवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की ओर से प्रेस इंफारमेशन ब्यूरो ने भी संवाददाताओं के दौरे का संगठन किया था। इस दौरे पर व्यय कारपोरेशन करेगा जिसके ७००० रुपये व्यय होने का अनुमान है।

राज्य व्यापार निगम की शाखायें

†२२१७. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रत्येक राज्य में राज्य व्यापार निगम के शाखा कार्यालय खोलने के संबंध में किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक व्यापार निगम के मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और विशाखापटनम में क्षेत्रीय कार्यालय हैं तथा काम की आवश्यकतानुसार विभिन्न राज्यों में सब आफिस तथा फील्ड आफिस भी हैं। विभिन्न राज्यों में नये शाखा कार्यालय खोलने का अभी कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

इलमैनाइट का निर्यात

†२२१८. **श्री मे० क० कुमारन्** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशों में इलमैनाइट के लिये नया बाजार खोजने में सफल हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). जी नहीं। इस खनिज के उत्पादकों की जिम्मेदारी इलमैनाइट के लिये बाजार खोजने की है। परन्तु सरकार अणुशक्ति विभाग और राज्य व्यापार निगम के द्वारा उनकी सहायता कर रही है।

पंजाब में ग्रामीण औद्योगिक बस्तियां

†२२१९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में पंजाब में किन स्थानों में ग्रामीण औद्योगिक बस्तियां चालू की गई हैं ; और

(ख) १९६२-६३ में वे किन-किन स्थानों में चालू की जायेंगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). एक विवरण संबद्ध है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) १९६१–६२ में निम्नलिखित स्थानों पर पंजाब में दस ग्रामीण औद्योगिक बस्तियां चालू की गई थीं :—

१. सराय नागा
२. ओटालोन
३. सोहना
४. धर्मपुर
५. बरवाला
६. घुमान
७. पंजगरैन
८. बनूर
९. सरका कलां
१०. जावाली

(ख) १९६२–६३ में निम्नलिखित स्थानों पर पंजाब में पन्द्रह ग्रामीण औद्योगिक बस्तियां बनाने का प्रस्ताव है :—

१. सनाम
२. धुडेके
३. फतेहगढ़चुरैन
४. कुठनांगल
५. उना
६. हरियाना
७. नकोदर
८. समानपुरा
९. रामगढ़ियाहरन
१०. पिंजोर
११. कैथल
१२. राय
१३. फतेहाबाद
१४. महेन्द्रगढ़
१५. देबरागोपीपुर

पंजाब म रेशम कीट पालन उद्योग

†२२२०. **श्री डी० चं० शर्मा :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ और १९६१–६२ में पंजाब में रेशम कीट पालन उद्योग के विकास की प्रत्येक योजना के लिये केन्द्र द्वारा कितना धन दिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन वर्षों में प्रत्येक योजना के अधीन राज्य द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया ;

(ग) क्या आवंटन का पूरा पूरा उपयोग कर लिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). १९५८–५९ के बाद से लागू प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकारों की योजना का व्यय उद्योगवार निश्चित किया जाता है और योजनावार नहीं। पंजाब राज्य में रेशम कीट उद्योग के विकास के लिये १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में निम्नलिखित रूप में अनुदान और व्यय दिखाया गया है :—

(लाखों में रुपये)

वर्ष	व्यय	व्यय की गई राशि
१९६०–६१	२.९५	१.४९ (वास्तविक)
१९६१–६२	४.००	२.९५ (अनुमानित)

(ग) जी नहीं।

(घ) भूमिअर्जन, भांडार क्रम आदि के विलम्ब के कारण मुख्यतः व्यय में कमी है।

पानीपत में कागज का कारखाना

†२२२१. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीकी फर्म के साथ सहयोग से पानीपत (पंजाब) में कागज के कारखाने की स्थापना के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ख) काम चालू होने की लक्ष्य तिथि का क्या ब्योरा है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). लाइसेंसी फर्म ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह कनाडा की फर्म से सहयोग करने की अनुमति दे जो दीर्घ कालीन ऋण के आधार पर संयंत्र तथा मशीनें भी देगी। पुनरीक्षित प्रस्ताव विचाराधीन है। प्रस्तावित आधार के कारखाने में आरम्भिक कार्य पूरे हो जाने के बाद उत्पादन आरम्भ होने में सामान्यतः तीन वर्ष लग जाते हैं।

पंजाब में खादी का ग्रामोद्योग

†२२२२. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पंजाब में खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास के लिये कितनी रकम स्वीकार की थी ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इसमें से कितनी का उपयोग कर लिया गया है ; और

(ग) कितना कार्य हुआ है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) दूसरी योजनावधि में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने पंजाब में खादी तथा ग्रामोद्योग के लिये ७६४.०८ रुपये दिये हैं ।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और समय पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) खादी तथा विभिन्न ग्रामोद्योगों की दूसरी योजनावधि में पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में उत्पादन तथा रोजगार के लिये दी गई व्यवस्था का विवरण संबद्ध है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८६]** ।

मद्रास में खादी तथा ग्रामोद्योग

†**२२२३. श्री म० प० स्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१–६२ में अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने मद्रास खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को कुल कितनी धनराशि मंजूर की ;

(ख) वास्तव में कितना धन व्यय किया गया ;

(ग) वर्ष १९६१–६२ में मद्रास खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने क्या परियोजनायें आरम्भ कीं ; और

(घ) विभिन्न परियोजनाओं के फलस्वरूप कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) ८४.२७ लाख रुपये ।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग विधि के खर्च के लिये एक वर्ष की अनुमति देता है और इसलिये वास्तव में व्यय की गयी निधि के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) निम्नलिखित उद्योगों के विकास की योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं :—

(१) खादी (अम्बर चरखा समेत)

(२) अनाजों और दालों को साफ करना ।

(३) ग्राम्य तेल

(४) ग्राम्य चमड़ा

(५) गुड़ और खांडसारी

(६) ताड़ का गुड़

(७) खाये न जाने वाले तेल और साबुन

(८) हाथ का बना कागज

---

†मूल अंग्रेजी में

(९) मधु मक्खी पालन उद्योग

(१०) कपड़ा

(११) चीनी मिट्टी के बर्त्तन

(१२) बढ़ाईगीरी और लुहारगीरी

(१३) चूना पत्थर

(घ) अब तक उपलब्ध विवरण के अनुसार, २.८१ लाख व्यक्तियों को पूर्ण-कालिक और अंश-कालिक रोजगार दिया गया ।

निर्यात

२२२४. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वास्तविक उपभोक्ताओं के कोटे में निर्यात संवर्द्धन के लिये जो कटौती की गई है उसका क्या फल हुआ है ; और

(ख) इस कटौती का कितने उपभोक्ताओं पर प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) विदेशी मुद्रा की कमी के कारण अक्तूबर, १९६१ से मार्च, १९६२ की लाइसेंस अवधि में २९ उद्योगों के लिये वास्तविक उपभोक्ताओं के कोटे में कटौती कर दी गई थी किन्तु यह व्यवस्था कर दी गई है कि उन्हें उनके निर्यातों के आधार पर पूरक कोटे दिये जायेंगे ।

(ख) २३७ कारखाने ।

अरब साझा बाजार

†२२२५. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ३ जुलाई, १९६२ को जारी किये गये जोर्डन के श्वेत पत्र में अरब साझा बाजार बनाने पर बल दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इससे अरब देशों में भारतीय व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी, हां । २ जुलाई, १९६२ को ।

(ख) क्योंकि अभी अरब साझा बाजार के प्रस्ताव को कोई निश्चित रूप नहीं दिया गया है, भारतीय व्यापार पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता ।

मनीपुर लोक निर्माण विभाग

†२२२६. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१–६२ में योजना की क्रियान्विति और विकास योजनाओं पर मनीपुर लोक निर्माण विभाग के प्रत्येक डिवीजन ने कुल कितना धन व्यय किया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक डिवीज़न ने कर्मचारियों पर कितना व्यय किया ; और

(ग) कर्मचारियों पर किया गया यह व्यय कैसे और कब उचित है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) और (ख) । (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८७]**

मनीपुर लोक निर्माण विभाग म नियुक्त व्यक्ति

†२२२७. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर लोक निर्माण विभाग ने मस्टर रोल आधार पर कितने व्यक्ति नियुक्त किये हैं ;

(ख) उन्हें कितनी अवधि के लिये नियुक्त किया गया है ;

(ग) वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ में कार्य-भार पर कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये ; और

(घ) उन में से कितने उक्त भाग (क) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) प्रतिदिन संख्या भिन्न होती है।

(ख) जब कभी आवश्यक होता है, श्रमिकों को मस्टर रोल पर थोड़े समय के लिये, जो एक बार में तीन महीने से अधिक नहीं होता, नियुक्त किया जाता हैं।

(ग)

वर्ष	व्यक्तियों की संख्या
१९६०–६१	४५२
१९६१–६२	७६८

(घ) २०८।

आसाम और त्रिपुरा में पाकिस्तान के अवैध कब्जे में क्षेत्र

†२२२८ **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री भू० ना० मंडल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम और त्रिपुरा में कितने स्थान अथवा क्षेत्र पूर्व पाकिस्तानियों के अवैध कब्जे में है ;

(ख) वे कब से इनके कब्जे में है ; और

(ग) कब्जा खाली कराने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गयी है तो वह क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ग). समूची सीमा का सीमांकन किये जाने के बाद ही आसाम और त्रिपुरा में

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तान के अवैध कब्जे में छोटे क्षेत्रों का पता लग सकता है। १-२ अगस्त, १९६२ को पश्चिम बंगाल और आसाम के मुख्य सचिवों और त्रिपुरा के मुख्य आयुक्त के पूर्व पाकिस्तान के मुख्य सचिव के साथ ढाका में हुए सम्मेलन में यह तै किया गया कि इस सीमा पर सीमांकन कार्य शीघ्र किया जाय और किसी भी देश के अवैध कब्जे में क्षेत्र की अदला-बदली की जाये।

२४ परगना में मलिक कालोनी

†२२२९. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने नवम्बर, १९६१ में २४ परगना में बडानगर थाने के अधीन २०७ बी० टी० रोड पर मलिक कालोनी के लिये अपनी विकास योजना पेश की है और ७६,००० रुपये की धनराशि की मंजूरी की प्रार्थना की है ;

(ख) क्या नगरपालिकाओं से पूछा गया है कि क्या वे विकास-कार्य का उत्तरदायित्व संभालने को तैयार हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि ४२ नगरपालिकाओं में से ४० ने सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत यह स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट की है ;

(घ) क्या यह सच है कि मलिक कालोनी के निवासियों को पीने के पानी, रोशनी और स्वच्छता व्यवस्था के अभाव में बहुत तकलीफ हो रही है ; और

(ङ) कालोनी की विकास योजना में शीघ्रता करने और इसको नियमित करने के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) जी, हां। इस प्रस्ताव को ऐसे मामलों के लिये निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण में पुनर्परीक्षण के लिये राज्य सरकारों को वापस भेज दिया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने बताया है कि ४१ नगरपालिकाओं में से ३८ ने विकास की जिम्मेदारी संभालने में असमर्थता प्रकट की है।

(घ) पश्चिम बंगाल सरकार यह नहीं समझती कि मलिक कालोनी के निवासियों को कोई बड़ी कठिनाई अनुभव नहीं हो रही है।

(ङ) यदि नगरपालिका ऋण लेने को राजी है, तो विकास की योजना पर विचार किया जायेगा। जहां तक नियमित किये जाने का सम्बन्ध है, स्थिति यह है कि मलिक कालोनी में १५७ परिवारों में से १३० परिवारों के कब्जे को नियमित किया जा चुका है। बाकी परिवारों को नियमित करने का कार्य किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

बागलकोट सीमेन्ट कम्पनी लिमिटेड

†२२३०. **श्री सं० ब० पाटिल:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मैसूर राज्य में बागलकोट सीमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, बागलकोट के, जैसा कि इस कम्पनी की वर्ष १९६१ की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है, निधि उपकरण, स्टोर और सेवाओं के बारे में गंभीर आरोपों का पता है ; और

(ख) यदि हां, तो अंशधारियों के हित में और ऐसे उद्योगों के विकास के लिये सरकार मैनेजिंग एजेंटों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) जी, हां। सरकार को इन आरोपों का पता है।

(ख) सरकार समझती है कि कम्पनी की पिछली सामान्य बैठक में अंशधारियों ने इन आरोपों की जांच करने के लिये पांच व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त की है जिसके अध्यक्ष बम्बई के एक विख्यात सालिसिटर हैं और इस समिति की रिपोर्ट पर २० सितम्बर, १९६२ को होने वाली कम्पनी की स्थगित सामान्य बैठक में अंशधारियों द्वारा विचार किया जायेगा। इस प्रगति को देखते हुए सरकार इस समय कोई और कार्यवाही नहीं करना चाहती।

काफी बागान

†२२३१. **श्री रामेश्वर राव:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एक ऐसा नया रोग है जिसका काफी बागानों पर प्रभाव पड़ता है और इसके उत्पादन में कमी होती है ;

(ख) क्या उत्पादन में इस कमी के लिये यह नया रोग अंशत: जिम्मेवार है ;

(ग) इस कमी से हमारे निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा ;

(घ) इस नये रोग को दूर करने के लिये उठाये जाने वाले कदमों का क्या ब्योरा है ; और

(ङ) क्या विशेष विशेषज्ञ समिति द्वारा अपने प्रतिवेदन में दिये गये सुझाव क्रियान्वित किये गये हैं और यदि हां, तो वे किस हद तक क्रियान्वित किये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) और (ख). अभी यह तै नहीं किया जा सका कि क्या विभिन्न काफी बागानों में हाल के वर्षों में पता लगे लक्षण इस नये रोग के हैं अथवा इस रोग के कारण किसी वर्ष उत्पादन में कमी हुई है और वह कमी फसल में चक्री विभिन्नता के कारण नहीं है जैसा कि काफ़ी उत्पादन में होता है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) और (ङ). वर्ष १९५९ से काफी बोर्ड के अनुसन्धान विभाग द्वारा किये गये जांच पड़ताल को गहन रूप दिया गया है। इस जांच पड़ताल की उपपत्तियों के आधार पर

---

†मूल अंग्रेजी में

उपचारात्मक उपायों के प्रभावों पर ध्यान दिया जा रहा है। समस्या के अन्य पहलुओं की, देश में प्रमुख वैज्ञानिकों और अन्य अनुसन्धान संस्थाओं के मार्ग दर्शन और सहायता से अनुसन्धान विभाग के एग्रोनामी, बोटनी, कैमिस्ट्री, माइकोलाजी और एन्टोमालोजी डिवीजनों में, जांच की जा रही है। विशेष विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सभी संभव कदम उठाये गये हैं।

त्रिपुरा में 'दुकान सहायक'

†२२३२. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में कितने दुकान सहायक (शाप असिस्टेंट) हैं ;

(ख) वे कितने घंटे काम करते हैं ;

(ग) क्या उनकी सेवा की सुरक्षा की प्रत्याभूति के लिये कोई अधिनियम है ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस मामले में कोई कानून बनायेगी ; और

(ङ) क्या उनके लिये कोई न्यूनतम मजूरी निर्धारित की जावेगी ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) :** (क) नगरताला नगरपालिका के अधीन वर्ष १९६१ में ११३५, जहां अधिनियम लागू है।

(ख) बंगाल दूकान तथा संस्थान अधिनियम, १९४०, जो १९५३ में त्रिपुरा में लागू किया गया था, के अनुसरण में प्रतिदिन १० घंटे से अधिक नहीं और सप्ताह में अधिकाधिक ५६ घंटे।

(ग) और (घ). दुकान सहायकों की सेवा की सुरक्षा के लिये कोई विशेष नियम नहीं है परन्तु यदि उन्हें हटाया जाता है या मुअत्तल किया जाता है और कोई औद्योगिक विवाद उठता है तो उस पर औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन कार्यवाही की जा सकती है ।

(ङ) दुकानों पर रोजगार को न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८ की अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है और इसलिये त्रिपुरा प्रशासन द्वारा दुकान सहायकों की न्यनतम मजूरी निर्धारित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

किंग्सवे कैम्प, दिल्ली में शरणार्थी क्वार्टर

†२२३३. **श्री प्र० चं० बरूआ :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १५ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३२०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व प्रश्न के भाग (ग) में निर्दिष्ट ५ सदस्यों से अधिक सदस्य वाले परिवारों की संख्या का पता लगा लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो संख्या क्या है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या रीड्स लाइन, किंग्सवे कैम्प के दुमंजिले क्वार्टरों के आवटीयों को एक आश्वासन दिया गया कि यदि प्राथमिक आवंटन के बाद कुछ क्वार्टर बचे रहे, तो उन परिवारों को दो क्वार्टर आवंटित करने के मामले पर विचार किया जायेगा ;

(घ) यदि हां, तो वे क्वार्टर आवंटित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ङ) क्या सम्बन्धित शरणार्थियों के संघ से कोई ताज़ा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). रीड्स लाइन, किंग्सवे कैम्प में ५ सदस्यों से अधिक सदस्य वाले ३४ परिवारों को दो क्वार्टर दिये गये हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्ट

२२३४. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री:**
श्री स० ब० पाटिल :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक-सभा के पिछले अधिवेशन में उन्होंने आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों की सेवा सम्बन्धी शर्तें सुधारने के बारे में जो आश्वासन दिये थे उन्हें पूरा करने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) क्या भारत सरकार के स्थायी कर्मचारियों को प्राप्त सिटी कम्पेन्सेटरी अलाउन्स, मकान किराया तथा उधार आदि की सुविधायें स्टाफ आर्टिस्टों को भी दी जाती हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : (क) पिछले अधिवेशन में बजट पर बहस के दौरान, मैंने स्टाफ आर्टिस्टों के ठेके की वर्तमान तीन साल की अवधि को ५ साल तक बढ़ाने की सम्भावना के बारे में चर्चा की थी। यह और दूसरे सम्बन्धित मामले विचाराधीन हैं ।

(ख) आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्ट सिटी कम्पेन्सेटरी अलाउन्स या मकान किराया के हकदार नहीं हैं। लेकिन वे सरकारी निवास-स्थान के पाने और नीचे लिखे कुछ कर्ज़ों और एडवान्स के हकदार हैं :—

(१) रेडियो सेट खरीदने के लिए कर्ज़ा,

(२) फेस्टीवल ऐडवान्स,

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(३) टी० ए० ऐडवान्स,

(४) बाढ़, बवंडर, इत्यादि जैसे संकट के समय ऐडवान्स, और

(५) चिकित्सा के लिए ऐडवान्स ।

(ग) आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्ट नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। उनकी फीस और दूसरी शर्तें उनके साथ हुए करार और इस बारे में बनाए गए नियमों पर निर्भर करती हैं ।

बागान श्रमिकों के लिये मकानों का निर्माण

†२२३५ { **श्री प० कुन्हन:**
श्री प्र० चं० बरुआ:
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़:
श्री प्र० के० देव:
श्री बूटा सिंह: }

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बागान श्रमिक आवास योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा इसको **अप्रैल,** १९५६ में लागू किये जाने के बाद से प्रत्येक राज्य में (वर्ष-वार) कितने मकान बनाये गये हैं ;

(ख) उक्त अवधि में वर्ष-वार प्रत्येक राज्य को योजना के अन्तर्गत मकान बनाने के लिये योजना आयोग ने कुल कितना आवंटन किया ;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने आवंटित धनराशि पूरी व्यय कर ली है ;

(घ) यदि नहीं, तो कितनी कमी है ;

(ङ) इस कमी के क्या कारण हैं ;

(च) क्या यह भी सच है कि योजना की क्रियान्वित में प्रगति बहुत धीमी है ; और

(छ) यदि हां, तो योजना की प्रगति में तेज़ी लाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८८]**

(ङ) से (छ). प्रगति मुख्यतः योजना के अधीन दिये गये ऋण पर राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई जमानत बागान मालिकों द्वारा न दिये जा सकने के कारण कम है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये राज्य सरकारों को पूल प्रत्याभूति निधि स्थापित करने को कहा गया है जो बट्टेखाते की रकम आदि के बारे में जमानत का काम कर सके जो जमानत की स्थिति में छूट देने से उत्पन्न हो। निधि स्थापित करने में सहायता के लिये उनको निधि के प्रबन्ध के प्रबन्ध के लिये प्रारूप आदर्श नियम जनवरी, १९६२ में परिचालित किये गये ।

†मूल अंग्रेजी में

हाल में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने वित्त के सभी मामलों पर विचार करने और बागान श्रमिकों के लिये आवास कार्यक्रम को शीघ्र पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिये मार्गोपाय निकालने के लिये एक कार्यकारी दल भी स्थापित किया है ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना अस्पतालों में पलंगों का आरक्षण

†२२३६. **श्री प० कुन्हन : क्या श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत श्रमिकों के लिये अस्पतालों में कोई पलंग सुरक्षित रखे गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कुल कितने पलंग सुरक्षित रखे गये हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी, हां ।

(ख)

राज्य का नाम	(प्रसूति समेत) सामान्य पलंग	क्षय रोगी पलंग	कुल
आंध्र प्रदेश	९८	६२	१६०
आसाम	..	१०	१०
बिहार	५९	१५	७४
दिल्ली	८०	३०	११०
केरल	१२४	६७	१९१
मद्रास	३५६ (कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, मद्रास में १५०)	२२३	५७९
मध्य प्रदेश	१२७	८६	२१३
महाराष्ट्र	६२५ (महाराष्ट्र गांधी मेमोरियल अस्पताल, बम्बई में ३००)	२२३	११६०
मैसूर	१७५ (कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, बंगलौर में १४८)	६७	२४२
राजस्थान	७	१५	२२
पंजाब	४८	६	५४
उत्तर प्रदेश	११२ (कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, कानपुर)	..	११२
पश्चिम बंगाल	२९६	२१०	५०६
कुल योग	२१०७	१३२६	३४३३

†मूल अंग्रेजी में

लंका में भारतीय

†२२३७. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि लंका सरकार लंका में बसे भारतीयों की नौकरी पर प्रतिबन्ध लगा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करेगी?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** (क) और (ख). लंका सरकार की लंकाकरण नीति के अन्तर्गत लंका में विभिन्न वाणिज्यिक, औद्योगिक और बागान समवायों में लंकावासी और गैर लंकावासियों की नौकरी के लिये कुछ कोटा निर्धारित किया गया है। प्रतिबन्ध भारतीय उद्भव के राज्य-विहीन व्यक्तियों, अर्थात् वे व्यक्ति जो न लंकावासी नागरिक रजिस्टर किये गये है और न भारतीय नागरिक, समेत सभी गैर-लंकावासियों पर लागू होते हैं।

जो योजना अब तक नगरीय क्षेत्रों में लागू थी, उसको हाल ही में उन बस्तियों में, जहां बड़ी संख्या में राज्य-विहीन व्यक्ति नियोजित हैं, लागू करने का विचार किया गया। इस प्रस्ताव की क्रियान्विति के बारे में २३ मई, १९६२ को लंका की संसद में एक विधेयक पुरःस्थापित किया गया है।

भारत सरकार ने लंका सरकार को बताया है कि राज्य–विहीन व्यक्तियों को उनके रोजगार से वंचित करके वे उन व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता के लिये आवेदन करने को विवश करेंगे जो कि वर्ष १९५४ के भारत-लंका करार के अनुसरण में नहीं है।

विधेयक पर आगे विचार स्थगित कर दिया गया है।

जागरेब, यूगोस्लाविया में अन्तर्राष्ट्रीय मेले

†२२३८. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ८ सितम्बर से २३ सितम्बर, १९६२ तक जागरेब यूगोस्लाविया में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय मेले में भाग ले रही है ;

(ख) हमारे भाग लेने में क्या उद्देश्य है; और

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिये किस मद पर विशेष बल दिया जायेगा?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी हां।

(ख) इसमें भारतीय वस्तुओं के दृश्य वाणिज्यिक प्रचार के लिये भाग लिया जा रहा है ताकि यूगोस्लाविया और इसके निकटवर्ती देशों में भारतीय सामान की मंडी बनाने, बढ़ाने और बनाये रखा जा सके;

(ग) आरम्भिक चीजें जैसे चाय, काफी, काली मिर्च, नारियल-जटा, चमड़ा तथा खालें आदि के अतिरिक्त निर्यात की गैर–पारम्पिरिक वस्तुओं, जैसे छोटे और वैज्ञानिक

†मूल अंग्रेजी में

औजार, सिलाई की मशीनें, साइसिकलें, वैक्युम बोतल, बैटरियां, डीजल इंजन, बिजली की मोटर, खराद आदि और डिब्बे में बंद फल, औषधीय और प्रसाधन सामग्री जैसी उपभोक्ता वस्तुओं के प्रदर्शन पर भी बल दिया जायेगा।

शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड

†२२३९. **श्री सोनावने :**
श्री प० ना० कमाल :
श्री सिदय्या :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड के कार्य की जांच करने के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त की गयी समिति के प्रतिवेदन का परीक्षण कब पूरा होगा और प्रतिवेदन सभा पटल पर कब रखा जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** समिति का प्रतिवेदन शीघ्र मिलने की आशा है। गोपनीय कागजात होने के नाते इसको सभा पटल पर रखना लोक-हित में नहीं होगा।

राजस्थान की तृतीय योजना के लक्ष्य

†२२४०. **श्री काशी राम गुप्त :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने अपने तृतीय पंचवर्षीय योजना लक्ष्यों में स्वयं कमी करना चाहा है या भारत सरकार उनसे ऐसा कह रही है; और

(ख) यदि हां, तो योजना लक्ष्यों में किस हद तक कमी की जावेगी?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मैसूर राज्य को सहायता तथा ऋण

†२२४१. **श्री सं० ब० पाटिल :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान मैसूर राज्य को कितनी सहायता और ऋण दिया गया;

(ख) सहायता और ऋण किन विशिष्ट प्रयोजनों के लिये दिये गये; और

(ग) परियोजनायें कहां तक पूरी हुई ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री** (श्री नन्दा): (क) राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). प्रक्रिया के अनुसार, केन्द्रीय सहायता का प्राक्कलन राज्य की योजना में शामिल, परन्तु विकास की मदों में निर्दिष्ट विभिन्न परियोजनाओं के लिये स्वीकृत नक्शे और तरीके के आधार पर किया जाता है। राज्य के वित्त विभाग द्वारा बताये गये व्यय के अनुसार भुगतान किया जाता है। अतः, नदी घाटी परियोजनाओं के अतिरिक्त द्वितीय योजना में पृथक-पृथक योजनाओं के लिये दी गयी केन्द्रीय सहायता के बारे में बताना संभव नहीं है।

प्रेस सूचना कार्यालय

†२२४२. **श्री विश्वनाथ राय :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष १९५९, १९६० और १९६१ में प्रेस सूचना कार्यालय में कितना व्यय किया गया और वर्ष १९६२ के लिये प्राक्कलित व्यय कितना है ;

(ख) सदर मुकाम और शाखाओं ने कितना व्यय किया;

(ग) अंग्रेजी और हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में प्रचार पर पृथक पृथक कितना व्यय किया गया; और

(घ) व्यय में कमी करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) :**

		रुपये
(क)	१९५९-६०	३८,००,९७४
	१९६०-६१	३६,८३,८२२
	१९६१-६२	३९,४३,३१४
	वर्ष १९६२-६३ के लिये प्राक्कलित व्यय	३९,१७,०००

(ख) वर्ष	सदरमुकाम	शाखा/प्रादेशिक कार्यालय
	रुपये	रुपये
१९५९-६०	२६,०६,७९१	११,९४,१८३
१९६०-६१	२४,५२,३५७	१२,३१,४६५
१९६१-६२	२६,१४,७७८	१३,२८,५३६
वर्ष १९६२-६३ के लिये प्राक्कलित व्यय	२५,६५,३००	१३,५१,७००

(ग) अंग्रेजी में प्रचार और हिन्दी में और प्रादेशिक भाषाओं में प्रचार के लिये पृथक पृथक व्यय आवंटित करना संभव नहीं है ।

(घ) वर्तमान सेवाओं में कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस बात की ओर ध्यान दिया जा रहा है कि सेवाओं पर व्यय में अधिकतम मितव्ययता की जाये।

†मूल अंग्रेजी में

‡Press Information Bureau

रोजगार के दफ्तरों में नाम दर्ज व्यक्ति

२२४३. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संघ राज्य-क्षेत्रों में पिछले १ वर्ष में कितने व्यक्तियों ने रोजगार दफ्तरों में नाम रजिस्टर कराये और कितनों को नौकरियां दिलाई गई ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) : अगस्त, १९६१ से जुलाई १९६२ तक संघ राज्य-क्षेत्र के रोजगार कार्यालयों में दर्ज नाम तथा इन कार्यालयों की सहायता से रोजगार पाने वालों की संख्या :

संघ राज्य क्षेत्र	दर्ज नाम	रोजगार पाने वालों की संख्या
दिल्ली	१०८७१६	८४७६
हिमाचल प्रदेश	१६७२६	३५६५
मणिपुर	९५४६	९८२
पांडुचेरी	२३६१	१५७
त्रिपुरा	७४८३	६४४
	१४४८३२	१३८२४

नोट:—अंडमान निकोबर द्वीपसमूह में पोर्ट ब्लेयर के लिये एक रोजगार दफ्तर खोलने की मंजूरी दी जा चुकी है, लेकिन यह दफ्तर जुलाई १९६२ तक चालू नहीं हुआ।

उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां

†२२४४. **श्री राम हरख यादव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अब तक कितनी औद्योगिक बस्तियां स्थापित की गयी अथवा निकट भविष्य में स्थापित किये जाने की संभावना है ;

(ख) कथित बस्तियों का क्या ब्योरा है; और

(ग) योजना में राज्यों का क्या योगदान है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८९]**

टाइपराइटर

†२२४५. **श्री बिशनचन्द्र सेठ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में प्रतिवर्ष कितने टाइपराइटर बनाये जाते हैं और आन्तरिक खपत के लिये कितने टाइपराइटर चाहिये;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार अधिक उत्पादन को ध्यान में रखते हुए अन्य देशों को टाइपराइटर निर्यात करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं जिनको इनका निर्यात किया जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** (क) वर्ष १९५९, १९६०, १९६१ और १९६२ (जनवरी-जून) में क्रमशः २१४३७, २३५४९, ३११०१ और १८००९ टाइपराइटर बनाये गये । घरेलू खपत के लिये अपेक्षित संख्या १ का कोई अधिकृत मूल्यांकन उपलब्ध नहीं है। इस समय देश में निर्मित सारे टाइपराइटर आन्तरिक मांग पूरी करते हैं ।

(ख) और (ग). कुछ टाइपराइटर पहले ही भारत से लंका, मलाया, बर्मा और पाकिस्तान को निर्यात किये जा रहे हैं। एक निर्माता ने बड़ी संख्या में टाइपराइटर निर्यात करने का कार्यक्रम भेजा है और उनको निर्यात कार्यक्रम के विरुद्ध कच्चे माल और पुर्जों के आयात के लिये आवश्यक सहायता दी जा रही है

गवर्नमेंट आफ इण्डिया प्रैस, नई दिल्ली में प्रशिक्षार्थियों का प्रशिक्षण

†२२४६. **श्री बाल्मीकी :**
श्री दे० शि० पाटिल :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के प्रैसों में तकनीकी व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिये वर्ष १९५८ में लागू प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत गवर्नमेंट आफ इण्डिया प्रेस, नई दिल्ली में जिल्द-साजी और मशीन-मरम्मत में पहले दल में कितने प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया ;

(ख) इनमें से कितनों ने और कब अपना प्रशिक्षण पूरा किया ; और

(ग) उनमें से जिन्होंने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, कितनों को सरकार ने रोजगार दिया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :** (क) जिल्दसाजी में तीन, मशीन-मरम्मत में दो और कम्पोजिटरी में तीन ।

(ख) सभी आठों ।

(ग) कम्पोजिटरी में प्रशिक्षित तीन ।

गोआ मे कृषि का विकास

†२२४७. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ में वार्षिक कृषि उत्पादन का वर्तमान स्तर क्या है और कुल कितने क्षेत्र में खेती होती है ; और

(ख) तृतीय योजना के दौरान गोआ में कृषि उत्पादन का कितना लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु)** : (क) गोआ में वार्षिक कृषि उत्पादन का वर्तमान स्तर ७५,००० टन है और खेती के अधीन कुल क्षेत्र लगभग ३,८३,९६५ एकड़ है ।

(ख) यह अनुमान लगाया जाता है कि तृतीय योजना के अन्त तक कुल वार्षिक उत्पादन लगभग १,२५,००० टन हो जाये ।

गोआ के लिये उपभोक्ता वस्तुओं का आयात

†२२४८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में आयात पर किस हद तक निर्भर है ;

(ख) यह मांग किस हद तक देश के अन्य भागों से संभरण कर पूरी की जायेगी ; और

(ग) आगामी वर्ष इस सामान के किस हद तक आयात करने की अनुमति दी जायेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय-व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). गोआ में स्थानीय रूप से नारियल, काजू, सुपारी, मछली और नमक उलपब्ध है । बाकी भारत में उत्पादित तथा आयातित उपभोक्ता तथा अन्य वस्तुओं की सभी किस्मों को गोआ में निर्बाध रूप से ले जाने की अनुमति है। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता वस्तुओं की मांग अधिकतर भारत के बाकी भाग से संभरण कर के पूरी हो जाती है । उपभोक्ता वस्तुओं की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है, जिन्हें अप्रैल-सितम्बर, १९६२ में गोआ के लिये विशेष महत्व की समझ कर गोआ में खपत के लिये विदेशों से आयात की अनमति दी गयी है ;

विवरण

१. दुग्ध (चूर्ण और संघनित)
२. मक्खन
३. सेफ्टी रेजर और ब्लेडों के अतिरिक्त छुरी कांटे आदि ।
४. मछली पकड़ने के जाल और धागे
५. गंध द्रव्य, लोशन, पाउडर आदि
६. मसाले
७. घड़ियां और टाइम-पीस (१०० रुपये से कम मूल्य के)
८. सेल्यूलाइड और गैलेटीन सामान
९. डिब्बे में बन्द मांस
१०. व्हिस्की

†मूल अंग्रेजी में

११. कागनैक (ब्रांडी)

१२. शराब, कामन रेड

१३. शराब, कामन व्हाइट

१४. शराब, चैम्पेन जैसे झाग वाली

१५. शराब, पोरटो

१६. शराब (मादक द्रव्य)

१७. कागज (छपाई का)

१८. कागज (लपेटने का)

१९. कपड़े की अनुमति प्राप्त किस्में जैसे :

टुइल और साटन इटालियन, बढ़िया मलमल, छाते का कपड़ा, बढ़िया लोन और मलमल, आरकंडी, पापलीन, जाली, कैम्बरिक, मोटा डोरिया, लिमरिक, और फैशन प्रिंट आदि, अर्थात क्रीज वाली वस्तु के लिये स्थायी रूप से संश्लिष्ट फिनिश वाले प्रिंट, अबेशन रेजिस्टेन्स, स्थायी चमक वाली वायल, पटटू, साटन ड्रिल और जीन, साटन ड्रिल आदि ।

२०. पनीर (डिब्बे और बाल्स)

२१. विविध खाद्य पदार्थ

२२. डिब्बे में बन्द खाद्य पदार्थ

२३. सिगरेटों के लिये कागज

(ग) अक्टूबर, १९६२ में आरम्भ होने वाली अगली लाइसेंस अवधि में विदेशों से गोआ में उपभोक्ता वस्तुओं के आयात के बारे में नीति पर इस समय विचार किया जा रहा है ।

गोआ, दमन और दीव में आयात की गई घड़ियों का पकड़ा जाना

†२२४९. **श्री ब्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व पुर्तगाली बस्तियों, गोआ, दमन और दीव में आयात की हुई कीमती घड़ियों का बड़ा भंडार पकड़ा गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस हद तक ;

(ग) उन्हें किस प्रकार बेचा गया है अथवा बेचा जायेगा ;

(घ) क्या इन क्षेत्रों में अन्य आयातित सामान, जिनके तस्कर व्यापार की सम्भावना थी, का भंडार भी मिला है ; और

(ङ) यदि हां, तो किस हद तक ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ङ). पुर्तगाली शासन के दौरान गोआ, दमन और दीव में घड़ियां, सिगरेट लाइटर आदि जैसी वस्तुओं का बड़ी मात्रा में आयात किया गया था । यह मात्रा उन क्षेत्रों में

†मूल अंग्रेजी में

बिक्री के लिये अपेक्षित मात्रा से बहुत अधिक थी और पुर्तगाली अधिकारियों ने इनके भारत में तस्कर व्यापार को प्रोत्साहन दिया।

कई आयातकों ने इन सामानों के लिये मुक्ति से पूर्व क्रमादेश दिये थे और भुगतान कर दिया था। जब मुक्ति के बाद यह सामान गोआ, दमन और दीव पहुंचा, तो उसको सीमा शुक्ल अधिकारियों ने छुड़ा दिया। यह पता लगा कि दमन में आने वाली मात्रा बहुत अधिक है और यह आशंका थी कि इसमें से अधिकांश भारत के भाग को भेजा जायेगा। अतः भारत सरकार ने महसूस किया कि लाभ कमाये जाने को रोकने के लिये, यह सुनिश्चित करने के लिये कि यह सामान लगभग उसी मूल्य पर बेचा जाये जो भारत में प्रचलित है और दमन में व्यापारी लोग उचित लाभ कमायें, कुछ उपाय किये जाने चाहियें। इन उपायों को अन्तिम रूप दिये जाने तक आयातकों से यह पार्सल देने का काम रोक दिया गया।

अब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शुल्क दे कर और दमन सुधार निधि से अतिरिक्त सरचार्ज देकर इन पार्सलों को छोड़ने के आदेश जारी कर दिये हैं।

आणविक परीक्षणों पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी प्रस्ताव

†२२५०. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने १७ राष्ट्रों के निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में प्रस्ताव रखा कि केवल रूस और अमरीका के सह-अध्यक्ष आणविक परीक्षण प्रतिबन्ध करार बनायें; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन मे इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** (क) नि-शस्त्रीकरण सम्मेलन ने पूर्ण सत्र, समूची समिति और आणविक उप-समिति में विचार की एक पद्धति समेत कार्य की कुछ प्रक्रियां अपनायी हैं। अमरीका और रूस के प्रतिनिधियों को सम्मेलन में सह-अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। सम्मेलन में अनुसरण की एक पद्धति इस मामले को दोनों सह-अध्यक्षों को निर्देशित करना है जब कि दोनों ओर मतभेद कम होने को ध्यान में रखते हुए एक सहमत समाधान की संभावना है। इस प्रक्रिया से पहले अवसरों पर कुछ सफलता मिली है। तदनुसार, २० अगस्त, १९६२ को सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि ने अपने वक्तव्य में इस प्रक्रिया की ओर ध्यान दिलाया और सुझाव दिया कि इस समय, जब कि दोनों ओर आणविक परीक्षणों के मामलों में मतभेद कुछ कम हो गय है और समझौते की अति आवश्यकता है, यह प्रक्रिया अपनाना लाभप्रद होगा।

(ख) यह सुझाव सह-अध्यक्षों ने स्वीकार कर लिया और इसको निःशस्त्रीकरण समिति ने स्वीकार कर लिया।

बिहार में कपड़ा मिल

†२२५१. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) बिहार राज्य में कपड़ा मिल स्थापित करने की दिशा में यदि कोई प्रगति की गई है तो वह क्या है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उसमें उत्पादन कब आरम्भ होगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) पटना में १२,००० तकुवों वाली एक कपड़ा मिल स्थापित करने के लिय फरवरी, १९५७ में एक लाइसेंस दिया गया था । इस लाइसेंस की क्रियान्विति में की गई प्रगति निम्न प्रकार बतायी गई है :

(१) २० लाख रुपये की पूंजी व्यवस्था की गयी है ।

(२) मुख्य कारखाना इमारत पूरी हो गई है ।

(३) सभी मशीनों के लिये व्यादेश दे दिय गया है और ९० प्रतिशत मशीनें आ भी गई हैं ।

इस परियोजना के वर्ष १९६२ के अन्त तक पूरा होने की आशा है ?

बिहार और उड़ीसा के औद्योगिक क्षेत्र

†२२५३. **श्री ह० च० सौय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि बिहार और उड़ीसा के औद्योगिक क्षेत्रों में बन उत्पाद अर्थात् इमारती लकड़ी, बांस, सवाई घास और अन्य उत्पाद बहुत हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इन उत्पादों पर आधारित कुटीर और छोटे पैमाने के उद्यागों के विकास के लिय प्रगति बहुत कम की गई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में प्रगति में वृद्धि करने के लिय व्यापक योजनायें बनायेगी; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या व्योरा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) वन उत्पादों के इस्तेमाल वाले कई कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योग है यद्यपि इस क्षेत्र में प्रगति धीमी है ।

(ग) और (घ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

इन दो राज्यों में किय गये सर्वेक्षणों के फलस्वरूप कुटीर तथा छोट पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये निम्नलिखित नये उद्योगों का सुझाव दिया गया है :

१. ऊन साफ करना ।

२. लकड़ी के फर्नीचर ।

३. जोयनरी

४. रेलवे वैगन के भाग और सलीपर

५. रंगाई की डाइयां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

६. तेल साफ करना ।

७. दोनों राज्यों के वनों में उपलब्ध जड़ी बूटियों और औषधियों पर आधारित दवाईयां ।

उपरोक्त सर्वेक्षण के अतिरिक्त राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने भी दोनों राज्यों का तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण किया है और उनका प्रतिवेदन प्रकाशित हो गया है ।

उड़ीसा सरकार पंचायत उद्योग कार्यक्रम के अन्तर्गत सहकारी क्षेत्र में निम्नलिखित उद्योग स्थापित करने के लिय कदम उठा रही है ।

(१) बढ़ईगीरी ।

(२) आरा मिल

(३) लकड़ी साफ करने के संयंत्र ।

इसने वन संसाधनों के विदोहन के लिये दो प्रमुख परियोजनायें भी स्थापित की है। बिहार के लिय कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है ।

बिहार में टसर कपड़े का उत्पादन

†२२५४. **श्री ह० च० सौय :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में छोटा नागपुर जिले में बड़ी मात्रा में कोकून का उत्पादन होता है और टसर कपड़ा बुनना वहां देशीय उद्योग है; और

(ख) यदि हां, तो स्थानीय रूप से कोकून के उत्पादन की खपत करने और देशीय बुनकरों को प्रोत्साहन देने और विकसित करने के लिये क्या कदम उठाये गये है ।?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

बिहार की राज्य सरकार ने, भारत सरकार की वित्तीय सहायता से स्थानीय रूप से कोकून को इस्तेमाल करने के लिये रील भरने वालों और कताई करते वालों को प्रोत्साहन देने के ख्याल से कई योजनायें क्रियान्वित की हैं। टसर रीलिंग और कताई के लिय पांच प्रशिक्षण-एवं-उत्पादन केन्द्र है, दो सिंहभम जिले में, एक हजारीबाग जिले में, एक संथाल परगना , और एक मुंगेर जिले में। ये केन्द्र परिगामी प्रदर्शन पक्ष के स्वरूप है। इस योजना के अधीन द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में टसर रीलिंग और कताई में २०० व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया। राज्य सरकार भी सरकारी रेशम संस्था, भागलपुर में टसर रीलिंग और कताई में प्रशिक्षण दे रही है। द्वितीय योजना काल में इस संस्था में १९५ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। राज्य सरकार ने ५० प्रतिशत राज-सहायता - आधार पर प्रशिक्षित व्यक्तियों को वितीत करने के लिये ५५ बढ़िया टसर रीलिंग मशीनें और ३३ टसर कताई मशीनें खरीदी है। इसके अतिरिक्त, राज्य में सभी टसर उत्पादन केन्द्रों, आसीड केन्द्रों और अन्य विभागीय यनिटों में कताई और रीलिंग

†मूल अंग्रेजी में

में एक नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है ।इस कार्यक्रम के अधीन द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ८,००० से भी अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया । राज्य सरकार ने बुनाई में प्रशिक्षण देने के लिये ५ प्रमुख केन्द्रों में चलती फिरती टसर रेशम बुनाई प्रशिक्षण कक्षाओं की भी व्यवस्था की है ।

राज्य सरकार तृतीय योजना की बाकी अवधि में सिंहभूम, रांची, हजारीबाग, धनबाद, पालामउ, और सन्थाल परगना जिलों में और प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र और सहकारी समितियां स्थापित करेगी ताकि कपड़ा बुनने के समेत, इसके सभी निर्माण तरीकों में कोकन का स्थानीय रूप से इस्तेमाल किया जा सके ।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

†२२५६ { **श्री काशी राम गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रा० बरुआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के जरिये छोटे पैमाने के उद्योगों को किन विभिन्न किस्मों की मशीनें संभरित की जाती हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि १ अगस्त, १९६१ को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा अखिल भारत मास्टर प्रिन्टर्स फैडरेशन द्वारा अभ्यावेदन करने पर क्रयविक्रय आधार पर छपाई की मशीनें देने के लिये अधिकतम सीमा बढ़ा कर, ५,२५,००० रुपये कर दी गयी;

(ग) क्या यह भी सच है कि उसके फौरन बाद राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने क्रयविक्रय आधार पर छपाई की मशीनें देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ). एक **विवरण** संलग्न है ।

विवरण

(क) निगम मुख्या उपभोक्ता सामान और फालतू पुर्जे बनाने के लिये अपेक्षित औद्योगिक मशीनें और मशीनी औजारों का संभरण करता है ।

(ख) ३० मई, १९६१ से आयातित मशीनों पर सीमा-शुल्क में वृद्धि को देखते हुए छपाई की मशीनों के संभरण के लिये अधिकतम सीमा ५०,००० से बढ़ा कर ५२,५०० रुपये (न कि ५,२५,००० रुपये) की गयी ।

(ग) प्रतिबन्ध जनवरी, १९६२ में लगाया गया था ।

(घ) इस बात को देखते हुए कि छोटे पैमाने के क्षेत्र में छपाई उद्योग में तेजी से विस्तार हुआ है और वर्तमान क्षमता पर्याप्त समझी गयी, है, प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक समझा गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

समवाय अधिनियम

†२२५७. **श्री हिम्मत सिंह जी :**
श्रीमती गायत्री देवी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समवाय अधिनियम में कोई परिवर्तन करना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मैसूर में एसिटेट फ्लेक[1] उत्पादन परियोजना

†२२५८. **श्रीमती सरोजिनी महिषी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में एसीटेट फ्लेक और धागा के उत्पादन के लिये एक परियोजना स्थापित करने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यह मामला किस प्रक्रम पर है; और

(ग) देश में प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में एसिटेट धागे के आयात को ध्यान में रखते हुए इस में शीघ्रता करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). एक औद्योगिक लाइसेंस दिया जा चुका है । इस फर्म द्वारा पेश की गयी विदेशी सहयोग की शर्तों पर विचार किया जा रहा है ।

ताशों का निर्माण

†२२५९. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री काशी राम गुप्त :
श्री रा० बरुआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में ताश बनाने वाली फर्मों के क्या नाम हैं;

(ख) उन में से कितनों में विदेशी सहयोग है; और

(ग) क्या सरकार ताश बनाने के लिये किसी विदेशी फर्म को लाइसेन्स देने पर विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Acetate Flake

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) एक विवरण संलग्न है :—

विवरण

निम्नलिखित फर्में छोटे पैमाने के क्षेत्र में ताश बना रही हैं :

१. मैसर्ज एम० वादीलाल एण्ड कं०, बम्बई ।
२. मैसर्ज फेवरिट बुक क्लाथ मार्ट, बसबई ।
३. मैसर्ज नेशनल प्लेइंग कार्ड कं०, बम्बई ४ ।
४. मेसर्ज़ वैस्टर्न प्लेइंग कार्ड कं० बम्बई— ४ ।
५. मैसर्ज गंगा शरण एण्ड संज लि० कलकत्ता ।
६. मैसर्ज ल्योनार्ड बीयरमैन एस० ए०, गवर्नमेंट प्लेस, कलकत्ता ।
७. मैसर्ज युनाइटेड प्लेइंग कार्ड कं०, बम्बई–३ ।
८. मैसर्ज पापुलर फाइन आर्ट लिथो वर्क्स, बम्बई–७ ।
९. मैसर्ज युनाइटेड फाइन आर्ट लिथोग्राफर्स, बम्बई–१० ।
१०. मैसर्ज मेट्रो प्लेइंग कार्ड, कं० बम्बई ।
११. मैसर्ज भारत वार्निश मैन्युफैक्चरिंग कं०, आगरा रोड, बम्बई ३९ ।
१२. मैसर्ज को-आपरेटिव फाइन आर्ट लिथो वर्क्स, बम्बई ।
१३. मैसर्ज शारदा पेपर बाक्स मैन्युफैक्चरिंग कं०, बम्बई ।
१४. मैसर्ज अशोक ब्रादर्स लिमिटेड, फोर्ट, बम्बई ।
१५. मैसर्ज बसरा प्लेइंग कार्डस्, कं०, बम्बई–३ ।
१६. मैसर्ज माडर्न लिथो वर्क्स, बम्बई ।
१७. मैसर्ज वैस्टर्न इण्डिया आर्ट लिथो वर्क्स, हाथीबाग लेन, बम्बई ।
१८. मैसर्ज प्राइड आफ इण्डिया प्रैस, बम्बई–७ ।
१९. मैसर्ज बुलेटेन फाइन आर्ट लिथो वर्क्स, बम्बई ।
२०. मैसर्ज नावल्टी प्रिन्टर्स, एनेस्ले रोड, बम्बई ।
२१. मैसर्ज ईस्टर्न लिथो वर्क्स, बाबुला टैंक रोड, बम्बई ।
२२. मैसर्ज इम्पीरियल प्लेइंग कार्ड, कं० दिल्ली ।
२३. मैसर्ज ईगल प्लेइंग कार्डस् मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, लाल कुंआ, दिल्ली ।
२४. मैसर्ज इण्डिया हाउस, दिल्ली ।
२५. मैसर्ज अनिल प्लेइंग कार्ड, कं०, दिल्ली-शाहदरा ।
२६. मैसर्ज सेठी ब्रादर्स, सदर बाजार, दिल्ली ।
२७. मैसर्ज सिटी प्रैस, बाड़ा हिन्दू राव, दिल्ली ।
२८. मैसर्ज स्वतन्त्र प्लेइंग कार्ड कं०, पहाड़ी धीरज, दिल्ली ।

(ख) सरकार ने अभी ताशों के निर्माण के लिये विदेशी सहयोक वाली किसी योजना को मंजूरी नहीं दी है ।

(ग) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मुद्रणालय

†२२६०. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री काशी राम गुप्त :
श्री रा० बरुआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक बड़ा मुद्रणालय चालू करने के लिये रोय थोम्प्सन ग्रुप और हमारे व्यापारियों के बीच सहयोग के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन को वाणिज्यिक मुद्रण और पैकेजिंग करने की भी अनुमति दी जायेगी अथवा वहां केवल पुस्तकों का उत्पादन ही होगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख). जी, हां। भारत सरकार ने मुख्यत: वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य स्टैण्डर्ड पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण, प्रकाशन और वितरण के लिये मैसर्ज़ न्यू होरीज़न्स प्राइवेट लिमिटड, नई दिल्ली की ब्रिटेन के मैसर्ज थोम्प्सन आरगनाइजेशन लिमिडेड, के सहयोग से भारत में एक कम्पनी स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। तब से मैसर्ज न्यू होरीजन्स प्राइवेट लिमिटेड ने प्रस्ताव किया है कि यदि मशीन की फालतू क्षमता रही तो भारतीय कम्पनी को वह कार्य भी करने दिया जाये जिस से विदेशीमुद्रा की आय हो अथवा बचत हो। प्रस्ताव विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश के लिए स्वीकृत धनराशि

२२६१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **योजना** मंत्री २१ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में उत्तर प्रदेश की तीसरी योजना के लिये स्वीकृत धनराशि में से कितनी का वास्तविक उपयोग हुआ; और

(ख) सन् १९६२–६३ के वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश को प्रत्येक मद में कितनी कितनी धन राशियां देना स्वीकार किया गया है ?

योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) : (क) राज्य सरकार से अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(रुपया लाखों में)

विकास मद	१९६२–६३ बजट
कृषि उत्पादन	६१३.७६
लघु सिंचाई	७७४.५५
भूमि संरक्षण	५३.७१

†मूल अंग्रेजी में

विकास मद	(रुपया लाखों में)
पशु पालन	१०९.२९
डेयरी तथा दूध सप्लाई	४५.८१
वन	१००.६१
मत्स्य पालन.	१४.७४
गोदाम तथा विपणन	४.५०
१. कृषिकार्य क्रम	१७१६.९७
सहकारिता .	१७३.६२
सामुदायिक विकास	११५०.८३
पंचायत	३९.१०
२ सामुदायिक विकास तथा सहकारिता	१३६३.५५
सिंचाई	९८१.४३
बाढ़ नियंत्रण	९८.००
बिजली .	१२९२.९७
३ सिंचाई तथा बिजली .	२३७२.४०
बड़े तथा मध्य उद्योग	६२.३५
खनिज विकास	१.४४
ग्राम तथा लघ उद्योग	२८६.७७
४ उद्योग तथा खान	३५०.५६
सड़क	६८२.३८
पर्यटन	७.६१
५ परिवहन तथा संचार	६८९.९९
सामान्य शिक्षा	७४४.१५
तकनीकी शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान	२०८.७२
स्वास्थ्य	६८१.३९
आवास	८८.४९
पिछड़े वर्गों का कल्याण	१७०.४३
समाज कल्याण	१०.७३
श्रम तथा श्रम कल्याण	७४.५५
जन सहयोग	१.०५
६ समाज सेवाएं	१९७७.४४

विकास मद	(रुपया लाखों में)
सांख्यिकी .	७.९३
सूचना तथा प्रचार	१८.४९
अन्य	५७.४१
७ विविध	८३.८३
कुल योग	८५५४.७४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

नागालैंड में पैंटिंग फोम को गोली से मार दिया जाना

†**श्री प्र० चं० बरुआ** (शिबसागर) : नियम १९७ के अधीन में अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और उन से प्रार्थना करता हूं कि वे उस पर एक वक्तव्य दें :

"२९ अगस्त, १९६२ को नागालैण्ड के अन्तरिप निकाय के एक सदस्य श्री पैंटिंग फोम को गोली से मार देने का समाचार ।"

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मुझे बड़े दुख के साथ इस सभा को २९ अगस्त को एक हत्यारे के हाथों से नागालैंड के एक दूसरे महत्वपूर्ण नेता और नागालैंड के अन्तरिप निकाय के सदस्य श्री पैंटिंग फोम की हत्या का समाचार देना पड़ रहा है। श्री पैंटिंग त्वेनसांग जिले में रहने वाले लगभग १६,००० लोगों की एक छोटी 'फोम' आदिम जाति के थे। २९ अगस्त की रात को जब वह लोंगतांग गांव में अपने अंगरक्षक के साथ रसोईघर में बैठे हुए थे तब किसी अज्ञात हत्यारे ने उनके मकान के बाहर से दो गोलियां चलायीं और उन्हें घायल कर दिया। गोलियों की आवाज सुनने पर, एक अफसर की हुकूमत में सुरक्षा सेना की एक टुकड़ी तुरन्त घटनावस्था पर पहुंची। पैंटिंग को सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया। सभी दावा दारु के बावजूद, ३० अगस्त को ३–४५ बजे उन की मृत्यु हो गयी। सुरक्षा सेना ने आस पास के सारे क्षेत्र खोज डाले लेकिन हत्यारे का कहीं कोई पता नहीं लगा। त्वेनसांग से सेक्टर कमांडर जांचपड़ताल के लिये घटस्नास्थल पर गया है।

में यहां यह भी बताना चाहता हूं कि नागालैण्ड में प्रमख राजनैतिक व्यक्तियों को आक्रमण-कारियों के आक्रमण से बचाने के लिये उन की हिफाजत की हर कोशिश की जा रही है।

श्री पैंटिंग आरम्भ में तथाकथित नागा राष्ट्रीय परिषद् के सदस्य थे। जब इस संस्था ने हिंसा और रक्तपात का रास्ता चुना और वह गुप्त हो गयी तो बड़ी हिम्मत से बाहर प्रकट रहे और नागा जनता सम्मलन की कार्यवाहियों में भाग लेते रहे। वे बातचीत करने वाली उस संस्था के भी सदस्य थे जो १६ मद वाले समझौते की चर्चा करने के लिये जलाई, १९६० में दिल्ली आयी थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस समझौते की समाप्ति अभी कल ही हुई है जब कि संसद् ने नागा लैंड का एक अलग राज्य बनाने के लिये स्वीकृति दी है। मुझे इस बात का दुःख है कि श्री पैंटिंग नागा जनता के लिये एक अलग राज्य बनाने का स्वप्न पूरा होते देखने के लिये जीवित नहीं है लेकिन इस में सन्देह नहीं कि उन का वीरतापूर्ण उदाहरण दूसरों को शांति और रचनात्मक कार्य तथा त्याग का रास्ता अपनाने के लिये प्रेरित करेगा क्योंकि और कई नागाओं का त्याग असफल नहीं होगा।

मैं ने नागालैंड के नेताओं तथा संतप्त परिवार को भारत सरकार की हार्दिक संवेदना सूचित कर दी है। मैं नागालैंड की जनता और सरकार तथा श्री पैंटिंग फोम के परिवार को इस सभा की हार्दिक सहानभूति सूचित करना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अवश्य ही संसद् इस बात से सहमत है कि इस सभा की भी सहानुभूति नागालैंड की जनता और सरकार और संतप्त परिवार के सदस्यों को सूचित कर दी जाय।

मोजम्बिक से भारतीयों का निकाला जाना

†**श्री बूटा सिंह** (मोगा) : नियम १९७ के अधीन मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर प्रधान मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे उस पर एक वक्तव्य दें :—

"भारत सरकार द्वारा पुर्तगाल सरकार के साथ किये गये समझौते का उल्लंघन करके पुर्तगाली बस्ती मोजोम्बिक में से भारतीयों का तथाकथित निष्कासन।"

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : गोआ, दमन और दीव की मुक्ति के बाद पुर्तगाल सरकार ने पुर्तगाली बस्तियों में रहने वाले अनेक भारतीय व्यापारियों की दूकानें जब्त कर लीं, उनके माल व सामान पर कब्जा कर लिया और उन्हें नजरबन्द किया गया। कुल १२,००० भारतीयों में से ऐसे लोगों की संख्या २,२३९ थी और बाकी लोगों के पास पुर्तगाली और ब्रिटिश पासपोर्ट थे। इन भारतीयों को १३ मई, १९६२ को पुर्तगाली बस्तियों में नजरबन्दी से रिहा किया गया और उन्हें बताया गया कि उन्हें तीन महीने के अन्दर इन राज्य क्षेत्रों को छोड़ कर बाहर चला जाना होगा बशर्ते कि उनके निवास के अनुमति पत्रों की मियाद बढ़ाने दी जाये।

भारत और पुर्तगाल की सरकारों के बीच जो समझौता हुआ था उसकी शर्तों के अनुसार ये भारतीय राष्ट्रजन प्रति व्यक्ति २०० पौंड (स्टर्लिग) मूल्य नगदी, का अपना माल और जवाहिरात अपनी रवानगी के समय ले जा सकना था। साथ ही वे अपनी चल और अचल सम्पत्ति की बिक्री की आय में से ऋण और बकाया कर घटा कर, शेष रकम भी ले जा सकते थे। जो भारतीय राष्ट्रजन तीन महीने के अन्दर अपना व्यापार समेट नहीं सकते वे अपने मित्रों को एटार्नी का अधिकार दे सकते हैं जो उनकी रवानगी को तारीख से एक सालके अन्दर उनकी सम्पत्ति बेच कर उन्हें भारत में रुपया भेज सकते हैं।

इस आशय के समाचार मिले हैं कि पुर्तगाली अधिकारी इस करार को पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं और उन्होंने (२५ जून, १९६२ का संख्या ४४४१६) आदेश प्रख्यापित कर भारतीय राष्ट्रजनों की परिसम्पदाओं के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में निर्बन्धना लागू कर दिये हैं।

भारत सरकार ने पुर्तगाली सरकार की इस कार्यवाही पर घोर आपत्ति की है और लिस्बन स्थित संयुक्त अरब गणराज्य दूतावास के जरिये पुर्तगाल सरकार से यह कहा है कि वह इस आदेश को

---

†मूल अंग्रेजी में

रद्द कर दें और भारतीय राष्ट्रजनों को अपना व्यापार समेटने और समझौते की शर्तों के मुताबिक अपनी परिसम्पदाओं को वापस लाने के लिये आवश्यक सुविधायें दें ।

इसके अलावा, हमारी प्रार्थना पर संयुक्त अरब गणराज्य की सरकार ने लिस्बन स्थित संयुक्त अरब गणराज्य दूतावास के प्रथम सचिव श्री वागीह साफवत को मोजम्बिक भेजा था ताकि इस बात का विश्वास हो जाय कि जिन भारतीय राष्ट्रजनों को पुर्तगाली राज्य क्षेत्र छोड़ कर चले जाना है, उन्हें समझौते की शर्तों के अनुसार लाभ मिले । श्री साफवत ने बताया है कि कुछ समय के लिये पुर्तगाली अधिकारियों ने भारतीय राष्ट्रजनों को वापस भेजना स्थगित कर दिया है । श्री साफवत के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप, मोजम्बिक में पुर्तगाली अधिकारियों ने ८ अगस्त, १९६२ अपना डिप्लोमा संख्या २२६६ जारी किया है जिसमें २५ जून १९६२ के आदेश (डिक्री) संख्या ४४४१६ द्वारा लगायी गयी कठोर अनहर्ताएं अधिक उदारता से लागू करने के बारे में कहा गया है । इस डिप्लोमा की शर्तों के अधीन भारतीय राष्ट्रजन मोजम्बिक में अपने निवास के अनुमति पत्रों (परमिटों) की अवधि बढ़ाने के लिये आवेदन कर सकते हैं । भारत सरकार संयुक्त अरब गणराज्य के अधिकारियों से यह प्रार्थना कर रही है कि वह पुर्तगाली अधिकारियों का ध्यान इस बात की ओर दिलाये कि कई मामलों में इस सम्बन्ध में हमारे बीच इस समझौते का उल्लंघन हुआ है और उनसे यह कहें कि समझौते को पूरी तरह से कार्यान्वित करने में बाधक सभी निबन्धन हटा लिये जायें ।

संयुक्त अरब गणराज्य सरकार २५ जून, १९६२ की बिक्री संख्या ४४४१६ को रद्द करने के लिये पुर्तगाल सरकार को राजी करने के लिये निरन्तर प्रयत्न कर रही है ।

३८ भारतीय राष्ट्रजनों का पहला दल ३ अगस्त, १९६२ को बी० आई० एस० एन० जहाज एस० एस० "कारंज" से मोजम्बिक से भारत वापिस आया । वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के एक पदाधिकारी को उनसे बम्बई में मिलने और वहां से उन्हें अपने अपने गन्तव्य स्थान तक पहुंचाने में आवश्यक सहायता देने के लिये तैनात किया गया था । प्रशुल्क विभाग से निकासी के लिये उन्हें विशेष सुविधाएं और उन्हें अपनी घरेलू तथा अन्य चीजों के आयात के लिये कुछ रियायतें भी दी गयी थीं । उनमें से किसी भी व्यक्ति ने अपने अपने शहरों में जाने के लिये कोई सहायता स्वीकार नहीं की । १०० भारतीय राष्ट्रजनों का दूसरा दल २ सितम्बर, १९६२ को एस० एस० 'कम्पला' से वापिस लौटा है । फिर, वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के एक पदाधिकारी को बम्बई में उनसे मिलने और उन्हें आवश्यक सुविधाएं और रियायतें देने के लिये भेजा गया था । इस समय लगभग ७० व्यक्तियों को बम्बई में रहने के लिये कोई जगह नहीं थी । उन्हें कुछ दिनों तक बम्बई में रहने के लिये जगह की व्यवस्था की गयी । इस समय इन में से कुछ लोगों ने अपने अपने शहरों में जाने के लिये धन भी मांगा । यह सहायता उन्हें दी जा रही है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : अखबारों में यह कहा गया है कि उस बस्ती के कुछ धनी भारतीयों ने भारतीय राष्ट्रजनों की वापसी के लिये भारत समाज नाम का एक संघ बनाया था और पुर्तगाली सरकार ने इस समाज की परिसम्पदाएं जब्त कर ली थीं । क्या यह सच है और यदि हां, तो क्या यह मामला संयुक्त अरब गणराज्य के अधिकारियों को बताया गया है ताकि उन परिसम्पदाओं को जब्त न किया जा सके ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : भारत समाज भारतीय राष्ट्रजनों का एक संगठन है और जहां तक हमें मालूम है, यह ठीक है कि इस संघ की परिसम्पदाओं को जब्त कर लिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जकार्ता में भारतीय दूतावास पर आक्रमण

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता दक्षिण पश्चिम) : नियम १९७ के अधीन मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर प्रधान मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे उस पर एक वक्तव्य दें :—

"जकार्ता में भारतीय दूतावास पर ३ सितम्बर, १९६२ को २०,००० इण्डोनेशिया वासियों की भीड़ द्वारा आक्रमण और उससे सम्पत्ति की व्यापक क्षति।"

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : भारतीय दूतावास पर इस आक्रमण से सम्बन्धित तथ्यों के समाचार अखबारों में काफी छप चुके हैं और उन्हीं बातों को दोहाना मैं जरूरी नहीं समझता।

इस झगड़े की शुरूआत उस समय हुई जबकि इजरायल और फारमोसा के प्रतिनिधि मण्डलों ने अगस्त के आरम्भ में श्री जी० डी० सोंधी को खेल कूद फैडरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेण्ट की हैसियत से तार भेजे थे। इन तारों में कहा गया था कि खेलों के इण्डोनेशियाई अध्यक्ष ने उनको परिचयपत्र नहीं भेजे। श्री सोंधी ने उपप्रधान की हैसियत से इस बात की आलोचना करते हुए एक वक्तव्य जारी किया। इससे जकार्ता में बड़ा असन्तोष उत्पन्न हुआ और हमने अपने राजदूतों को कानूनी स्थिति बता दी। उन्हें यह भी बताया गया कि दिल्ली, मनीला और टोकियो में क्रमशः १९५०, १९५४ और १९५८ में आयोजित पहले के एशियाई खेल कूदों में फारमोसा और इजरायल को आमन्त्रित किया गया था लेकिन संयुक्त अरब गणराज्य ने कोई भाग नहीं लिया क्योंकि उसे एशिया का भाग नहीं समझा जाता था।

जकार्ता पहुंचने पर श्री सोंधी ने इण्डोनेशिया के काम के बारे में बहुत कुछ कहा और यह सुझाव दिया कि चौथे एशियाई खेल कूद का नाम बदल कर केवल खेल कूद रख दिया जाये। इससे इण्डोनेशिया वाले नाराज हो गये और इसका घोर विरोध हुआ। हमने ३० अगस्त को जकार्ता स्थित अपने राजदूत से कहा कि वह श्री सोंधी को समझा दें कि वह इतनी तीव्र आलोचना न करें। इस पर हमें जवाब मिला कि हमारे राजदूत ने हमारा दृष्टिकोण सभी सम्बन्धित लोगों अर्थात् इण्डोनेशियाई अधिकारियों को बता दिया है और उन्होंने हमारी नीति की प्रशंसा की। उन्हें यह भी बताया गया कि श्री सोंधी किसी भी दृष्टि से सरकार के प्रतिनिधि नहीं हैं और उन्होंने जो कुछ भी कहा वह सरकार की ओर से नहीं कहा है। यहां का खेल कूद संघ एक अर्ध स्वायत्त संस्था है और हमने उन्हें उसका उपप्रधान नहीं चुना है बल्कि संघ ने उन्हें नामजद किया है। इसलिये हमें ३१ अगस्त को इण्डोनेशियाई व्यापार मन्त्री का वह वक्तव्य देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ जिसमें उन्होंने इस मामले में भारत के रुख पर अपना रोष व्यक्त किया और हमारे व्यापार सम्बन्धों पर असर पड़ने की कुछ बात कही। इसके बाद वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के एक प्रवक्ता ने मामले को और भी स्पष्ट कर दिया और यह बताया कि श्री सोंधी से भारत सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है और सरकार का एशियाई खेल कूद संघ पर कोई नियन्त्रण नहीं है। उसने इण्डोनेशिया के साथ हमारी मित्रता पर भी बल दिया और आशा प्रकट की कि ये खेल कूद शान्ति से समाप्त होंगे। १ सितम्बर को यहां इण्डोनेशिया के दूतावास को इस वक्तव्य के सम्बन्ध में एक खेद सूचक पत्र भी भेज दिया गया था और हमारे राजदूत इण्डोनेशिया के विदेश मन्त्री से मिले और उन्हें भारत की मित्रता और सद्भावना के सम्बन्ध में आश्वासन दिलाया। यह १ सितम्बर की बात है।

३१ अगस्त को इण्डोनेशिया के व्यापार मन्त्री के वक्तव्य से यह संकेत मिलता है कि श्री सोंधी की बात की आलोचना करने में इण्डोनेशिया के अधिकारियों का भी हाथ था और उसकी समाप्ति कल की दुर्घटना हुई जबकि भारतीय दूतावास पर हमला किया गया और सम्पत्ति को कुछ नुकसान

†मूल अंग्रेजी में

पहुंचाया गया । किसी व्यक्ति को चोट आने की कोई सूचना नहीं मिली है । इस बारे में हमारी चिन्ता का सन्देश कल शाम को भारतीय दूतावास को भेज दिया गया था । वहां पर हमारे राजदूत ने वैदेशिक कार्यालय को एक नोट भेजा और वह बाद में विदेश मन्त्री से भी मिले ।

दूसरी बात यह कि इण्डोनेशिया में कोई सभा या जुलूस वहां की सरकार की जानकारी या उस की अनुमति के बिना, नहीं आयोजित किया जा सकता । इसलिये वहां के कुछ पदाधिकारियों को इस बारे में अवश्य ही जानकारी होगी ।

विदेश मन्त्री ने हमारे राजदूत से बड़ी विनम्रता से क्षमा मांगी और कहा कि वहां की संसद् के सभी सदस्यों को इस घटना से तथा व्यापार मन्त्री डा० सोयहार्टो के वक्तव्य से काफी धक्का पहुंचा है । यह अत्यन्त खेदजनक बात है कि इस तरह की घटना हो । श्री सोंधी ने जो मामला उठाया उसके गुण दोषों के बारे में हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है । हम से न तो कोई सलाह ली गयी और न ही उसमें हमारा कोई हाथ था । जो भी हो, भारतीय दूतावास पर इस आक्रमण को प्रोत्साहन देना और व्यापार मन्त्री का इस प्रकार का वक्तव्य अत्यन्त खेदजनक है । यह बड़े दुख की बात है कि वहां इस प्रकार की घटना हो ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या जकार्ता में श्री सोंधी के तथाकथित वक्तव्यों का पूरा पूरा विवरण सरकार को मिल गया है ताकि यह मालूम किया जा सके कि क्या उनमें ऐसी कोई बातें हैं जिन्हें खास कर राष्ट्रपति सुकार्नो के लिये और सामान्यतः इण्डोनेशियाई राष्ट्रीय भावना के लिये अपमानजनक समझा जा सकता है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: हमें वक्तव्यों का पूरा पूरा विवरण अभी प्राप्त नहीं हुआ है । उनका संक्षिप्त सारांश समाचार पत्रों में आया है । मेरे विचार से श्री सोंधी के वक्तव्य में ऐसी कोई बात नहीं कही गयी है जिसे राष्ट्रपति सुकार्नो के लिये अपमानजनक या अशिष्ट समझा जा सके ।

श्री बड़े (खारगोन): मैं यह जानना चाहता हूं कि इस इंसिडेंट को लेकर चाइना के पीकिंग रेडियो ने जो एण्टी इंडियन प्रापेगेंडा शुरू किया है, क्या उसका निराकरण करने के लिये हमारे एक्स्टर्नल पब्लिसिटी डिवीज़न ने बाकी राष्ट्रों में इस के बारे में प्रचार करने के लिये कुछ व्यवस्था की है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य यह बात सही कहते हैं कि इसमें चीन वालों ने बहुत अधिक दिलचस्पी ली है और इस को बहुत बढ़ाने की कोशिश की है । और मुमकिन है कि इसको शुरू करने में भी उनका बकुछ हाथ हो । लेकिन आप कहते हैं कि और जगह हम समझाने को कहें । जरूर और जगह कुछ न कुछ हम करेंगे । अभी कल का तो वाका है ।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए कि श्री सोंधी मे हमारी सरकार की ओर से कुछ नहीं कहा है, क्या हम यह समझें कि हमारी सरकार इस बात का समर्थन करती है कि इण्डोनेशिया खेल कूद में राजनीति ले आये ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह हमारे समर्थन का प्रश्न नहीं है । हमने उनके नियमों को नहीं पढ़ा है और जिस विषय को हमने नहीं समझा है उसके बारे में अपनी कोई राय जाहिर करने के लिये हम तैयार नहीं हैं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर): माननीय प्रधान मन्त्री जी ने बताया कि श्री सोंधी के वक्तव्य के बाद हमारे राजदूत ने इसका स्पष्टीकरण किया कि इनके वक्तव्य का भारत सरकार

---

†मूल अंग्रेजी में

से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है और उसके पश्चात् इण्डोनेशिया के विदेश मन्त्री ने भी किसी एक स्थान पर कहा कि जो विवाद उठा है, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और हमारे सम्बन्धों पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब ऐसी बात है तो फिर दुबारा कौनसी ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसके कारण भारतीय दूतावास पर यह आक्रमण हुआ और क्यों ऐसा हुआ है, यह भी जानने का क्या सरकार ने यत्न किया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह बात माननीय सदस्य सही कहते हैं कि हम समझते थे कि बात साफ हो गई है और अगर कोई गलतफहमी भी हो तो वह भी साफ हो गई है जब हमारे राजदूत मिले थे। फिर यह क्यों हुआ यह बात समझ में नहीं आती है सिवाय इसके कि कुछ लोगों ने उकसाया फिर से। मैं इस वक्त नहीं कहना चाहता कि किन लोगों ने उकसाया। यह बात पर्दे के पीछे होती है।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीदा** (आनन्द): हमारे दूतावास को जो नुकसान पहुंचा है क्या उसके लिए इण्डोनेशियाई सरकार कोई हर्जाना देगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : साधारणतया हर्जाना दिया जाता है। वह बहुत मामूली बात है। अनुमान है कि लगभग १०,००० रुपये से २०,००० रुपये तक का नुकसान हुआ है। उन्होंने इसकी अदायगी करना मंजूर कर लिया है। लेकिन हम इस पर जोर नहीं देंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारत और चीन के बीच पत्र व्यवहार

प्रधान मंत्री, तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक ४ अगस्त, १९६२ का चीन का नोट।

(दो) दिनांक २२ अगस्त, १९६२ का भारत सरकार का उत्तर।

(तीन) दिनांक २२ अगस्त, १९६२ का भारत सरकार का नोट।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३९०/६२]

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : क्या ये नोट सदस्यों को बांटे जायेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जी, हां।

देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में वक्तव्य

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : श्रीमन्, मैं श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम की ओर से देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० ३९१/६२]

---

†मूल अंग्रेजी में

रुई नियंत्रण (संशोधन) आदेश, १९६२

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

अत्यावश्यक पण्य एक्ट, १९५५ की धारा ३ की उप धारा (६) के अन्तर्गत, दिनांक ११ अगस्त, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०७१ में प्रकाशित रुई नियंत्रण (संशोधन) आदेश, १९६२ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० ३९२/६२]

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, ऊटकमण्ड की वर्ष १९६१–६२ का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उक्त समवाय के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) लघु उद्योगों की संगठनात्मक समिति का प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० ३९३/६२ और एल०टी० ३९४/६२]

शिशिक्षु अधिनियम, १९६१ के अधीन नियम

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : श्रीमन्, मैं, श्री हाथी की ओर से, निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) शिशिक्षु अधिनियम, १९६१ की धारा ३७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २८ अप्रैल, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६०८ में प्रकाशित केन्द्रीय शिशिक्षुता परिषद् नियम, १९६२ ।

(ख) दिनांक २८ अगस्त, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११३४ में प्रकाशित शिशिक्षुता नियम, १९६२ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० ३९५/६२ और एल० टी० ३९६/६२]

(दो) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) सितानाला कोयला-खान में १९ जुलाई, १९६२ को हुई दुर्घटना के बारे में प्रतिवेदन ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संविधान के संशोधन सम्बन्धी दस्तावेज, १९६२ की भारत सरकार द्वारा पुष्टि के बारे में वक्तव्य ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये क्रमशः संख्या एल०टी० ३९७/६२ और एल०टी० ३९८/६२]

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य सभा से सन्देश

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना दी :—

(एक) कि राज्य सभा ने ३ सितम्बर, १९६२ की अपनी बैठक में संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक, १९६२ को, जो लोक-सभा द्वारा २८ अगस्त, १९६२ को पास किया गया था, बिना किसी संशोधन के पास कर दिया है।

(दो) कि राज्य सभा ३ सितम्बर, १९६२ की अपनी बैठक में नागालैण्ड राज्य विधेयक, १९६२ से, जो लोक-सभा द्वारा २९ अगस्त, १९६२ को पास किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने दूसरे प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि प्रतिवेदन में बतायी गयी अवधियों के लिए निम्नलिखित सदस्यों को अनुपस्थिति की अनुमति दी जाये :—

(१) श्री फतहसिंह राव गायकवाड़
(२) श्री रणञ्जय सिंह
(३) श्री जोकीम आल्वा
(४) श्री प० गो० मेनन
(५) श्री गयासुद्दीन अहमद
(६) श्री अ० कु० गोपालन
(७) श्री पं० श० देशमुख
(८) श्री कमलनयन बजाज
(९) सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया
(१०) महाराजकुमार विजय आनन्द
(११) श्री नाथ पाई
(१२) श्रीमती शकुन्तला देवी

मैं यह मान लेता हूं कि सभा समिति की सिफारिशों से सहमत है।

†**कई माननीय सदस्य** : जी, हां।

†**अध्यक्ष महोदय** : सदस्यों को तदनुसार सूचना दे दी जायेगी।

धर्म परिवर्तन करने वालों का विवाह-विच्छेद विधेयक

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : श्री अ० कु० सेन की ओर से मैं प्रस्ताव करूंगा कि कुछ परिस्थितियों में धर्म परिवर्तन करने वालों के विवाह विच्छेद और तत्सम्बन्धी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कुछ परिस्थितियों में धर्म परिवर्तन करने वालों के विवाह विच्छेद और तत्सम्बन्धी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री हजरनवीस** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

कार्य मंत्रणा समिति

छटा प्रतिवेदन

†**संसद कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्यमंत्रणा समिति के छटे प्रतिवेदन से, जो कि ३ सितम्बर, १९६२ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के छटे प्रतिवेदन से, जो कि ३ सितम्बर, १९६२ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

गन्ना नियंत्रण (अतिरिक्त शक्तियां) विधेयक--(जारी)

†**अध्यक्ष महोदय** : हम ने गन्ना नियंत्रण (अतिरिक्त शक्तियां) विधेयक पर विचार के प्रस्ताव पर चर्चा कर ली है । अब मैं इस पर प्रस्तुत संशोधनों को रखूंगा ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा, श्री स० मो० बनर्जी के विधेयक को उस राय जानने के लिये परिचालित करने का प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया सभा में मत विभाजन हुआ

पक्ष में ४५; विपक्ष में २४८

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री त्रिदिब कुमार चौधरी के विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि गन्ना (नियंत्रण) आदेश, १९५५ में कुछ मामलों में पश्चात्गामी प्रभाव से संशोधन करने के लिये केन्द्रीय सरकार को शक्ति प्रदान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ईरान के भूकम्प के बारे में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : ईरान में महान् भूकम्प के कारण जो क्षति हुई है उसके प्रति हम अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : आशा है कि सभा इस बात से सहमत होगी कि हम ईरान को सहानुभूति प्रेषित करें ।

गन्ना नियंत्रण (अतिरिक्त शक्तियां) विधेयक--(जारी)

†**अध्यक्ष महोदय** : अब विधेयक की खंडवार चर्चा होगी ।

खण्ड २

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहामपुर): मैं अपना संशोधन संख्या ७ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री यलमंदा रेड्डी**(मारकापुर): मैं अपना संशोधन संख्या ९ और १० प्रस्तुत करता हूं।

माननीय मंत्री महोदय ने कल अपने भाषण में कहा था कि रैय्यतों के अधिकारों की सुरक्षा की जायेगी। आशा है कि सभा भी इस बात का ध्यान रखेगी। आशा है कि माननीय मंत्री महोदय मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेंगे। और आशा है कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जायेगा जिससे किसानों के इस समय के अधिकारों में कोई कमी न हो।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी**: मूल्य सम्बन्ध सूत्र में जो कुछ भी संशोधन किया जाना है उसका स्पष्ट उद्देश्य उन अस्थगित भुगतानों को वसूल करवाना होना चाहिये जो गन्ना उत्पादकों को मिलने चाहिये। यह बात विधेयक में स्पष्ट रूप से आनी चाहिये ताकि आस्थगित भुगतान काननी ढंग पर कराया जा सके ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं अपना संशोधन संख्या ११ प्रस्तुत करता हूं।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: मुझे खेद है कि मैं इन संशोधनों में से कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता। गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिये सरकार को अधिकार प्राप्त है। विधेयक में इस आशय का कोई उपबंध रखने की आवश्यकता नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं श्री यलमंदा रेड्डी और श्री वारियार द्वारा प्रस्तुत संशोधन पर श्री कामत का संशोधन संख्या ११ सभा में मत विभाजन के लिये रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ११ मत विभाजन के लिये रखा गया।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में ३४; विपक्ष में १८२

संशोधन संख्या ११ अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री यलमंदा रेड्डी के संशोधन संख्या ९ और १० को रखूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ९ और १० मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री त्रिदिव कुमार चौधरी की संशोधन संख्या ७ ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता हूं ।

संशोधन संख्या ७ सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, अधिनियम सूत्र और पूरा नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १, अधिनियम सूत्र और पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नियम ६६ के परन्तुक के निलम्बन के बारे में

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर, शास्त्री)** : मैं नियम के निलम्बन के बारे प्रस्ताव को नहीं प्रस्तुत करना चाहता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब उसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई है । अतः अब उसकी आवश्यकता नहीं है । अब चर्चा के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है । वह अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : मैं औचित्य प्रश्न उठाता हूं । मैं जानना चाहता हूं कि यह कार्यसूची में क्यों लगाया गया था ? यह कैसे सुसंगत है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : राष्ट्रपति की अनुमति आज प्रातः ही मिली । उससे पहले वह आदेश पत्र पर थे । अब अनुमति भी मिल गई है । अतः उसकी आवश्यकता नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : आज बाढ़ स्थिति पर चर्चा करनी थी । क्या हम उसे हटाना चाहते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : आदेश पत्र सामने है । क्रमानसार हम चल रहे हैं ।

संविधान (चौदहवां संशोधन) विधेयक, १९६२

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर चर्चा की जाए ।

इस विधेयक में ७ खण्ड हैं । खण्ड ३ बड़ा महत्वपूर्ण है । इस में पांडिचेरी को एक संघ राज्य-क्षेत्र मानने की बात कही गई है । इस संघ राज्य क्षेत्र में पांडिचेरी, कारीकल, माही और यनम होंगे ।

ज्योंही पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र में शामिल करते हैं, दो संशोधन स्वयं करने पड़ते हैं । पहला यह है कि दोनों लोक सभा और राज्य सभा में इसे प्रतिनिधित्व देना चाहिए । अतः लोक सभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है । पांडिचेरी को एक स्थान लोक सभा में और एक राज्य सभा में मिलेगा । राज्य सभा के सदस्यों की संख्या २२५ से बढ़कर २२६ हो जाएगी ।

अन्तरिम अवधि में विनियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को दे दी गई है । परन्तु वहां विधान सभा बनते ही यह शक्ति समाप्त हो जाएगी । इसकी खण्ड ५(ख) में व्यवस्था की गई है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं कि उन्हें मतदान के लिए कब उपस्थित रहना चाहिए, क्योंकि मतविभाजन होगा और इस विधेयक को पारित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं बता रहा था कि खंड ५(ख) के अन्तर्गत राष्ट्रपति की नियम बनाने की शक्ति समाप्त हो जायेगी जब कि वहां विधान मंडल की स्थापना हो जायेगी । पांडिचेरी और गोआ को संघ क्षेत्र के रूप में रखा जायेगा । खंड ४ के अन्तर्गत संघ क्षेत्रों में विधान मंडल की स्थापना करने और वहां मंत्रिमंडल बनाने के अधिकार संसद को प्राप्त हैं । ७ दिसम्बर, १९६१ को पिछली लोक सभा में मैंने बताया था कि सरकार संघ क्षेत्रों को कुछ अतिरिक्त अधिकार देने की बात सोच रही है । इसी वक्तव्य के आधार पर एक समिति भी विधि मंत्री के सभापतित्व में बनायी गयी । समिति ने संघ क्षेत्रों का दौरा करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हमने प्रतिवेदन पर विचार किया है और संघ क्षेत्रों में जो प्रगति तथा विकास का कार्य हुआ है उसकी पृष्ठ भूमि में भी विचार किया है । हमारा विचार है कि उन्हें वही स्थान दिया जाये जो उनका 'ग' राज्यों के समय में था । अतः हमने संविधान के अनुच्छेद २४० को पुनः वापिस लाने के लिए यह संशोधन प्रस्तुत किया है । इस अनुच्छेद को हटा दिया गया था । राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बाद उसकी सिफारिशों के अनुसार संविधान में संशोधन किया गया था । अब

---

†मूल अंग्रेजी में

संविधान (चौदहवां संशोधन) विधेयक सभा के समक्ष प्रस्तुत है। देश और सभा में इसका अवश्य स्वागत किया जायेगा। संघ क्षेत्रों में इसका विशेष स्वागत होगा। क्योंकि उन्हें विधान मंडल और मंत्रिमंडल वापिस मिलेंगे। यह व्यवस्था हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा, गोआ, दमन, दिव और पांडिचेरी तथा छोटे छोटे प्रायद्वीपों के लिए होगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि दिल्ली को इसमें शामिल नहीं किया। और मुझे इस बारे में दिल्ली के संसद सदस्यों की भावनाओं का पूर्ण ज्ञान है। परन्तु मैंने तो इस बारे में हमेशा बड़ी स्पष्टतः से बात की है। दिल्ली का एक विशिष्ट स्थान है, और उसके बारे में विभिन्न प्रकार की प्रस्थापनायें हैं। सभी पर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है।

जो कुछ भी परिस्थितियां हैं दिल्ली का भावी स्वरूप क्या हो यह बड़ा महत्वपूर्ण और विचारणीय प्रश्न है। विभिन्न अधिकरणों में समन्वय का अभाव है। निगम भी कुछ वर्षों से काम कर रहा है परन्तु उसके रास्ते में बड़ी बड़ी कठिनाइयां आ रही हैं। उसके काम का कोई सामंजस्य नहीं है। यह सुझाव देना सही नहीं है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार का कारण उसका वर्तमान शासन स्वरूप है। इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि जब तक सब नागरिक भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने के सम्बन्ध में अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करते, तब तक इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। यह मैं स्वीकार करता हूं कि इस विषय पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। दिल्ली के प्रशासन कार्य के साथ दिल्ली के प्रतिनिधियों को कैसे सम्बन्धित किया जाय, यह बात भी विचारणीय है। यह भी मैंने कहा था कि दिल्ली के संसद सदस्य भी अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। वास्तविकता यह है कि काफी समय से मैं इस प्रश्न पर विचार करता रहा हूं। आवश्यक हुआ तो इस बारे में विधान संसद के समक्ष लाया जायेगा।

केन्द्रीय सरकार को परामर्श देने के लिये संघ राज्य क्षेत्र सम्बन्धी समिति नियक्त की गयी थी। परन्तु उसका प्रतिवेदन परिचालन के लिए नहीं है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली नगर निगम को प्राप्त अधिकारों तथा प्राधिकारों पर विचार करने के लिए सरकार तैयार है; निगम द्वारा नियुक्त एक उपसमिति इस प्रश्न की छानबीन कर रही है और उससे कहा गया है कि वह जल्दी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या निगम का वर्तमान रूप कायम रहना चाहिये अथवा महापौर को और अधिक शक्तियां दी जायें अथवा इस व्यवस्था में आमूल परिवर्तन किया जाये। मैंने दिल्ली मंत्रणा परिषद् में दिल्ली के संसद सदस्यों से अपने प्रस्ताव पेश करने को कहा था। मेरे पास इस सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव आये हैं और मैं उन पर विचार कर रहा हूं। मेरे विचार से दिल्ली के संसद सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि दिल्ली में विधान सभा बनाये बिना भी वे लोक कार्यों में सक्रिय भाग ले सकते हैं। संसद भी दिल्ली में ही है अतः यहीं पर एक अन्य विधान सभा बनाने से कोई प्रयोजन हल नहीं होगा।

हम दिल्ली की समस्या हल कर सकते हैं। मैं इसमें विलम्ब नहीं करना चाहता हूं। विधेयक के पश्चात् हम दिल्ली के विषय में विचार करेंगे। मैंने आज ही श्री ब्रह्म प्रकाश से बातचीत की थी। मैंने उनसे कहा था कि मैं इस विषय में गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहा हूं।

दिल्ली के प्रतिनिधियों से मेरी अपील है कि वे इस विषय पर कटुता की भावना से मुक्त हो कर विचार करें। कदाचित् साम्यवादी मित्र भी इस अवसर पर उनके साथ है उनसे भी मेरी अपील है कि वे इस सम्बन्ध में विचार करें कि क्या दिल्ली में दो विधानमंडल वाञ्छनीय होंगे। क्या दिल्ली में समानान्तर दो सरकारें रखना उचित होगा।

संशोधनों पर चर्चा करते समय कहा गया है कि पांडिचेरी को पड़ौसी क्षेत्रों में मिला दिया जाये। नामनिर्देशित अथवा आंशिक नाम-निर्देशित निकाय नहीं होना चाहिये। एक बात यह भी

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

कही गई है कि इस विधेयक को जनमत के लिये प्रसारित कर दिया जाये । पांडिचेरी को अन्य क्षत्रों में मिलाना कठिन है। प्रधान मंत्री के राज्य सभा में दिये गये वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए हमने अभी कोई परिवर्तन नहीं करने का निश्चय किया है । यह व्यवस्था अस्थायी है । संसद् विधि निर्माण में सर्वोपरि है । हाल में जो समझौते किये गये हैं उनकी पवित्रता अक्षुण्ण बनाई रखना चाहिये ।

विलय की बात करने पर अनेक प्रश्न उत्पन्न होंगे । मैसूर, महाराष्ट्र और गुजरात की पृथक पृथक रायें हैं । अतः उन्हें पृथक रखना ही श्रेयस्कर होगा । चूंकि अब वहां विधान मण्डल और मंत्रि मंडल बन जायेंगे उन्हें विकास करने के अनेक अवसर मिलेंग । उस कार्य के लिये केन्द्रीय सहायता भी लाभदायक सिद्ध होगी ।

नाम-निर्देशन, आंशिक नान-निर्देशित और आंशिक निर्वाचित निकायों के बारे में श्री कामत ने कुछ संशोधन प्रस्तुत किये हैं । हमने संविधान के पुराने अनुच्छेद की भाषा का ही प्रयोग किया है । सरकार इस दिशा में शक्ति प्राप्त नहीं कर रही है । यह केवल संसद को शक्ति प्रदान कर रही है । यदि संसद कभी चाहे तो ऐसा किया जा सकता है । संविधान वहां निरसन करना पड़े अथवा यह वहां भली प्रकार काम न करे तब राष्ट्रपति का शासन लागू किया जा सकता है किन्तु संसद यह उचित न समझे कि सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र में एक व्यक्ति का शासन हो तो इस स्थिति में गवर्नर को राय देने के लिये नामनिर्देशित अथवा ऐसी ही कोई अन्य निकाय स्थापित करने की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है । यह निर्णय करना सर्वथा संसद का काम है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद): मैं इस बात का विरोधी हूं कि नामनिर्देशन सौ प्रतिशत हो । कोई संसद सदस्य इसे पसन्द नहीं करेगा । यह प्रजातन्त्र की भावना के प्रतिकूल है । मुझे विश्वास है कि गृह कार्य मंत्री इससे पूर्ण अवगत हैं ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं पूर्णतः सहमत हूं । इस आशय का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

जहां तक विधेयक को जनमत के लिये परिचालित करने का प्रश्न है इससे इस कार्य में विलम्ब होगा । मेरी इच्छा है कि विधान मंडल की स्थापना में अधिक देर नहीं होना चाहिये । विधि विशेषज्ञों के मतानुसार हमें राज्य के विधान मंडलों से परामर्श लेकर उनकी सम्मति प्राप्त करना है । जब तक राज्य विधान मंडल अपनी सहमति प्रकट नहीं कर देते संघ राज्य क्षेत्र विधेयक प्रस्तुत करना संभव नहीं है । ऐसी स्थिति में यदि इसे जनमत के लिये परिचालित किया गया तो इसमें प्रयाप्त विलम्ब हो जायेगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जायें ।"

†**श्री दशरथ देव** (त्रिपुरा-पूर्व) : मैंने संशोधन प्रस्तुत किये हैं । माननीय गृह मंत्री इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये बधाई के पात्र हैं । मैं इन संघ राज्य क्षेत्रों की जनता को भी बधाई देता हूं । इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये वहां अनेक आंदोलन किये गये और जनता को पर्याप्त संकटों का सामना करना पड़ा । यह बात स्पष्ट नहीं है कि दिल्ली के लिये विधान सभा का उपबन्ध क्यों नहीं रखा गया

†मूल अंग्रेजी में

है। मेरा विचार है कि भारत में ऐसा एक भी स्थान नहीं होना चाहिये जहां जनता का प्रतिनिधि निकाय न हो।

गृह-कार्य मंत्री ने कहा कि भारत की राजधानी होने के नाते केन्द्रीय सरकार दिल्ली के हितों की देखभाल करेगी। गृह-कार्य मंत्री तो भारत के सभी राज्यों की देखभाल करते हैं। दल के नेता की हैसियत से उन्हें उस की ओर भी ध्यान देना पड़ता है। वह यह सब सत्ता अपने हाथों में क्यों रख रहे हैं।

मैं विधेयक का स्वागत करता हूं किन्तु अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इन विधान मंडलों को क्या क्या अधिकार दिये जायेंगे। मैं नामनिर्देशन का विरोधी हूं। विधान सभा में सब सदस्य निर्वाचित होने चाहियें। नामनिर्देशन खण्ड के उपबन्ध की व्यवस्था का दुरुपयोग किया जा सकता है। विधान सभा के सदस्य चुने हुए होने चाहियें। मैं नाम-निर्देशन प्रणाली का विरोधी हूं। इस विधेयक में नाम-निर्देशन की व्यवस्था नहीं होनी चाहिये। विधान सभा को पूर्ण अधिकार देना भी आवश्यक है। मंत्रि-मण्डल विधान-मण्डल के प्रति उत्तरदायी होना चाहिये। जब गृह-कार्य मंत्री उस आशय का विधेयक तैयार करें तो सम्बन्धित क्षेत्र के सदस्यों की राय लेना श्रेयस्कर होगा।

पाण्डिचेरी के साथ माही, यनम, कराईकाल तथा अन्य स्थान मिलाये जा रहे हैं जबकि इन क्षेत्रों में यह भावना व्याप्त है कि उन्हें समीपवर्ती राज्यों में मिलाया जाये। गृह मंत्री का कथन है कि इस विषय में प्रधान मंत्री की भावनाओं का आदर किया जाना चाहिये। हमें प्रधान मंत्री की भावनाओं से प्रेरित नहीं हो कर वहां की जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिये। पाण्डिचेरी और कराईकाल की भाषा और संस्कृति पूर्णतः तामिल है अतः इन दोनों को तामिलनाद में मिलाना उचित होगा। इसी प्रकार माही को केरल में मिलाना चाहिये। प्रशासनिक दृष्टि से भी इन्हें मिला कर एक संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना व्यावहारिक नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि गृह मंत्री इस पहलू पर पुनर्विचार करेंगे।

श्री ब्रह्मप्रकाश (बाह्य दिल्ली) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, यह बहुत खुशी की बात है कि यूनियन टेरीटरीज़ में एक नया विधान लाने के लिये एक नये किस्म का प्रजातंत्र-राज लाने के लिये, आख़िर होम मिनिस्टर साहब ने संविधान में तब्दीली करने का प्रस्ताव किया है। इस के लिये मैं उन को भी मुबारकबाद देता हूं और उन यूनियन टेरीटरीज़ के लोगों को भी, जिन के लिये यह बिल लाया गया है। एक मौके पर तो मुझे यकीन नहीं था—इस बारे में नाउम्मीदी हो गई थी—कि यूनियन टेरीटरीज़ के लिए कुछ होगा, क्योंकि हमारे मुल्क में कुछ अन्सर हैं—मैं इस में नहीं जाना चाहूंगा कि वे किस किस्म के हैं—जो यह नहीं चाहते कि किसी किस्म का प्रजातंत्र की किस्म का ढांचा इन यूनियन टेरीटरीज़ में हो। ख़ाली यूनियन टेरीटरीज़ ही नहीं, कुछ अन्सर ऐसे भी हैं, जो हिन्दुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं चाहते, जो चाहते हैं कि यहां पर एक यूनिटरी फ़ार्म की किस्म की हुकूमत हो।

बहरहाल, यह एक खुशी की बात है कि आख़िर यह बिल आया और साथ ही यह दुख की बात है कि दिल्ली को इससे अलग रखा गया है। मैं होम मिनिस्टर साहब को बहुत दिनों से जानता हूं और मेरा उन से बड़ा स्नेह है। मैं समझता हूं कि अगर वह इस बारे में कनविन्स हो जाते और हम उन को यहां की दिक्कतों के बारे में समझा पाते, या वह उन दिक्कतों को और ज्यादा समझ पाते, तो वह ज़रूर दिल्ली को भी इस बिल में शामिल कर देते। यह दुख की बात है कि हम उन को समझा नहीं पाये।

[श्री ब्रह्म प्रकाश]

दिल्ली में यह मांग कोई आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। यह मांग सन् १९१४ में शुरू हुई थी, जबकि दिल्ली के शहरी उस वक्त के वाइसराय से मिले थे। खुद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने १९१८ में दिल्ली में इस बारे में एक रेज़ोल्यूशन पास किया। दिल्ली के हर नेता ने, चाहे वह हकीम अजमल ख़ां हों, आसिफ़ अली साहब हों या देशबन्धु साहब हों, इस सवाल को उठाया है और हमेशा यही जवाब दिया गया है कि यह राजधानी है, यहां रेस्पांसीबल गवर्नमेंट नहीं हो सकती, यहां दो लेजिस्लेट्यर नहीं हो सकते। यही जवाब आज हमें दिया जा रहा है। मैं आप को यह भी बतला दूं कि यह नामुमकिन है कि दिल्ली का कोई भी ज़िम्मेदार शख्स, जोकि दिल्ली के लोगों के प्रति ज़िम्मेदारी रखता है, या आईन्दा रखे, ४८ साल से चली आ रही इस पुरानी मांग को भुला सके। जो परम्परा पहले से आ रही है, उस को भुलाया नहीं जा सकता। जो मशाल हमारे नेताओं ने हमारे हाथ में दी है, वह आगे चलती चली जायगी, जब तक कि दिल्ली को रेस्पांसीबल गवर्नमेंट नहीं मिलती है।

१९५२ में जब आख़िर यहां पर हुकूमत कायम हुई, तो उस वक्त की दिल्ली असेम्बली ने बड़ी खुशी में इस बात के लिये बजट मन्जूर किया कि चूंकि आसिफ़ अली साहब और देशबन्धु साहब की कोशिशों से यह असेम्बली मिली है, इसलिये दिल्ली में उन की यादगार खड़ी की जाये। इस वास्ते पुरानी दिल्ली में दाखिल होने के जो दरवाज़े हैं, दिल्ली गेट और अजमेरी गेट, उन दोनों जगहों पर उन के बुत खड़े किये गये। जब तक वे बुत खड़े हैं, मैं नहीं समझता कि कौन दिल्ली वाला है, जो दिल्ली के लोगों की तरफ़ कोई ज़िमेदारी महसूस करता है, जो इस मांग को भूल सकता है। हो नहीं सकता है, यह ना-मुम्किन बात है। दूसरी बात यह है कि हम अपने नेताओं को, हम गवर्नमेंट आफ इंडिया को कनविंस नहीं कर पाये हैं, यह हमारी बदकिस्मती है। यह कहा जाता है कि चूंकि यह हिन्दुस्तान की राजधानी है इसलिये हम इस को इस तरह की हुकूमत नहीं दे सकते हैं, इस तरह की व्यवस्था यहां की नहीं जा सकती है। दुनिया में दो मुल्क ही ऐसे हैं जहां फैड्रल डेमोक्रेसी है, एक अमरीका और एक आस्ट्रेलिया, एक वाशिंगटन और एक कैनबेरा जहां पर कि लेजिस्लेचर नहीं दी गई है इस बिना पर कि वहां दूसरी हुकूमत मौजूद है। बाकी दुनिया के अन्दर जो राजधानियां हैं और जहां फैड्रल रिपब्लिक है या जहां पर डेमोक्रेसीज़ हैं, उन की जो राजधानियां हैं उन के अन्दर वही हुकूमत है जो दूसरे हिस्सों में है। शायद इस बात को न माना जाय और किसी किस्म का जवाब दे दिया जाय, इस वास्ते मैं आप को यह भी बतला देना चाहता हूं कि कम्यूनिस्ट रूस में भी मास्को रिपब्लिक में वही हुकूमत है जो दूसरे हिस्सों में है बल्कि उस को कई मानों में और भी ज्यादा अख्तयारात हासिल हैं और वह सेंट्रल हुकूमत से बिल्कुल अलग काम करती है।

जब यह सवाल उठाया जाता है कि पांच साल के तजुर्बे में कुछ ऐसी बातें देखने में आई हैं जोकि ना-खुशगवार थीं, तो मैं समझता हूं कि इस में भी उतना वज़न नहीं है। पांच साल में एक दिन भी ऐसी एक बात नहीं हुई जबकि गवर्नमेंट आफ इंडिया में और दिल्ली गवर्नमेंट में कभी कोई मतभेद हुआ हो। जहां तक दूसरी किस्म के मतभेदों का ताल्लुक है, वे तो पार्टियों में सभी जगह चलते हैं। उन में मैं समझता हूं यहां जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन की वजह से हुकूमतें बन्द नहीं होती हैं। दिल्ली में ऐसी कोई बात होने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि आखिर कोई भी जिम्मेदार आदमी गैर-जिम्मेदारी की बात कैसे कर सकता है। जो हुकूमत चलाने वाले लोग हैं वे कैसे कह सकते हैं कि नेशनल इंटिरेस्ट के अन्दर अपने सूबे के, अपने प्रान्त के इंटिरेस्ट को कुर्बान न किया जाय और अगर उस को कुर्बान नहीं किया जा सकता है तो फिर कहीं भी कुर्बान नहीं किया जा सकता है। हिन्दुस्तान में और यह कोई खास बात दिल्ली के लिये नहीं है। अब भी हिन्दुस्तान में

अगर कभी इस किस्म के खतरे की आवाज़ उठ सकेगी तो वह दिल्ली की तरफ से नहीं उठेगी किसी और तरफ से भले ही उठ सकती है। इसलिये जो वजह दी जाती है कि यहां दो राजधानियां नहीं हो सकतीं तो यह बात मुझे कम से कम मुनासिब जान नहीं पड़ती है।

और भी कई बातें कही जाती हैं और कही जा रही हैं और कई किस्म के मोटिव भी अटैच किये जाते हैं। मेरे खयाल में उस का यहां कोई स्थान नहीं है और एक समझदार दुनिया में उस का स्थान होना भी नहीं चाहिये। लेकिन एक दो बातें कही जाती हैं जिन का मैं ज़िक्र करना चाहता हूं। आम तौर से यह कहा जाता है कि दिल्ली में अगर लैजिस्लेचर और मिनिस्ट्री हो तो उस का ख़र्चा बहुत बढ़ जायगा। इस के अलावा यह भी कहा जाता है कि यहां पर रुपया इन का अपना तो है नहीं, गवर्नमेंट आफ इंडिया के रुपये पर कैसे काम चलेगा। ये दोनों बातें मैं समझता हूं सही नहीं हैं। दिल्ली की जो फाइनेंशल हालत है, उस की जो आर्थिक हालत है, वह काफी अच्छी है। मुझे भी पांच साल का तजुर्बा है और उस के आधार पर ही में यह बात कह रहा हूं। मैं समझता हूं कि सिवाय कर्जों के उस को गवर्नमेंट आफ इंडिया पर निर्भर नहीं होना पड़ता। उस की काफी अपनी आमदनी है। मैं समझता हूं कि इस बात को शायद गवर्नमेंट आफ इंडिया भी स्वीकार करती है और यह सवाल उस के सामने भी नहीं है। लेकिन चूंकि बाज़ दफ़ा यह सवाल गवर्नमेंट आफ इंडिया के बाहर उठाया जाता है, इस वास्ते में ने इस का ज़िक्र किया है।

यह भी कहा जाता है कि मिनिस्ट्री से खर्चा बढ़ता है। यह बात ठीक है। लेकिन जहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वहां पर कुछ न कुछ खर्चा तो ज्यादा होता ही है। लेकिन जो तजुर्बा उस गवर्नमेंट को तोड़ कर १९५६ के बाद हुआ है जब से कारपोरेशन की स्थापना की गई है, उस को भी मैं आप के सामने रखना चाहता हूं। उस के बाद जो खर्चा बढ़ा है एडमिनिस्ट्रेशन का, मैं डिवेलेपमेंट के खर्चे को नहीं लेता हूं, सिर्फ एडमिनस्ट्रेशन के खर्चे को लेता है, वह तकरीबन चार गुना बढ़ गया है। जहां तक एफिशेंसी का ताल्लुक है, वह बहुत ही कम हो गई है, पहले के मुकाबले में। आज हालत क्या है, इस को आप देखें। आज दिल्ली में किसी भी एक अफसर को, किसी भी एक पोलिटिकल पार्टी को, किसी भी एक पोलिटिकल लीडर को या चन्द एक को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। कारपोरेशन यहां अलग है, दिल्ली डेवेलेपमेंट आथोरिटी अलग है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, गवर्नमेंट आफ इंडिया अलग है। वह तो खैर रहेगी और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी अलग है। किसी के अन्दर कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। कारपोरेशन का बदकिस्मती से एक पैटर्न चला आता है ब्रिटिश पैटर्न। ब्रिटेन का अपना जीनियस है और अपने जीनियस के मुताबिक ही वे उस को अपने यहां चलाना चाहते हैं। वह मुल्क भी छोटा है। लेकिन वह जो पैटर्न है जिस को वीक मेयर पैटर्न कहा जाता है या मेयर काउंसिल पैटर्न कहा जाता है वह दुनिया में फेल हो चुका है। अमरीका में भी इस को चालू किया गया था लेकिन वहां यह फेल हो गया और इस को खत्म कर दिया गया। दिल्ली में कोई भी आदमी किसी तरह की भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली में कोई जिम्मेदार नहीं है। जब यूनिटी आफ एडमिनिस्ट्रेशन न हो, उस में कुछ सिम्पलिसिटी न हो, उन में अपने में कान्फिडेन्स न हो तो कभी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरह से नहीं चल सकता है। आज हालत क्या है? मुझ शर्म आती है यह कहते हुए कि आज दिल्ली कारपोरेशन अपनी जिम्मेदारी को निभाने में असफल रहा है। आप देखें कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी उसके सिर पर थी। फाइव यीअर प्लान जो ९० करोड़ का है, उसमें से वह ५५ करोड़ खर्च करने का जिम्मेदार था। मगर मैं चैलेज करके कह सकता हूं कि ज़रा आप बगैर रिश्वत दिये एक काम को वहां से करवा दीजिये, कोई भी एक काम। जिम्मेदार से जिम्मेदार आदमी आज इसकी शिकायत करता है। हाई कोर्ट के एक जज साहब ने हमारे मेयर

[श्री ब्रह्म प्रकाश]

साहब से यह शिकायत की थी कि उन्होंने जब एक मकान का नक्शा पास कराने के लिये भेजा तो उस में भी पैसा मांगा गया। कितनी ही बातें इस तरह की हम रोज़मर्रा देखते हैं। एक नहीं सैकड़ों हज़ारों इस तरह के केसिस हैं। जो अफसर है वह भी कहता है मेरी मजबूरी है, मैं भी कहता हूं कि मेरी मजबूरी है लेकिन इस मजबूरी का इलाज क्या है।

मैं कल ही पढ़ रहा था डिवेलेपमेंट सिटी गवर्नमेंट का, स्टेट्स के अन्दर पिछले सौ साल का, रेवोल्यूशन से लगा कर, उसमें राइटर ने अपनी किताब में लिखा था कि यह जो पैटर्न है (जोकि यहां दिल्ली में मौजूद है) और जिसको ट्राई किया गया, बिल्कुल इसमें कुरप्शन का राज था और इसका कारण यह है कि आथोरिटी जो है, उसमें डिफ्यूयन आफ पावर जो है और चैक्स एंड बैलेंसिज़ जो हैं, उसके चक्कर में पड़ करके और डिफ्यूयन आफ आथोरिटी में पड़ कर एडमिनिस्ट्रेशन को इतना निकम्मा बना दिया गया कि कोई ऐकशन नहीं ले सकता, कोई आथोरिटी एक्सरसाइज़ नहीं कर सकता है। इन हालात में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ताल्लुक कारपोरेशन से नहीं है और दोनों को अगर मिला दिया जाये तो उसका डी० डी० ए० से कोई लम्बा चौड़ा ताल्लुक नहीं होता है। मुझे खुशी है और मैं शास्त्री जी का एहसानमन्द हूं कि उन्होंने इन सब दिक्कतों को महसूस किया है कि वाकई में दिक्कत है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि वह उन के ऊपर गौर करेंगे और इसको देखेंगे। मुझे अफसोस है कि जब कारपोरेशन बन रही थी तब भी मैं ने यह बात कही थी कि जो यह तजुरबा किया जा रहा है यह नाकामयाब होगा, यह चल नहीं सकेगा और यही हुआ। आज भी मैं कहता हूं कि आप बेशक इसको आज़मायें लेकिन यह कामयाब नहीं होगा। बदकिस्मती से तीस साल हम ने गुज़ारे और जो पांच साल बीच में आये उनको भी हमने गुज़ारा। आपके कहने पर हम और भी तजुर्बे करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि यहां जो सिविक एडमिनिस्ट्रेशन का पैटर्न हिन्दुस्तान में है, इस में ड्रास्टिक चेंजिज़ की जरूरत है। इस मौके पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह सिविक पैटर्न जो हिन्दुस्तान में चल रहा है, ब्रिटेन का नकल पर, यह हिन्दुस्तान के जीनियस के खिलाफ है। यह चल नहीं सकता है, इसको हमें भंग करना पड़ेगा। दिल्ली का जहां तक ताल्लुक है, इस पैटर्न के ऊपर आप इसको नहीं चला सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि यहां पर लैजिस्लेचर नहीं हो सकती है, मिनिस्ट्री और कैबिनेट नहीं हो सकती है तो कैबिनेट सिस्टम के अलावा और भी बहुत से सिस्टम हैं, प्रज़ीडेंशल सिस्टम हैं, या और कई सिस्टम हैं, उनको आप देखें और देखने के बाद उसको आप यहां पर ट्राई करें, उसको यहां लायें और जो दिल्ली का जीनियस हैं, दिल्ली की जो तमाम चीज़ें हैं, उनको किस तरह से काम में लाया जा सकता है, इसको आप देखें।

मौका दुःख का भी है और खुशी का भी। मझ आप माफ करें, क्योंकि मैं आपका थोड़ा सा वक्त और ले रहा हूं। हम जानते हैं कि हमारे जजबात कहां तक हैं इस मामले में, लेकिन जब हम अपने होम मिनिस्टर श्री शास्त्री को अपने सामने देखते हैं तो महसूस करते हैं कि उन का दिल इस बात को सही तौर से समझता है। हम यह उम्मीद करते हैं कि हम उन्हें कनविंस कर पायेंगे और वे जरूर हमारी बात को सुनेंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो वे इस विधान में दुबारा तरमीम लायेंगे।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस के अन्दर ज्यादा देर न की जाय। शायद होम मिनिस्टर साहब विंटर सेशन में दूसरा बिल लायेंगे। अगर हो सके तो उस के साथ साथ या उस से पहले आप दिल्ली के मुताल्लिक भी अपनी तजवीजें ले आयें।

†**डा० कोलाको** (नामनिर्देशित—गोआ, दमन, दीव) : कुछ ही दिन पूर्व मैं ने गोआ, दमन और दीव तथा अन्य संघ राज्य क्षत्रों की जनता की राजनैतिक महत्वकांक्षाओं की ओर सभा का

†मूल अंग्रेजी में

ध्यान आकर्षित किया था । मौजूदा विधेयक उन की यह अभिलाषा पूरी करता है । विधेयक में निर्दिष्ट उद्देश्यों को यथा संभव कार्यान्वित करने की आवश्यकता है । मुझे पूरा विश्वास है कि गोआ, दमन और दीव के विधान मंडल के सब सदस्य निर्वाचित होंगे और वहां का मंत्रिमंडल विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी होगा । उक्त क्षेत्र की आर्थिक स्थिति स्थिर और प्रगतिशील है । मेरा अनुरोध है कि उन्हें केन्द्र की ओर से पर्याप्त अधिकार दिये जायेंगे और उन्हें पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करने के लिये शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया जायगा । यहां पर मैं यह भी उल्लेख कर दूं कि यह विधेयक भावी प्रगति की दिशा में प्रथम चरण है । आगे चल कर उक्त राज्य भारतीय गणतंत्र का एक सबल और समर्थ राज्य सिद्ध होगा ।

†**श्री रिशांग किशिंग** (बाह्य मनीपुर) : गृह-मंत्री यह विधयक प्रस्तुत करने के लिये बधाई के पात्र हैं ।

इस विधेयक में कुछ कमियां हैं उदाहरण के लिये अर्द्ध-निर्वाचित और अर्द्ध-नामनिर्देशित विधान मंडल का निर्माण प्रजातंत्र का मखौल है । आशा है कि गृह-मंत्री इस उपबन्ध में आवश्यक संशोधन करेंगे ।

यह वस्तुतः खेद का विषय है कि दिल्ली को विधेयक के कार्य-क्षत्र से पृथक रख कर उसे विधान मंडल से वंचित कर दिया गया है ।

दिल्ली को इस में सम्मिलित करने का विचार किया जाये । संघ राज्य क्षेत्र की जनता इस विधेयक का स्वागत करती है । मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार इन राज्य क्षत्रों को अपने अपने विधान मंडल निर्वाचित करने का अधिकार प्रदान कर रही है ।

मनीपुर की जनता इस तरह की व्यवस्था के लिये अत्यन्त विकल थी । सन् १९४९ से ही वहां की जनता विधान मंडल की पुनर्स्थापना के लिये संघर्ष कर रही है । प्रजातंत्र के सच्चे प्रेमी होने के नाते वे इस दिशा में निरन्तर आन्दोलन करते रहे हैं । सन् १९५४ और १९६० में वहां इस के लिये व्यापक आन्दोलन किये गये । लोगों को निर्ममता पूर्वक पीटा गया । वे गिरफ्तार हुए, पुलिस ने गोलियां चलाईं तथा कई आदमियों को कारावास का दण्ड भोगना पड़ा । मनीपुर की स्त्रियों ने इस संघर्ष में अपने कर्तव्यों का साहस पूर्वक सामना किया । हम अतीत को विस्मृत कर रहे हैं । गृह-मंत्री से प्रार्थना है कि वे इस विधेयक की त्रुटियों को दूर कर वहां की जनता को अधिक अधिकार और शक्तियां प्रदान करें । मुझे प्रसन्नता है कि गोआ, दमन और दीव की जनता भारत के अन्य भागों की जनता के साथ कंधे से कंधा मिला कर देश हित में संलग्न होगी । कुछ वर्ष पहले मनीपुर के एक प्रतिनिधि मंडल ने श्री पंत से अपनी भेंट के दौरान में बताया था कि हमें भूतपूर्व भाग 'ग' श्रेणी के राज्य के समान विधान मंडल की स्थापना से संतोष मिल जायेगा । स्वर्गीय श्री पंत ने उन की इस अभिलाषा को पूरा करने का वचन दिया था और हमें प्रसन्नता है कि पंडित पंत के वर्तमान उत्तराधिकारी उसे पूरा कर रहे हैं ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** (धानबाद) : मौजूदा विधेयक अत्यन्त सामयिक है । यह सर्वथा स्वाभाविक ही है कि सत्य और अहिंसा के मूर्तमान रूप, राष्ट्रीय संघर्ष में अग्रणी माननीय गृह-कार्य मंत्री स्वयं इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि दिल्ली को इस नवीन व्यवस्था से पृथक् रखा गया है । छः वर्ष पहले जब ऐसा ही प्रश्न उत्पन्न हुआ था तब मैंने कांग्रेस उच्च सत्ता के सामने दिल्ली के मामले की वकालत की थी । प्रोफेसर रेथेल बीलसा ने ब्यूनस आयर्स के बारे में, जो अर्जेंटाईना की राजधानी है, एसे ही विचार प्रस्तुत किये थे ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री प्र० रं० चक्रवर्ती]

जब कांग्रेस की मीटिंग फिलालडेफिया में होती थी तब वहां की जनता ने इतना ज़बर्दस्त आन्दोलन किया कि अमेरिका के तीन पृथक् राज्यों से कुछ हिस्से ले कर वाशिंगटन की रचना की गई। ब्राजील की भी यही स्थिति रही। सदा से ही इस तरह की दलील दी जाती रही है कि जिस नगर में राजधानी रहती है वहां निहित स्वार्थ वाले दलों के कुचक्र से राजसत्ता और राजनैतिक असंतुलन बना रहता है और राजनैतिज्ञों पर दबाव डालने का प्रयत्न किया जाता है।

आस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस, और रोम, पैरिस, बर्लिन अथवा लन्दन इन सब स्थानों का यहां पर उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। मैंने इन सब स्थानों को देखा है और इन में से किसी भी नगर की जनता को केवल इसलिये अपने अधिकारों की अभिव्यक्ति से मना नहीं जा सकता कि वहां पर उस देश की राजधानी स्थित है। कलकत्ता में युवा क्रांतिकारियों ने बम्ब फेंक कर और पिस्तौलों का इस्तेमाल कर ब्रिटिश सत्ता की नाक में दम कर दिया और अंग्रेज वहां से भाग कर दिल्ली में आ गये। दिल्ली के लोग अत्यन्त सरल और सीधे, अकृत्रिम, सरल मस्तिष्क, शान्त स्वभाव और उत्तम संस्कृति, शिष्टता और शालीनता से परिपूर्ण हैं। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि आप दिल्ली की जनता को उन के अधिकारों से क्यों वंचित कर रहे हैं। दिल्ली विधान सभा में यह संकल्प सर्वसम्मति से पास हुआ था। दिल्ली की मास्टर प्लान मेरठ, गाजियाबाद, सोनीपत और पानीपत तथा अन्य सुदूर स्थानों तक फैल रही है। फिर यह समझ में नहीं आता कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना से इन सब पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा। जनता को अपने अधिकारों से वंचित न कीजिये। स्वयं गृह-मंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है और वही आज स्वयं ही स्वतंत्रता की बलि दे रहे हैं। दिल्ली की स्थिति अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन और आस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा के समान नहीं है। दिल्ली की स्थिति सर्वथा भिन्न है। मैं गृह-मंत्री से अपील करता हूं कि अगली बार जब वह सभा में विधेयक प्रस्तुत करें तो उस में निस्संदेह ही दिल्ली की जनता के लिये उत्तरदायी शासन प्रणाली की व्यवस्था होगी।

श्री बड़े (खारगौन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल इस सदन के सामने रखा गया है, उस से मेरे हृदय में सुख और दुख की मिश्रित भावना पैदा हुई है। सुख का अनुभव इसलिये हुआ है कि पांडीचरी, मणिपुर, त्रिपुरा और गोआ, दमन तथा दीव आदि क्षेत्रों में विधान सभाओं का निर्माण किया जा रहा है और वहां के लोगों को इलैक्शन का राइट मिल रहा है। लेकिन इस के साथ ही दुख इस बात का है कि आज देश के छोटे छोटे टुकड़े होते जा रहे हैं। इस से पहले नागालैंड का एक छोटा सा प्रदेश बनाया गया था और अब मणिपुर और त्रिपुरा को अलग अलग प्रदेशों का रूप दिया जा रहा है। अगर इन क्षेत्रों को आसाम में मिला दिया जाता, गोआ को महाराष्ट्र में . . .

एक माननीय सदस्य : मैसूर में क्यों नहीं ?

श्री बड़े : या पास की किसी स्टेट में, जैसा शासन उचित समझे, मिला दिया जाता और इसी प्रकार दूसरे इस प्रकार के क्षेत्रों को भी उन के साथ वाली स्टेट्स में मिला दिया जाता, तो इस देश का प्रशासन बहुत अच्छी तरह से चलता और ख़र्च में भी बचत होती। आज हिन्दुस्तान के छोटे छोटे टुकड़े होते जा रहे हैं और इस कारण प्रशासन चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है और ख़र्च भी बहुत अधिक करना पड़ रहा है।

मेरी विनती तो यह है कि मैं इस कल्पना का व्यक्ति हूं कि हमारे देश में एक यूनिटरी फ़ार्म आफ़ गवर्नमेंट हो--सारे अधिकार पार्लियामेंट के पास रहें और चार पांच ज़ोन्ज़ बना दिये जायें। लेकिन आज छोटे छोटे राज्य और स्टेट्स बनाई जा रही हैं। अगर उन को लेजिस्लेटिव असेम्बलीज़

देने के बजाये पास के प्रदेशों में मिला दिया जाता, तो शासन का पैसा भी बचता और इमोशनल इन्टेग्रेशन और नेशनल इन्टेग्रेशन भी प्राप्त हो जाती ।

जहां तक त्रिपुरा का सम्बन्ध है, स्टेट्स रीआर्गनाइज़ेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ १९२ पर कहा है कि भाग 'ग' राज्य के रूप में त्रिपुरा का प्रथक राज्य व्यवहार्य नहीं है । उ ने कहा है कि अल्टीमेट्ली मणिपुर और त्रिपुरा को आसाम प्रदेश में मिला देना चाहिये ।

मणिपुर के बारे में उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ १९७ पर कहा है कि मनीपुर अधिक समय तक प्रथक् आस्तित्व नहीं रख सकता है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेट्स रीआर्गनाइज़ेशन कमीशन ने मणिपुर और त्रिपुरा के बारे में जो वक्तव्य अपनी रिपोर्ट में दिया है, माननीय होम मिनिस्टर साहब उस की तरफ़ कोई ध्यान न देते हुए उन को अलग यूनिट्स बना रहे हैं और इस प्रकार शासन को और अधिक ख़र्चीला बना रहे हैं ।

अगर पांडीचरी को साथ के प्रदेश में मिला दिया जाता, तो अच्छा होता । ऐसा नहीं किया गया, इस का मुझे थोड़ा सा दुख है, लेकिन इस के साथ ही इस बात से सुख का अनुभव होता है कि पांडीचरी का जो प्रश्न इतने दिनों से पड़ा हुआ था, अब हल हो गया है और अब उस को आटानोमस गवर्नमेंट मिलने जा रही है ।

दिल्ली के बारे में मेरे पूर्ववक्ता ने जो भाषण दिया, उस पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । इस समय दिल्ली में एक तो कारपोरेशन चल रही है, उस के साथ न्यू देहली म्युनिसिपल कमेटी है और साथ ही दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दिल्ली का प्रशासन चलाया जा रहा है । इस प्रकार यहां का प्रशासन दो आरबिट्स पर चल रहा है, जोकि मेरे विचार में ठीक नहीं है । आज आवश्यकता इस बात की है कि कार्पोरेशन को और ताकतवर बना दिया जाये, उस को पूरे अधिकार दे दिये जायें और उस के वर्तमान डिफ़ेक्ट्स को दूर कर दिया जाये । इस प्रकार दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी । स्टेट्स री-आर्गनाइज़ेशन कमीशन की रिपोर्ट के पृष्ठ १५८ पर दिल्ली को स्टेट न बनाने और विधान सभा न देने के बारे में लिखा है कि हमें यह विस्मृत नहीं कर देना चाहिये कि :

(१) दिल्ली केन्द्रीय सरकार की राजधानी है ; और

(२) यह मूलतः नगर एकक है, यहां ८२ प्रतिशत जनता नगरीय क्षेत्रों में रहती है ।

यद्यपि दिल्ली को लेजिस्लेटिव असेम्बली १९५१ में दी गई थी, लेकिन उस की अवधि में बहुत घोटाला और गड़बड़ हुई । रिर्पोट में लिखा है कि जब से १९५१ में दिल्ली में जब से दुहरा नियंत्रण लागू किया, दिल्ली में प्रशासनिक स्तर में काफी गिरावट आ गई ।

मेरे पूर्ववक्ता ने अपने भाषण में कहा कि वह तो उसी प्रकार की लेजिस्लेटिव असेम्बली चाहते हैं, जोकि १९५१ में थी । मैं समझता हूं कि अगर यहां पर लेजिस्लेटिव असेम्बली स्थापित की गई और दिल्ली गवर्नमेंट बनाई गई, तो हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करेगी और फिर उसी तरह की गड़बड़ और अव्यवस्था फैलीगी ।

मेरे पूर्ववक्ता ने बड़ा इमोशनल भाषण दिया और कहा कि होम मिनिस्टर साहब ने स्वतंत्रता के आन्दोलन में भाग लिया है, वह आज़ादी के सिपाही हैं, उन के हाथ से दिल्ली को लेजिस्लेटिव असेम्बली क्यों नहीं मिलती है । मैं कहना चाहता हूं कि पूर्ववक्ता महोदय ने पहले के इतिहास को

[श्री बड़े]

तरफ़ नहीं देखा है । स्टेट्स रीआर्गनाइज़ेशन कमीशन ने इस सारी समस्या का पूर्णतया विश्लेषण किया है और लिखा है कि यहां पर कार्पोरेशन होनी चाहिये और उस को पूर्ण अधिकार देने चाहियें । क्योंकि यह नहीं किया गया है इसलिये सारी अव्यवस्था हो रही है । अगर म्यूनिसिपल कमेटी अलग न होती, यह नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी अलग न होती और आटोनोमस कारपोरेशन को अलग न रखा जाता और यह जो ड्यूल गवर्नमेंट है, इस को न चलाया जाता तो अव्यवस्था नहीं होती । कुरप्शन का भी पूर्व वक्ता ने ज़िक्र किया है और कहा है कि वह बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है । मैं उन से पूछना चाहता हूं कि कुरप्शन हिन्दुस्तान में है कहां नहीं । सभी जगह पर यह व्याप्त है । इस को दूर करने की हम सब को कोशिश करनी चाहिये न कि ऐसा करना चाहिये जैसे एक ब्राह्मण किया करता था कि जिस की चोटी उस के हाथ में आ जाया करती है, वह उस को ही कहता था कि काट देना चाहिये । अगर कारपोरेशन में कुरप्शन है, वह अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पा रही है तो हमें देखना चाहिये कि वह दूर हो और काम ठीक तरह से चले न कि हम को उसे ही खत्म कर देना चाहिये ।

दिल्ली के बारे में स्टेट्स रिआर्गेनाइज़ेशन कमिशन ने पेज १६१ पर एक सिफारिश की थी जिस की तरफ मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं । उस ने कहा है कि दिल्ली की जनता को मताधिकार से वंचित करने का कोई प्रश्न नहीं है । नगर निगम की स्थापना का उसे अधिक स्थानीय स्वायत्तता देने से दिल्ली की समस्या हल हो जायेगी ।

यह जो कहा जाता है कि किसी वक्त में यहां पर लैजिस्लेटिव असेम्बली थी इस वास्ते अब भी दी जानी चाहिये तो यह बात समझ में नहीं आती है । स्टेट्स रिआर्गेनाइज़ेशन कमिशन की रिपोर्ट के होते हुए जिस में पूरा इतिहास दिल्ली का दिया गया है, मैं समझता हूं यह कहना कि यहां के लिये भी उसी तरह से लैजिस्लेटिव असैम्बली दी जानी चाहिये, और कैबिनेट दी जानी चाहिये जिस तरह से पांडीचेरी, त्रिपुरा, मनीपुर इत्यादि में दी जा रही है, लाजीकल नहीं है, सिद्धान्त के विरुद्ध है और मैं समझता हूं कि केवल भावना में बह कर ही, इमोशन में आ कर ही उन्हों ने यह बात कह दी है । उन्हों ने इस से जो शासन खर्चीला होगा, उस की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है । अगर ऐसा किया गया तो १९५१ में जो डिटीरियोरेशन हुआ था वह फिर हो जायगा । इस वास्ते दिल्ली के बारे में मैं कहूंगा कि वर्तमान म्युनिसिपल कमेटी तथा कारपोरेशन को डिज़ाल्व कर के सभी अधिकार, पूरे के पूरे अधिकार कारपोरेशन को दिये जाने चाहियें । इस तरह से जो दिल्ली की समस्यायें हैं, वे आसानी से हल की जा सकती हैं । दिल्ली कैपिटल है, इस वास्ते जापान में टोकियों में जिस प्रकार की व्यवस्था है, उसी प्रकार की व्यवस्था यहां भी की जानी चाहिये । दिल्ली की खास पोजीशन को देखते हुए, चूंकि यह राजधानी है, इस की विशेष परिस्थिति को देखते हुए, अलग से एक राज्य बनाने के बजाय कारपोरेशन को अधिक से अधिक सशक्त बनाया जाये तो ये जो डिफैक्ट्स गिनाये गये हैं, ये नहीं रहेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल को स्पोर्ट करता हूं और दिल्ली के बारे में जो सवाल बीच में उठाया गया है, उस का मैं विरोध करता हूं । मैं समझता हूं कि दिल्ली में केवल कारपोरेशन होनी चाहिये । भावनात्मक दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार न कर के, जिस तरह से एस० आर० सी० ने इस मसले का हल सुझाया है, उस की तरफ हमें ध्यान देना चाहिये ।

†**श्री ललित सेन** (मंडी) : चौदहवां संविधान संशोधन विधेयक पेश करने के लिये मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों की ओर से माननीय गृह मंत्री के प्रति आभार प्रकट करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर हिमाचल प्रदेश को विधान सभा छोड़नी पड़ी किन्तु उसका अलग अस्तित्व बनाये रखा गया इसके लिये भी वहां के लोग आभारी थे ।

१९५६ में प्रादेशिक परिषद् की स्थापना की गई और तभी से हिमाचल प्रदेश के लोग वहां लोकतंत्रात्मक पद्धति की स्थापना का आग्रह कर रहे हैं । आज निस्सन्देह हमारा धैर्य फलीभूत हुआ है ।

यहां यह बताना अनुचित नहीं होगा कि हिमाचल प्रदेश ने संसद् के पथ प्रदर्शन और योग्य प्रशासन की देख रेख में कितनी प्रगति की है । कृषि का उत्पादन ३० प्रतिशत बढ़ गया है । साक्षरता में १० प्रतिशत वृद्धि हुई है । १६ प्रतिशत जनसंख्या सड़कों पर काम कर रही है ।

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत उन्नति हुई है । तीसरी योजना के पश्चात् हर तीन या चार मील की दूरी पर एक स्कूल बन जायेगा ।

इस उन्नति से हम इस योग्य हो गये हैं कि हमें जो नया स्थान मिल रहा है उस का पूरा लाभ उठा सकें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकें । विधान सभा के रूप में हमारे व्यक्तित्व का जो विकास होगा उस से हमारा वह योगदान बढ़ेगा । अतः मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री शीघ्र ही इन अधिकारों को लागू करने के लिये और बिल पेश करेंगे ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा): मैं सामान्य रूप से विधेयक का समर्थन करता हूं किन्तु इससे यह पता चलता है कि सरकार का राज्य पुनर्गठन के प्रति दृष्टिकोण बहुत ऊटपटांग रहा है । राज्य पुनर्गठन आयोग ने इस सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की थीं । इस विशाल देश की अनेकानेक समस्याओं को राजनैतिक दलों के दबाव के कारण हल कर पाना कठिन है । अतः आयोग की सिफारिशों को पूरे रूप में स्वीकार कर लेना अच्छा था । किन्तु हमने उन्हें स्वीकार नहीं किया और एक विधि पारित की जिसे सार्वजनिक आंदोलनों के कारण बदलना पड़ा । तो फिर जिन संघ राज्य प्रदेशों में आंदोलन हुए जैसे कि मनीपुर उन्हें भी उत्तरदायी विधान-मंडल क्यों न दिये गये । इसीलिये मैं कहता हूं कि सरकार ने इस समस्या का अव्यवस्थापूर्ण ढंग से हल किया है ।

जहां तक किसी प्रदेश के सामर्थ्य का प्रश्न है, उसकी आर्थिक स्थिति का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता क्योंकि इस सारे देश का समूचे रूप में विकास करने की योजना बना रहे हैं ।

राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा था कि भाग ख राज्य वित्तीय दृष्टि से कमज़ोर रहेंगे और प्रशासी तथा राजनैतिक दृष्टि से अस्थिर रहेंगे । हम अब प्रायः वही स्थापना कर रहे हैं । अतः सरकार को कोई ऐसा ढंग निकालना चाहिये जिसके अनुसार उन क्षेत्रों के लोग प्रशासन से सक्रिय रूप से सम्बद्ध हो सकें ।

इस विधेयक में कहा गया है कि विधान मंडल में कुछ भाग निर्वाचित होगा और कुछ नाम-निर्दिष्ट । भले ही नाम निर्दिष्ट करने वाला निकाय संसद् है जोकि लोगों का प्रतिनिधि निकाय है किन्तु हमें यह देखना है कि लोग स्वयं प्रशासन में भाग लें और अपने उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों को समझें । अतः नाम-निर्देशन का उपबंध नहीं होना चाहिये । संसद् को समूचे विधान मंडल के नाम-निर्देशन का अधिकार नहीं देना चाहिये । उससे लोग संतुष्ट नहीं होंगे ।

माननीय मंत्री यह बताएं कि क्या उन्होंने विधि मंत्री के सभापतित्व में नियुक्त समिति की सिफारिशों से पूर्णतः सहमत हो कर यह विधेयक प्रस्तुत किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी]

दिल्ली में प्रशासन की हालत को सुधारने के लिए सरकार को कुछ प्रस्थापनाएं पेश करनी चाहियें थीं । प्रशासी ढांचे की शक्ल को बदलना चाहिये ताकि लोगों की इच्छा को कुछ हद तक पूरा किया जा सके ।

हमें संविधान का इतनी जल्दी जल्दी संशोधन नहीं करना चाहिये । ऐसा संशोधन करते समय लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिये ।

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर): जहां तक इस बिल का ताल्लुक है मैं इस का समर्थन करता हूं । पीछे हमने स्टेट रिआरगेनाइजेशन कमेटी जब बनायी थी तो कुछ उसूल कायम किये थे । मैं समझता हूं कि हमें कुछ उसूलों को मान लेना चाहिए और हम जिन प्रान्तों की रचना करें उन उसूलों पर होनी चाहिए । इस मामले में हमारे दिमाग एक साफ हों कि हमें क्या करना चाहिए ।

जिस वक्त स्टेट रिआरगेनाइजेशन हुआ था उस वक्त ऐसा विचार प्रकट किया गया था कि इन प्रान्तों की रचना के बाद हम बड़े बड़े एरियाज़ को किसी न किसी तरह रिआरगेनाइज करेंगे ताकि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन छोटे छोटे टुकड़ों में न बंटे, बल्कि बड़े टुकड़े बनायें, और उसके लिए कुछ ज़ोनल काउंसिल्स वगैरह बनायी गयी थीं और उस वक्त ऐसा महसूस किया गया था कि अब हमारा झुकाव दूसरी तरफ होना चाहिए । लेकिन कभी कभी जब हम मौके की मजबूरी देखते हैं तो हमारा झुकाव छोटे छोटे प्रान्त बनाने पर हो जाता है । तो ये दो प्रकार की नीतियां हैं । क्योंकि हर चीज के प्रास और कान्स होते हैं । लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी बुनियादी नीति एक होनी चाहिए कि हमको देश में किस प्रकार के प्रान्त बनाने हैं । हमको यह तै कर लेना चाहिए कि आया हमको ऐसे प्रान्त बनाने हैं जो आर्थिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से अपने पैरों पर खड़े हो सकें या हमको देशका विभाजन छोटे छोटे टुकड़ों में करना है ।

हमारे देश के वे हिस्से जो विदेशियों के हाथों में रहे, जैसे वे हिस्से जो फ्रांस या पुर्तगाल के हाथ में रहे, उनके हालात के बारे में मैं नहीं जानता । लेकिन नजदीक होने की वजह से मैं हिमाचल प्रदेश के हालात को जानता हूं । मैं इस बात के हक में हूं कि जिन इलाकों की यह मांग हो कि हमको अपनी हुकूमत चलाने का अधिकार मिलना चाहिए और उस हुकूमत में रिप्रजेंटशन का पूरा अधिकार मिलना चाहिए, उनको वह अधिकार दे दिया जाये, क्योंकि ज्यादा देर तक उनके हकों को दबा कर नहीं रखा जा सकता । लेकिन इसके साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन प्रान्तों की हम रचना करें वे काफी बड़े हों, वायेबिल हों, आर्थिक दृष्टि से और अन्य दृष्टियों से अपने पैरों पर खड़े हो सकें ।

जहां तक हिमाचल प्रदेश के बारे में बात कही गयी है मैं उससे सहमत हूं, लेकिन जब हम हिमाचल प्रदेश की रचना करने जा रहे हैं तो क्यों न हम उसे बड़ा सूबा बनायें और जो दूसरे पर्वतीय एरिया हैं उनको मिलाकर बार्डर पर एक बड़े प्रान्त की रचना करें जो काफी मजबूत हो आर्थिक दृष्टि से और सभी अन्य दृष्टियों से । मैं इस बात का समर्थन इसलिए भी करता हूं कि सीमा के बारे में हमारे सामने काफी कठिनाइयां हैं । यह ठीक है कि हम अपनी सीमाओं की रक्षा फौजों से करते हैं । लेकिन हमारी सुरक्षा का सवाल महज फौजों से हल नहीं हो सकता । इसके लिए हमको सीमा पर जनता का एक मजबूत संगठन खड़ा करना चाहिए, वहां की जनता को काफी जाग्रत करना चाहिए और उनमें इस बात का भरोसा पैदा करना चाहिए कि वह इलाका उनका है और उस इलाके की तरक्की के उनके पास सब मौके हैं और सब साधन हैं । जब तक हम उन लोगों में उनके इलाके के लिए प्यार पैदा न करें और उनमें आपस में संगठित होने की भावना पैदा न करें तब तक हम

अपनी सीमा की रक्षा पूरी तरह नहीं कर सकते । इसलिए मैं इस बात का समर्थक हूं कि जब हम इस प्रान्त की रचना करने जा रहे हैं तो हम को अन्य पर्वतीय इलाकों को भी इकट्ठा करके एक बड़ा पर्वतीय प्रान्त बनाना चाहिए । इस वक्त जो आप हिमाचल प्रान्त बनाने जा रहे हैं वह छोटा है और वह पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता । जो कांगड़े का इलाका है और धोलाधार से परे तक का जो इलाका नेपाल की सीमा तक का है हमें उस तमाम एरिया को एक साथ मिला देना चाहिए और वह एक अच्छा पर्वतीय प्रान्त बन सकता है और वह हर लिहाज से हिन्दुस्तान के लिए मजबूती का कारण होगा, उन लोगों को साथ आने का पूरा मौका मिलेगा और वे अहसास कर सकेंगे कि हमको अपनी तरक्की करने का पूरा पूरा मौका है ।

इस वक्त हिमाचल प्रान्त को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से काफी सहूलियतें मिली हुई हैं, वहां शिक्षा का प्रचार किया गया है, आर्थिक दृष्टि से भी उस इलाके का विकास करने का प्रयत्न किया जा रहा है । हो सकता है कि जिस समय यह अलग प्रान्त बन जायेगा उस समय केन्द्रीय सरकार से इसको इतनी उदारता से सहायता न मिले । यहां शिक्षा का प्रचार हुआ यह ठीक है लेकिन उसी के साथ साथ उनको कारोबार और एम्पलायमेंट के भी मौके मिलने चाहिए । आज कल पहाड़ी इलाके में शिक्षा का प्रचार तो काफी है लेकिन एम्पलायमेंट के अवसर काफी नहीं हैं । जब भी वहां जंगलात कटते हैं तो नीचे से लोग जाकर ठेके लेते हैं । मैं देश की जनता के बीच में भेदभाव करने के पक्ष में नहीं हूं लेकिन वहां के लोगों को आर्थिक तरक्की करने का मौका मिलना चाहिए । वहां के लोग नीचे आकर नौकरी करते हैं, उनको वहां नौकरी नहीं मिलती । इसी तरह की हालत कांगड़े से ऊपर के इलाके की और दूसरे पहाड़ी इलाके की है । मैं खास तौर से यह कहना चाहता हूं कि जब आप हिमाचल प्रदेश का प्रान्त बना रहे हैं तो उसमें दूसरे पहाड़ी इलाकों को मिलाकर एक मजबूत प्रान्त खड़ा करना चाहिए । अगर हम इस हिस्से को छोटे छोटे हिस्सों में रखेंगे तो हमको अपने डिफेंस में कठिनाई हो सकती है ।

मैं चाहता हूं कि हम इस बारे में अपनी एक नीति बनायें कि हमें छोटे प्रान्त बनाने हैं या बड़े प्रान्त बनाने हैं । अगर हमें बड़े प्रान्त बनाने हैं तो हमको हिमाचल प्रदेश को भी बड़ा प्रान्त बनाना चाहिए ।

जहां तक दिल्ली का प्रश्न है मैं इसके हक में हूं कि दिल्ली के लोगों को अपने अधिकार मिलने चाहिए । मुझे से पहले भी एक दो दोस्तों ने यह बात कही है । मैं चाहता हूं कि दिल्ली के लोग अपनी हुकूमत खुद चलाएं । यह ठीक है कि यहां राजधानी होने की वजह से इस में कुछ कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं और यहां के लोगों को और गवर्नमेंट आफ इंडिया को भी कठिनाई और परेशानी हो सकती है । इसलिए पिछली कठिनाइयों को सामने रखते हुए दिल्ली के लिए हम को कोई ऐसा सोचना पड़ेगा और ऐसा प्रावीजन रखना पड़ेगा कि यहां का काम भी होता रहे और जो पहले कठिनाइयां पैदा हुई थीं वे पैदा न हों ।

इतना ही मैं आप से कहना चाहता था ।

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** (नामनिर्देशित–आंग्ल भारतीय) : दिल्ली के बारे में मैं गृह-कार्य मंत्री के रवैये का समर्थन करता हूं । यहां विधान मंडल बना देना विपत्तिपूर्ण होगा । देश की गरीबी और निरक्षरता को ध्यान में रखते हुए, इससे केवल कुछ राजनीतिज्ञों को ही लाभ पहुंच सकता है, किन्तु इससे भ्रष्टाचार और भी बढ़ जायेगा ।

भारत का इतिहास तो प्रदेशवाद का इतिहास रहा है । आजकल राज्य विधान मंडल क्या है ? क्या उनसे जनता को अधिकार प्राप्त हुए हैं ? हम लोकतंत्र का अभिप्राय जाने बिना ही उसकी बात

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री फ्रैंक एन्थनी]

कहते रहते हैं । आंध्र के विभाजन के समय हम ने जो आशंकाएं प्रकट की थीं वे आज घटित हो रही हैं ।

केरल में जब आम चुनाव हो रहे थे तो लोग कहते थे कि वहां राष्ट्रपति का शासन हो जाये तो अच्छा है । अतः हम जानते हैं कि विधान मंडल का अभिलेख कैसा है । राजनीतिज्ञ होना गाली समझा जाता है । सरकार राजनैतिक चालबाजियों के सामने झुकती रही है और मैं आशा करता हूं कि माननीय गृह मंत्री अब नहीं झुकेंगे ।

श्री नवल प्रभाकर (दिल्ली—करौल बाग़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कुछ स्टेट्स को विधान सभाओं के रूप में प्रजातांत्रिक शासन देने का विचार किया है । पहले इन स्टेट्स को 'ग' श्रेणी के राज्य कहा जाता था और अब भी उससे लगभग मिलती जुलती व्यवस्था की जा रही है । पहले दिल्ली भी इसी श्रेणी में था, लेकिन अब सको इससे अलग कर दिया गया है ।

मेरे पूर्ववक्ताओं, दिल्ली के नेता, चौधरी ब्रह्म प्रकाश, और माननीय सदस्य, श्री चक्रवर्ती, ने इस बिल के बारे में अपने विचार रखे और बहुत ही अच्छे शब्दों में दिल्ली की मांग को दोहराया । माननीय गृह मंत्री जी ने अपने भाषण में दिल्ली की चर्चा की और उससे ऐसा ज्ञात होता है कि उनके दिल में दिल्ली के लिए हमदर्दी है और इस विषय में उन्होंने बहुत ही मधुर शब्दों में आश्वासन दिलाने की कोशिश की ।

श्री फ्रैंक एन्थनी ने भी इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये, लेकिन मैं उनको सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि हिन्दी में एक कहावत है, "जाकी फटी न हो बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई" । श्री फ्रैंक एन्थनी साहब को तो कुछ पता नहीं कि डेमोक्रेसी क्या होती है, चुनाव क्या होता है, उस के परिणाम क्या होते हैं, जनता क्या होती है और उसके साथ व्यवहार क्या होता है । उन्होंने पुराना ज़माना देखा है । उसी ज़माने के लिहाज़ से आज वह इस नये ज़माने को ढालना चाहते हैं । लेकिन वह ज़माना अलग था—वह अंग्रेज़ का ज़माना था और उसमें जैसे वे चाहते थे, वह चल सकता था । लेकिन आज तो वक्त बदल गया है । आज रास्ता दूसरा है और आज दूसरे ढंग से सोचना चाहिए । उनको भी दूसरे ढंग से सोचना चाहिये ।

दिल्ली के सम्बन्ध में मैं माननीय गृह मंत्री जी से इतना ही कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो आश्वासन दिया है कि दिल्ली में क्या ढांचा स्थापित हो, इस पर वह विचार कर रहे हैं, इसको मैं मानता हूं । मेरा निवेदन यह है कि 'ग' श्रेणी के राज्य जो कहे जाते थे, उनमें काला पानी को छोड़ कर के और दिल्ली को छोड़ कर के बाकी सब को दे दी गई . . . .

श्री दाजी (इंदौर) : दिल्ली अब काला पानी हो जायेगा ।

श्री नवल प्रभाकर : यही मैं कहने जा रहा हूं । आज दिल्ली की गलियों में जब हम जाते हैं तो जब हमें लोग यह कहते हैं कि क्यों भाई हमें काले पानी के बराबर कर दिया गया है तो इसका कोई भी जवाब हमसे नहीं बन पड़ता है और कोई जवाब इसका हमको सूझता नहीं है ।

श्री सोनावने (पंढरपुर) : इतनी बड़ी पार्लियामेंट यहां है ।

श्री नवल प्रभाकर : हमारे सोनावने साहब कहते हैं कि इतनी बड़ी पार्लिमेंट है । मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई नल बन्द हो जाता है, कहीं पर पानी बन्द हो जाता है तो उसके लिए यहां पर पांच सौ के सदन में आकर सवाल उठाया जाये, तो यह कहां तक उचित होगा । जो समय

यहां पर बहुत अच्छी अच्छी बातों पर सोचने पर लगाया जा सकता है, देश की तरक्की कैसे हो, इस पर सोच विचार पर लगाया जा सकता है, उसके मुकाबले में अगर यह कह दिया जाये कि पानी नहीं आया या बिजली बन्द हो गई है अमुक मुहल्ले के अन्दर या और भी जो छोटे छोटे काम हैं जिन को हम लोग आसानी से बैठ कर सोच सकते हैं और हल कर सकते हैं, तो उनकी क्या अहमियत रह जाती है । ये सब छोटी छोटी बातें यहां पर पार्लिमेंट में लाई जायें और यहां पर उन पर विवाद किया जाय और आधा आधा घंटा नहीं बल्कि घंटा घंटा उन में चला जाये तो एक तरह से देखा जाये तो देश के पैसे का यह दुरुपयोग करना है । यहां पर अच्छी अच्छी, बड़ी बड़ी, देश की तरक्की की, देश के विकास की बातें हम सोच सकते हैं और उनके लिए अधिक समय दे सकते हैं बजाय इसके कि इन छोटे छोटे मसलों पर विचार करें जो कि आसानी से हम खुद ही बाहर हल कर सकते हैं । दिल्ली की छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे प्राबलैम्ज़ को, झुग्गी और झोंपड़ी के मसले को यहां पर उठाया जाय, इस सदन का उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया जाय और उस पर टाइम इस सदन का लिया जाये तो यह कहां तक उचित है । जब इस तरह के सवाल उठाये जाते हैं तो पहले तो माननीय मंत्री महोदय उस पर अपना वक्त लगाते हैं फिर प्रश्न होता है, फिर उसका उत्तर होता है और इस तरह से काफी समय इस सदन का चला जाता है । इनके अलावा और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिन पर सोच विचार करना होता है और अगर उन सब पर यहां पर बैठ करके ही सोच विचार करना हो तब तो दूसरी बात है लेकिन बाहर भी वैसा किया जा सकता है । किन्तु मेरा कहना यह है कि हम यहां पर पांच सौ से ऊपर सदस्य हैं और सारे देश से चुन कर हम यहां आते हैं, ऐसी दशा में क्या दिल्ली के लोगों की जो रोज़मर्रा की समस्यायें हैं, रोज़मर्रा की जो कठिनाइयां हैं, उनको हम सोच सकते हैं, उनको हम समझ सकते हैं, उनको हम अनुभव कर पाते हैं । लोक सभा का मैं बराबर सदस्य चला आ रहा हूं और बराबर मैं इस बात को कहता आ रहा हूं कि यहां पर झील नजफगढ़ का किस्सा है, नजफगढ़ नाले का किस्सा है । उसको ले कर यहां पर विवाद हुआ । पीलिया का रोग यहां फैला । उसके बारे में विवाद हुआ । आज दिल्ली की हालत यह है कि न यहां पर शुद्ध पानी मिलता है, न शुद्ध खाना मिल पाता है, बिजली की हालत खराब है । ये सब बातें हम कहें तो कहें किस से । कारपोरेशन की अवस्था यह है कि उसका जितना कम ज़िक्र किया जाये उतना ही अच्छा है । मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं । कुछ लोगों ने आ करके एक जगह को घेर लिया । मैंने कमिश्नर साहब को चिट्ठी लिखी कि यह जो जगह घेर ली गई है वहां पर कुछ पशुओं को बांध दिया गया है और लोग डेरी बना रहे हैं । कमिश्नर ने इसको डेपुटी कमिश्नर के पास भेज दिया । डेपुटी कमिश्नर ने मुझे कुछ दिनों के बाद चिट्ठी लिखी कि वह डेरी हटा दी गई है । वह डेरी मेरे घर के पास ही थोड़ी दूरी पर थी । मुझे जब वह लेटर आया तो मैंने उस जगह को जा कर देखा तो पाया कि डेरी उसी तरह से मौजूद है । मैं ने फिर कमिश्नर साहब को लिखा और बराबर लिखता आ रहा हूं । मैं आपको, उपाध्यक्ष महोदय, बताना चाहता हूं कि आज मैं दसवां पत्र डाल कर आया हूं लेकिन इतने पत्र लिखने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हुआ है । मुझसे कमिश्नर साहब ने कहा कि एक दफा तो हट गई थी । इस तरह से गलत जवाब दे दिये जाते हैं और कोई एक्शन नहीं हो पाता है ।

अब आप स्कूलों की हालत को देखें । हमारे यहां कितने ही स्कूल हैं जो तम्बुओं में चलते हैं । जो बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी जो दुर्दशा गर्मी, सर्दी और बरसात के दिनों में होती है, उसका अंदाज़ा आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं । इस तरह से जो और हमारी रोजमर्रा की समस्यायें हैं, उनको ले कर हम यहां आयें और यहां पर उनको बयान करें तो यह कैसे सम्भव हो सकता है हम दिल्ली के पांच सदस्य हैं । ये पांच सदस्य हर बात को यहां पर उठा नहीं सकते हैं । साल में एक बार बजट आता है । बजट के मौके पर ही हम दिल्ली की बात कह सकते हैं । अब अगर पांच सदस्यों को पंद्रह पंद्रह मिनट मिलें बोलने के लिए तो सवा घंटा मिला और . . . .

श्री अन्सार हरवानी (बिसौली) : पांच में से दो मिनिस्टर हैं, वे बोल नहीं सकते हैं ।

श्री नवल प्रभाकर : इस वास्ते आज आवश्यकता इस बात की है कि दिल्ली की ओर थोड़ा सा ध्यान दिया जाये । मैं नहीं कहता कि अभी आप दिल्ली के बारे में कुछ करें । किन्तु इतना मैं जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि हम दिल्ली के जो सदस्य हैं, हमने जो यह मांग की है कि दिल्ली को भी इस में शामिल किया जाये इसको आप को मान लेना चाहिये । संविधान का जब संशोधन होता है तो वह कोई साधारण बात नहीं होती है । अगर आप अब ऐसा नहीं करते हैं और थोड़े दिन के बाद जा कर के अपनी राय कायम करते हैं और राय कायम करने के बाद संविधान में संशोधन करने का विधेयक लाते हैं, तो यह उचित नहीं प्रतीत होता है । अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली का जो शब्द है, उसको इसमें जोड़ दिया जाना चाहिये । इससे कोई बड़ी विचित्र बात नहीं हो जायेगी । आप जैसा चाहते हैं, वैसा ही होगा । लेकिन इस शब्द को इसमें जोड़ दें । इसके अन्दर और बहुत सी डेफीनीशंज़ दी हुई हैं । आप दिल्ली में भी जैसा शासन चाहें स्थापित कर सकते हैं और जब चाहें, यहां पर असैम्बली इत्यादि दे सकते हैं । आज अगर आप यह अनुभव करते हैं कि हम में से जो लोग यहां दिल्ली में हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में हैं, वे सम्भवतः दिल्ली का शासन भार नहीं सम्भाल सकते हैं या दिल्ली के शासन को हम नहीं चला सकते हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप दिल्ली को तो इसके अन्दर सम्मिलित कर दीजिये और उसके बाद जब आप मुनासिब समझें, जब आप उचित वातावरण देखें और अनुभव करें कि अब हम दिल्ली का शासन सम्भालने योग्य हो गये हैं या और किसी तरीके से सम्भाला जा सकता है, उसी तरीके से उस समय आप यहां पर उस किस्म का शासन स्थापित करें । लेकिन इतना आज मैं निवेदन करता हूं, इतनी मैं अवश्य प्रार्थना करता हूं कि आप सहृदय भाव से सोचें और सोच करके दिल्ली शब्द के लिए जो हम ने आग्रह किया है, उस शब्द को आप इस में सम्मिलित करने की अवश्य कृपा करें ।

†**डा० म० श्री अणे** (नागपुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, एक तो इसके उद्देश्य के कारण और दूसरे इस कारण कि इस द्वारा एक बार फिर राज्य पुनर्गठन पर चर्चा करने का अवसर मिला है । इससे सरकार का प्रगतिशील दृष्टिकोण लक्षित होता है ।

आज काम की सरलता तथा जिनके लिए राज्य का निर्माण होता है उनकी इच्छा ही राज्य के निर्माण का आधार है । सच पूछा जाये तो किसी भी राज्य को आज आत्मनिर्भर राज्य नहीं कहा जा सकता । कुछ लोगों को पूर्ण राज्य का दर्जा न देने के लिए जानबूझ कर आत्मनिर्भरता का सिद्धान्त बीच में लाया गया है ।

विदर्भ के आठ जिलों को राज्य पुनर्गठन आयोग ने एक पृथक् राज्य बनाने के लिए अलग किया था परन्तु उसे स्वीकार नहीं किया गया । उस क्षेत्र के लोगों में इस कारण बड़ा असंतोष है । सरकार को चाहिये कि राज्यों के पुनर्गठन पर विचार करने के लिए और यह पता लगाने के लिए कि नये राज्य बनाये जायें अथवा नहीं एक नया आयोग नियुक्त करे । इससे भारत के एकीकरण की समस्या का ठीक हल निकल पायेगा । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के सदन में उपस्थित होत समय, जिस रूप में वह यहां रक्खा गया है, उसमें हमारे श दे के वे भू भाग भी सम्मिलित हैं जो अब तक दूसरे शासनों के अन्तर्गत थे, जसे गोआ, पांडिचेरी आदि, इस दृष्टि से तो मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, लेकिन जहां तक छोटे छोटे राज्यों के निर्माण की स्थिति है, उस के सम्बन्ध में मेरा अपना विरोध है । मैं इस विश्वास का हूं कि हमारे देश में जब तक संघीय शासन प्रणाली अर्थात् यूनिटरी फार्म आफ गवर्नमेंट, नहीं होगी, तब तक हम अपने देश को सुरक्षित नहीं रख सकते । इस प्रकार छोटे छोटे राज्यों का निर्माण और छोटे छोटे राज्यों को बना कर

†मूल अंग्रेजी में

देश में अन्दर अनेकता की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना भारत की एकता और भारत की मजबूती के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न करना है ।

मुझे इस बिल में यह देख कर आश्चर्य हुआ कि जिन प्रदेशों को आप अलग अलग स्वायत्त शासन देने जा रहे हैं उनमें मणिपुर और त्रिपुरा के राज्य भी हैं । आप राजस्थान की इतनी बड़ी बड़ी रियासतों को तो मिलाकर एक प्रदेश बना सकते हैं लेकिन मणिपुर और त्रिपुरा इन दोनों को आपको पृथक राज्य बनाने की आवश्यकता अनुभव हुई, इसके पीछे स्पष्ट ही यह स्थिति है कि हमारे मनों में उतनी शुद्धता और देश के प्रति उतनी आत्मीयता नहीं लगी है जो कि हम एक दूसरे के साथ कन्धे से कन्धा मिला कर रह सकें ।

इसके साथ साथ मेरा एक निवेदन यह है कि यदि हम चाहें कि हम अपने देश में संघीय शासन प्रणाली की स्थापना करें वहां साथ ही साथ मैं एक दूसरी बात भी निवेदन करना चाहता हूं । अभी इस विधेयक में दिल्ली राज्य की भी कुछ चर्चा हुई । पहले दिल्ली में विधान सभा रह चुकी है, बाद में दिल्ली प्रदेश की विधान सभा को भंग करके केन्द्र के अन्तर्गत दिल्ली को लाया गया । यह भी कहा गया कि जब से ऐसा किया गया है तब से दिल्ली के शासन में बहुत सी बुराइयां बढ़ गयी हैं और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि बिना रिश्वत का सहारा लिए कोई कार्य नहीं होता । मैं यह मानता हूं कि बुराइयां बढ़ी हैं, लेकिन मैं इस बात को इस रूप में मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जब दिल्ली विधान सभा थी तो यहां घी और दूध की नदियां बहती थीं और जब से दिल्ली केन्द्रीय सरकार के हाथों में आयी है तब से बुराइयां बढ़ी हैं । यह ठीक है कि दिल्ली में बुराइयां बढ़ी हैं, लेकिन उनका समाधान दिल्ली का पृथक राज्य बनाने से हो जाएगा, इससे मैं सहमत नहीं हूं ।

साथ ही साथ मैं एक और भी निवेदन करना चाहता हूं, वह यह कि कहीं दिल्ली प्रांत के नारे के पीछे वह पुरानी महा दिल्ली की भावना तो नहीं है कि जिसमें उत्तर प्रदेश और पंजाब के कुछ भागों को सम्मिलित करने की योजना थी । मुझे तो यह प्रतीत होता है कि यह केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे और भी कोई दूसरी भावना लगी हुई है ।

अध्यक्ष महोदय, यदि सरकार इन प्रदेशों का निर्माण करना चाहती है, तो आप मुझे इन शब्दों को कहने की आज्ञा दें, और गृह मंत्री जी अपना उत्तर देते समय इस बात का भी स्पष्टीकरण करें, कि कहीं उनके मस्तिष्क में दिल्ली के विषय में वैसी दुर्बलता तो नहीं है जैसी महाराष्ट्र और गुजरात के सम्बन्ध में थी । पहले केन्द्रीय सरकार गुजरात और महाराष्ट्र की मांग का विरोध करती रही, और वहां तीन वर्ष तक खून खच्चर होता रहा और आपस में लड़ाई होती रही, उसके बाद केन्द्रीय सरकार ने अपने घुटने टेक दिये । अगर दिल्ली के बारे में भी वह इसी प्रकार की स्थिति में आने के लिए उद्यत हों, तो मेरा निवेदन है कि इस विधेयक में दिल्ली को भी सम्मिलित कर लिया जाए, लेकिन यदि उनका ऐसा विचार नहीं है और वे दृढ़ता से अपने निर्णय पर डटना चाहते हैं, तो मेरा अपना विश्वास है कि दिल्ली को पृथक राज्य नहीं बनाना चाहिए ।

एक और बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं, वह यह है कि जब हम इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें अपने देश में प्रान्तों के निर्माण की पृष्ठ भूमि पर भी ध्यान देना चाहिए । जिस समय हमारे देश में पृथक राज्य बनाने की संविधान सभा में स्वीकृति हुई थी उस समय भी यह चर्चा आयी थी । और आज भी मैं इस बात को बलवती भाषा में कहना चाहता हूं कि अभी भी जितने राज्य बने हुए हैं उनमें पृथकता की मनोवृत्ति कभी तेल की रायल्टी के रूप

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

में और कभी अलग शासन के प्रश्न को लेकर सामने आने लगी है। यह जो पृथक पृथक राज्यों में पृथकतावादी मनोवृत्ति बढ़ रही है, अगर इस पर अधिकार प्राप्त करना है तो हमें इसके लिए गांधीं से सीख लेनी चाहिए। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा यह थी कि जब भी उनसे कोई भूल हो जाती थी तो वे उसको सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लेते थे। हमारे शासन ने उस दिन बड़ी भारी भूल की थी जिस दिन उसने भाषावार प्रान्तों के सिद्धान्त को मान कर इस पृथकता की नीति को जन्म दिया। आज अगर शासन की सचमुच में गांधी जी में आस्था है तो उनकों अपनी भूल के लिए पश्चाताप करना चाहिए और छोटे छोटे राज्यों को समाप्त कर देश में संघीय शासन प्रणाली की स्थापना करनी चाहिए, और उसके लिए आवश्यक है कि इस प्रकार के विधेयकों को जो छोटे छोटे राज्य बना कर देश को बांटना चाहत हैं, यह सदन स्वीकार न करें।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं सभा का आभारी हूं कि सामान्यतः इस विधान का समर्थन किया गया है। यद्यपि दिल्ली के बारे में कुछ कहा गया है किन्तु बिल के अन्य उपबन्धों के बारे में कुछ नहीं कहा गया।

श्री दशरथ देव ने कहा कि पांडीचेरी को निकटवर्ती प्रदेश में मिला देना चाहिये। मैं ने आरम्भ में यह स्पष्ट कर दिया था कि केवल भावनाओं के ही कारण नहीं बल्कि संधि की शर्तों की अवहेलना हम नहीं कर सकते इस लिए पांडीचेरी पुरानी स्थिति में रखना होगा।

दिल्ली के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम पुनः विचार करेंगे कि इसमें कैसी व्यवस्था की जाय। श्री ब्रह्म प्रकाश की यह बात हमारे मन में नहीं कि इस से खर्च बढ़ जायेगा। वास्तव में अधिकांश संघ राज्य क्षेत्र केन्द्र के ऋण और अनुदान पर निर्भर करते हैं। केवल दिल्ली के लिए अपवाद नहीं हो सकता। श्री ब्रह्म प्रकाश के कथन के अनुसार यह बहुत संभव है कि दिल्ली की राजस्व आय अन्य संघीय प्रदेशों से अधिक हो।

उन्होंने वर्तमान स्थिति की आलोचना करते हुए यह कहा कि समन्वय का अभाव है और भ्रष्टाचार अधिक है। कभी कभी हम अवश्य अनुभव करते हैं कि दिल्ली में काम करने वाले विभिन्न अभिकरणों के कार्यों में समन्वय का अभाव है। श्री ब्रह्म प्रकाश का कथन कुछ हद तक ठीक है।

रही बात भ्रष्टाचार की। उसके बारे में तो हम कम ही बोलें तो अच्छा हो क्योंकि इसके बारे में हम सब को विचार करना चाहिये।

भले ही मुख्य उत्तरदायित्व सरकार का है किन्तु जब तक हम सब उत्तरदायित्व को न समझें तब तक भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं हो सकता। यह कहना कि विशेष अभिकरण के प्रशासन के कारण भ्रष्टाचार है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। आखिर वे लोग जो शासन कर रहे हैं कौन हैं? हम सब भारतीय हैं। इस भारत मां के सपूत हैं और यदि हम भ्रष्टाचार को कम नहीं कर सकते तो हमें शर्म से डूब मरना चाहिय। सरकारी कर्मचारी, राजनैतिक कार्यकर्त्ता, मंत्री आदि सभी इसके लिए उत्तरदायी हैं। मैं इस से पूर्णतः सहमत हूं कि हमें भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहिये। किन्तु भ्रष्टाचार का आरोप किसी शासन पद्धति पर लगाना मुझ स्वीकार नहीं है।

अशोक सेन समिति का उल्लेख किया गया था। मैं ने कहा था कि यह गृह मंत्रालय को सलाह देने के लिए बनाई गई थी। मैंने इस का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखना उचित नहीं समझा था

†मूल अंग्रेजी मे

किन्तु मैं श्री द्विवेदी को बता सकता हूं कि उसकी सिफारिशें लगभग वही थीं केवल इस बात को छोड़कर कि 'विधान सभा' के बदले उसने 'क्षेत्रीय सभा' का सुझाव दिया था तथापि उस प्रतिवेदन पर विचार करते हुये हमने अनुभव किया था कि यदि अधिकार प्रत्यायोजित किये जाने हैं, तो अधिकतम सीमा तक किये जायें। श्री रिशांग किशिंग का आंदोलन बिल्कुल आवश्यक नहीं था। उचित नेतृत्व में मनीपुर के लोगों को कठिनाइयों से बचाया जा सकता था।

श्री चक्रवर्ती ने दिल्ली के बारे में कहा था। उनका प्रयोजन क्या है। प्रयोजन यह है कि दिल्ली के लोगों का प्रशासन में पूरा हाथ होना चाहिये। यदि मैं या सरकार प्रशासन का ऐसा नमूना स्थापित कर दे, तो श्री चक्रवर्ती या श्री ब्रह्म प्रकाश की इच्छाएं पूरी हो जानी चाहियें। केवल विधान मंडल या मंत्रिमंडल के नाम को ही महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिये।

राज्य पुनर्गठन आयोग ने दिल्ली के लिये एक निगम की सिफारिश की थी। किन्तु निगम से उनको पूरा सन्तोष नहीं हुआ। इसलिये हम उसके अधिकारों पर पुनर्विचार करने के लिये तैयार हैं। निगम ने भी ऐसे परिवर्तनों के बारे में एक उपसमिति स्थापित की है निगम के मेयर को उस का प्रतिवेदन हमें भेज देने के लिये कहा गया है।

श्री बड़े ने कई सामान्य प्रश्न उठाये हैं जिन में जाने की आवश्यकता नहीं है। एकतन्त्रात्मक सरकार कहने में बहुत अच्छी लगती है। किन्तु हमारा देश बहुत बड़ा है। भाषायें भिन्न हैं, धर्म भिन्न हैं। यदि हम लोकतन्त्रात्मक सरकार चाहते हैं तो इन भिन्नताओं को मिलाना आवश्यक है। क्या आप मनीपुर और त्रिपुरा के लोगों को उनकी परम्पराओं, अधिकारों आदि से वंचित करना चाहते हैं? उन्हें पहले भी इस बारे में कुछ सन्देह है। हमें सब से पहले देश की एकता का ख्याल रखना है। इसलिये जब तक ऐसी परिस्थितियां पैदा नहीं की जातीं कि वहां के लोग निकटवर्ती क्षेत्रों से मिलना चाहें, वर्तमान स्थिति जारी रखनी पड़ेगी। उनकी आर्थिक स्थिति देखिये।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : वहां की जनसंख्या क्या है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** जनसंख्या का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि ये क्षेत्र, मुख्यतया पहाड़ी क्षेत्र पिछड़े हुये हैं। उनका उचित ख्याल नहीं रखा गया। आजादी के बाद उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयत्न किया गया है हम इससे सन्तुष्ट नहीं हैं। यदि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाये, तो वे अवश्य दूसरे राज्यों में मिलना चाहेंगे।

इस समय विदर्भ का सामान्य प्रश्न नहीं उठता। मैं केवल श्री कामत के संशोधन में एक बात कहना चाहूंगा। वह यह है कि यदि पृष्ठ १, पंक्ति २१ में से "मनोनीत या" शब्द निकाल दिये जायें. तो हमें मंजूर होगा।

संघ राज्य क्षेत्रों को ऐसी स्थिति में रखा जा रहा है कि उनके लोगों की सेवा हो सके। यह उन पर है कि वे एकता की भावना से काम करें और अपने हितों को राज्य के हितों से नीचे रखें क्योंकि हमें सब से ऊपर देश के हितों का ख्याल रखना है।

†**अध्यक्ष महोदय :** विचार प्रस्ताव के संबंध में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभा में मत विभाजन हुआ

पक्ष में २९७; विपक्ष में कोई नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने ।"

सभा में मत विभाजन हुआ

पक्ष में २९५ ; विपक्ष में कोई नहीं ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३ (पहली अनुसूची का संशोधन)

†**श्री यलमन्दा रेड्डी** : मैं अपना संशोधन संख्या ४ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री नम्बियार** (तिरुचिरापल्लि) : मैं अपना संशोधन संख्या २१ प्रस्तुत करता हूं ।

मैंने अपना संशोधन इस उद्देश्य से दिया है कि माहे को केरल में, यनम को आंध्र प्रदेश में और कारीकल को मद्रास राज्य में मिला देना चाहिये । जब तक यह कार्यवाही नहीं की जाती, इनको एक संघ राज्य क्षेत्र में रखना चाहिये । उनको महीनों या सालों तक संघ राज्य क्षेत्र में रखना गलत होगा ।

†**श्री यलमन्दा रेड्डी** : सभी भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों को समान भाषाई निकटवर्ती राज्यों में मिला देना चाहिये । इन बस्तियों का पृथक अस्तित्व रखना वहां की जनता के हित में नहीं होगा । यह समझ नहीं आता कि सरकार इन फ्रांसीसी बस्तियों को एक संघ राज्य क्षेत्र में क्यों रखना चाहती है । इनको निकटवर्ती क्षेत्रों में मिलना उनकी भाषा, संस्कृति और प्रशासन के भी अनुकूल होगा । इस लिये मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाये ।

†**श्री तिरुमल राव** : (काकीनाडा) : यनम पांडिचेरी से लगभग ५०० मील दूर है और दोनों को एक ही प्रशासकीय एकक में रखना गलत है । ऐसा करने से जनता के लिये कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी । यनम को आंध्र प्रदेश में मिला दिया जाना चाहिये ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु)** : जहां तक पांडिचेरी और अन्य छोटे छोटे राज्य क्षेत्रों का संबंध है, हम बार बार कह चुके हैं कि जब तक इन बस्तियों के निवासी यह न चाहें कि उन्हें निकटवर्ती राज्यों में मिला दिया जाये, उस समय तक ये अलग रहेंगे, फ्रांसीसी सरकार के साथ हमारा करार इस बात पर निर्भर है और हमें इस का पालन करना है ।

किन्तु यनम और माहे के मामले में अन्त में हमें उन्हें संबंधित राज्यों में मिलाना पड़ेगा, परन्तु इस समय हमें फ्रांसीसी समझौते का अनुसरण करना पड़ेगा । पांडिचेरी को मिलाना भिन्न बात है । वह लोगों की सद्भावना पर निर्भर है । जहां तक मुझे मालूम है वहां के लोग अलग रहना चाहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता--मध्य) : यह अब कैसे कहा जा सकता है कि हम ने फ्रांस के साथ किये गये समझौते का पालन करना है, जब कि हस्तान्तरण का कोई शर्त नहीं थी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : पांडिचेरी के लोगों को स्पष्ट आश्वासन दिया जा चुका है कि जब तक वे स्वयं न चाहें, उन्हें अलग ही रखा जायेगा । उन की इच्छा जानने के कई तरीके हैं । इस समय उनकी बहु-संख्या अलग करने के पक्ष में है । माहे और यनम के ग्रामों को भी फिलहाल पांडिचेरी के साथ रखा जायेगा । बाद में उन्हें अलग कर के सम्बन्धित राज्यों में मिलाया जा सकता है ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : क्या इस समय एक उपबन्ध नहीं किया जा सकता, ताकि बाद में संविधान को संशोधित करने की आवश्यकता न पड़े ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : संविधान को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । साधारण विधान से ऐसा किया जा सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं संशोधन संख्या ४ को संशोधित रूप में मतदान के लिये रखता हूं ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में ३३, विपक्ष में २८६ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या श्री नम्बियार अपने संशोधन पर आग्रह करते हैं ।

†**श्री नम्बियार** : जी, नहीं ।

संशोधन संख्या २१ सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३ विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में २९७; विपक्ष में २ ।

प्रस्ताव समस्त सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ४ (नए अनुच्छेद २३९-क का जोड़ा जाना)

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम खंड ४ पर चर्चा आरम्भ करते हैं। कौन सदस्य खण्ड ४ पर संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मैं संशोधन संख्या १२, १८, १९ के सम्बन्ध में प्रस्ताव करता हूं। मैं अपना संशोधन संख्या १२ अलग प्रस्तुत करता हूं जो इस प्रकार है :–

पृष्ठ १, पंक्ति २१,—

"Nominated or" ("नाम निर्देशित अथवा") शब्द हटा दिये जायें। (१२)

†**श्री नम्बियार :** मैं संशोधन संख्या २२, २३,२४ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** मैं संशोधन संख्या ५ को प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री यलमन्दा रेड्डी :** मैं संशोधन संख्या ८ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री दशरथ देब :** मैं संशोधन संख्या १४ और १७ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री बीरेन दत्त :** मैं संशोधन संख्या १०, १३, १५, १६ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मुझे प्रसन्नता है कि गृह-कार्य मंत्री ने मेरी संशोधन संख्या १२ को मानने के लिए राय प्रकट की है।

खण्ड ४ का उपखण्ड (२) निकाल दिया जाना चाहिये। यदि सरकार इस के लिए सहमत न हो तो सरकार उस संशोधन को स्वीकार कर सकती है जिस में उप-खण्ड की पहली दो पंक्तियां निकाल देने का सुझाव दिया गया है।

मैं सदन को अपने संशोधन स्वीकार करने के लिए सिफारिश करता हूं।

†**श्री नम्बियार :** मैं अपने नियोजन २२ द्वारा पंक्ति २० में पांडिचेरी के आगे देहली जोड़ना चाहता हूं। जब जनता के प्रतिनिधि इन क्षेत्रों के प्रशासन को संभालेंगे तो देहली का प्रशासन इन्हें क्यों न सौंपा जाये।

सरकार को देहली को अलग नहीं रखना चाहिये। मेरा संशोधन स्वीकार करके देहली में जनता के प्रतिनिधियों को प्रशासन सौंपना चाहिये।

गृह-कार्य मंत्री "अंशतः नामनिर्देशित और अंशतः चुनी हुई" शब्दों को रखना चाहते हैं। हम पूर्ण चुनावों द्वारा चाहते हैं। चुनावों के आधार पर इन क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को प्रशासन की इजाज़त देनी चाहिए।

†**श्री बीरेन दत्त :** मैं अपने संशोधन १० के बारे में बोल रहा हूं। इस विधेयक के अधीन संघ राज्य क्षेत्रों के लिए बनायी जाने वाली संस्थाओं में सदस्यों के नाम-निर्देशन का कोई उपबन्ध नहीं होना चाहिए।

†**श्री दशरथ देब :** संशोधन संख्या १४ द्वारा मैं चाहता हूं कि सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाये कि इस विधेयक के अधीन आने वाले प्रत्येक राज्य क्षेत्र के लिए मंत्रि-परिषद् का उपबन्ध किया जाये। एक "मंत्रि परिषद्" शब्दों के बाद आने वाले "या दोनों" शब्द निकाल दिये जायें।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम): दिल्ली को भी इस विधेयक के क्षेत्र में लाया जाना चाहिये। यह तर्क समझ में नहीं आता कि ऐसा करने से राज्य क्षेत्र पर नियंत्रण रख पाना केन्द्र के लिए कठिन हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

देहली और उस की समस्याओं के साथ तब तक न्याय नहीं किया जा सकता जब तक इसका वर्तमान प्रशासकीय ढांचा बदला नहीं जाता। वर्तमान परिस्थितियों में देहली की समस्याओं की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। हम उन की समस्याओं पर एक दो बार विचार करते हैं। अतः देहली का ढांचा बदलना चाहिये।

†श्री त्यागी : श्री कामत के भाषण के बाद मैं महसूस करता हूं कि खण्ड ४ के उपखण्ड (२) की भाषा ठीक नहीं है।

इस में जो शब्द हैं उन का अर्थ है कि संसद् के अधिनियम द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। मेरे विचार में इसके प्रारूप को सुधारा जाना चाहिए।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : देहली राजधानी है और भारत का महत्वपूर्ण शहर है। यह सोचना गलत है कि देहली को इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि वहां के लोगों ने पर्याप्त विकास नहीं किया। हम सब लोग जो यहां बैठे हैं देहली के हैं। देहली के मामले पर ध्यानपूर्वक विचार करना है। इस विधेयक में इसे आसानी से नहीं रखा जा सकता, क्योंकि देहली की समस्याएं शेष संघ क्षेत्रों की समस्याओं से भिन्न हैं।

सब से पहले देहली में निगम है। देहली के सम्बन्ध में हम संविधान में जो भी संशोधन करें वे संविधान में ठीक प्रकार से लग जायें। संविधान को भी बदलना है।

दूसरे देहली राजधानी है। अतः यहां कई दूतावास हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए इस मामले पर विचार करना है। इन में से कोई भी अन्तिम कारण नहीं है परन्तु इन सब मामलों पर विचार करना है अन्य संघ क्षेत्रों के सम्बन्ध में ये प्रश्न नहीं उठते। अतः देहली को वहां लगाव का कोई अर्थ नहीं है। इस से मामला स्पष्ट नहीं रहता।

हमें देहली पर अलग से विचार करना है। मैं देहली के वर्तमान प्रबन्ध से संतुष्ट नहीं हूं। कई बातें ठीक नहीं हैं और इस में काफी परिवर्तन की आवश्यकता है। विरोधी दल के सदस्यों ने जो बातें कही हैं उन पर अलग से विचार करना है। हम देहली को अन्य संघ क्षेत्रों के स्तर पर नहीं रख सकते। अतः इस संशोधन पर आग्रह नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी देहली के सम्बन्ध में कहा जाये, उस पर अलग से विचार करना चाहिए।

†श्री यलमंदा रेड्डी : मेरे संशोधन का अभिप्राय यह है विधान सभा पूरी तरह निर्वाचित होनी चाहिये। यदि उस में एक भी सदस्य मनोनीत होगा तो यह सिद्धान्त लोकतंत्र के विरुद्ध होगा। अतः मैं इस सिद्धान्त के विरुद्ध हूं। तथापि यदि हमें अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देना हो तो इसके लिये दूसरे तरीके अपनाये जा सकते हैं।

†श्री शिव चरण गुप्त (दिल्ली—सदर): मैं अपने दो संशोधनों को सभा के सम्मुख रखता हूं। मैं आशा करता हूं गृह-मंत्री इन पर विचार करेंगे।

इस समय दिल्ली की कई समस्यायें हैं और वहां कई संस्थाओं का शासन चल रहा है। दिल्ली में निगम, नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी, दिल्ली विकास प्राधिकार, दिल्ली प्रशासन के अलावा संघ के विभिन्न मंत्रालय हैं इस प्रकार दिल्ली में कई असंगत बातें चल रही हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि दिल्ली की समस्यायें बढ़ती जा रही हैं। यदि हम दिल्ली की समस्याओं पर ध्यान नहीं देंगे तो उसकी समस्याओं में और वृद्धि हो जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री शिव चरण गुप्ता]

यह भी स्मरण रखने योग्य बात है कि जन-प्रतिनिधियों द्वारा किये गये निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिये कोई प्रभावशाली यंत्र या व्यवस्था नहीं है। इस सम्बन्ध में समझ नहीं पड़ता कि किसका नियंत्रण है ? इसके अतिरिक्त इन योजनाओं की क्रियान्विति के लिये पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था भी नहीं है ।

मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्रालय इन बातों पर विचार करेगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मैं चाहता हूं कि आप इस विधेयक की शब्दावली के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डालें। हम पर यह पाबन्दी नहीं है कि हम संविधान की पुरानी शब्दावली ही स्वीकार करें। यदि संसद् चाहे तो इसकी शब्दावली में उचित परिवर्तन कर सकती है।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** दिल्ली के सम्बन्ध में मुझे अधिक नहीं कहना है। दिल्ली से मेरे माननीय मित्र ने जिन बातों की ओर ध्यान दिलाया है उन पर ध्यान दिया जायेगा।

विधान सभा में आंशिक निर्वाचन और आंशिक नामजदगी के बारे में मैंने श्री कामत का संशोधन स्वीकार कर लिया है। यह सभा भी अंशतः मनोनीत और अंशतः निर्वाचित है।

जहां तक श्री कामत के संशोधन का प्रश्न है, वह यह बात भूल रहे हैं कि उन्होंने २ संशोधन प्रस्तुत किये हैं। एक संशोधन में उन्होंने यह सुझाव दिया है कि यह सारी चीज़ हटा ली जाये। माननीय सदस्य ने कहा है कि संविधान में ऐसा उपबंध अन्यत्र नहीं है। मैं यह बताना चाहता था कि संविधान में ऐसे दो उपबंध हैं। जहां तक शब्दावलि को पुराने संविधान से लेने का तात्पर्य है मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई है कि श्री त्यागी और श्री कामत दोनों ही संविधान के निर्माता हैं। मैंने केवल उसकी प्रतिलिपि की है। जहां तक इस विशेष उपबंध का प्रश्न है विधियों को संविधान के अनुरूप होना चाहिये अन्यथा वे न्यायालयों द्वारा अवैध ठहरा दिये जायेंगे। तथापि यह अनुभव हुआ है कि क्षेत्रों में विधान सभायें बनाने पर, संविधान के उपबंधों का अक्षरसः पालन करना सम्भव नहीं होगा। अतः अनुच्छेद २२९ से यह अधिकार दिया गया है कि संसद् ऐसी विधियां बना सकती है जिनका प्रभाव संविधान के संशोधन करने के समान हो। अनुच्छेद २४६(४) क अधीन, संसद् को संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में, राज्य सूचियों के अधीन आने वाले विषयों पर भी पूरा वैधानिक अधिकार प्राप्त है। तथापि राज्यों को समवर्ती सूची के अधीन आने वाले विषयों के सम्बन्ध में विधान बनाने की शक्तियां दिये जाने के कारण संविधान के अनुच्छेद २४६(४) का संशोधन किया गया है।

अनुच्छेद २६६ के अधीन भारत सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व भारत की संचित निधि में जाना चाहिये। संघ क्षेत्रों में प्राप्त राजस्व भारत सरकार का राजस्व है। अब यह विहित किया है कि ऐसे प्रत्येक संघ क्षेत्र की, जहां अपनी विधान सभा होगी वहां से प्राप्त राजस्व राज्य की संचित निधि में जायेगा। ऐसी व्यवस्था करना संविधान का संशोधन करना ही है।

प्रस्तावित अनुच्छेद २३९(क) में यह स्वीकार किया गया है कि उस अनुच्छेद के अधीन बनाये गये संविहित विधि का प्रभाव संविधान के संशोधन करने के समान होगा उस में यह भी विहित किया गया है। ऐसे संशोधन को अनुच्छेद ३६८ के प्रयोजन के लिये संशोधन नहीं समझा जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं संशोधन संख्या ५ को सभा के समक्ष मतदान के लिये रखता हूं ।

सभा में मत विभाजन हुआ । पक्ष में २२ : विपक्ष में २९२

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ९ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं संशोधन संख्या १० को सभा के समक्ष मतदान के लिये रखता हूं ।

सभा में मत विभाजन हुआ । पक्ष में २३; और विपक्ष में २९१

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

पृष्ठ १, पंक्ति २१ से " nominated or" ["नामनिर्देशित अथवा"] शब्द हटा दिये जायें (१२)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संशोधन संख्या १३ सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १४, १५, १७ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १६ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मैं संशोधन संख्या १८ पर आग्रह नहीं करता हूं ।

संशोधन संख्या १८ सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १९ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय :** संशोधन संख्या २२ नियम बाह्य है अतः मैं संशोधन संख्या २३ और २४ मतदान के लिये रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोमन संख्या २३ और २४ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"खंड ४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

लोक-सभा में गत विभाजन हुआ ।

पक्ष म २९५ ; विपक्ष में कोई नही ।

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड —५(अनुच्छेद २४० का संशोधन)

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मैं संशोधन संख्या २० प्रस्तुत करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरि विष्णु कामत]

मेरे संशोधन का अभिप्राय यह है, समस्त पुर्तगाली प्रदेशों, तथा गोआ, दमन, दीव, नगर हवेली इत्यादि को गोआ प्रदेश कहा जाये, जिस से कि बाद में वे प्रदेश अपने पड़ौसी राज्यों में मिला दिये जा सकें। अतः इन पांचों प्रदेशों का एक क्षेत्र में एकीकरण कर दिया जाये।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं आरम्भ में ही बता चुका हूं कि इन क्षेत्रों को अव्यवस्थित करना ठीक नहीं है। तथापि दादरा और नगर हवेली का बहुत पहिले से ही संघ क्षेत्र के रूप में प्रशासन हो रहा था। अतः दादरा और नगर हवेली को गोआ से मिलाना उपयुक्त नहीं है।

श्री कामत के संशोधन में यह त्रुटि है कि उन्हों ने अनुसूची के संशोधन का कोई सुझाव नहीं रखा है। अतः मेरे विचार से इस समय सभा में इस संशोधन को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यदि दादरा और नगर हवेली को इस में शामिल नहीं किया गया तो इस का यह असर होगा कि उस क्षेत्र को विधान सभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त होगा। यदि माननीय मंत्री जी टेकनीकल कठिनाई के कारण मेरा संशोधन अस्वीकार कर रहे हैं तो वे इसे एक अन्य संशोधन ला कर इस उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २० मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : खंड ६ और ७ में कोई अन्य संशोधन नहीं हैं। अतः मैं खंड ५, ६ और ७ को एक साथ सभा में मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खंड ५ से ७ विधेयक का अंग बने"।

लोक-सभा में मत विभाजन* हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में २९८; विपक्ष में कोई नहीं।

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ५ से ७ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड १, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में

*इस मत विभाजन का परिणाम प्रत्येक खण्ड पर पृथक रूप से लागू है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में २९३ ; विपक्ष में कोई नहीं ।

संविधान (चौदहवां संशोधन) विधेयक १९६२, संशोधित रूप में, सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

*खाद्य उत्पादन

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा खाद्य उत्पादन के बारे में आधे घंटे की चर्चा करेगी ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†**श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** (जम्मू तथा काश्मीर) : खाद्य की स्थिति के बारे में दोहरी बात-चीत हो रही है । हाल ही में योजना मंत्री श्री नन्दा ने यह बात स्वीकार की है कि योजना के दस वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी खाद्य स्थिति असन्तोषजनक है और देश को बाहर से भोजन सामग्री मंगाना पड़ रही है । और अब खाद्य तथा कृषि मंत्री ने खाद्य स्थिति के बारे में पूर्ण विश्वास प्रकट किया है । उनके मतानुसार तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य पूरे होने में कोई संदेह नहीं है। उन्हों ने इस संबंध में प्रकृति की दया का भी उल्लेख किया है। आश्चर्य है कि पंद्रह वर्ष तक वैज्ञानिक खेती का आश्रय लेने पर भी हम प्रकृति की कृपा पर निर्भर हैं, मेरी सम्मति में योजना मंत्री का वक्तव्य अधिक यथार्थयुक्त है ।

मैं यह मानता हूं कि लक्ष्य प्राप्ति के लिये उर्वरक, सिंचाई तथा अन्य वस्तुएं आवश्यक हैं । तीसरी योजना के प्रारम्भ में ही उर्वरक के उत्पादन और सिंचाई की छोटी योजनाओं की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये था । अन्यथा इन की पूर्ति होने तक ही तीसरी योजना की अवधि पूरी हो जायेगी । मैं खाद्य तथा कृषि मंत्री से अपील करता हूं कि खाद्य उत्पादन बढ़ाने में जो भी बाधायें हैं अथवा यदि इस दिशा में वित्तीय व्यवस्था की कमी है तो उन्हें यह सब बातें सभा के समक्ष रखनी चाहियें । हम उनकी कठिनाइयां दूर करने में उनका साथ देंगे ।

उर्वरक का उत्पादन और संभरण वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का उत्तरदायित्व है । हमें इस दिशा में समन्वय स्थापित करना चाहिये । उच्च स्तर पर ही नहीं किन्तु निचले स्तर पर भी समन्वय का अभाव है। खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये तीन वस्तुओं की मूलभूत आवश्यकता है । उर्वरक, अच्छे बीज और सिंचाई । बीजों का वितरण सामुदायिक विकास मंत्रालय करता है । बीजों का वितरण राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । यदि नीचे की व्यवस्था में ही समायोजन न हो तो हम केन्द्र स्थित मंत्री को उत्तरदायी कह सकते हैं ।

मेरा निवेदन है कि योजना आयोग तथा खाद्य तथा कृषि मंत्री को साथ बैठ कर उन लक्ष्यों पर पुनर्विचार करना चाहिये जो खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के सामने है । राष्ट्र को धोखा देना निरर्थक

---

†मूल अंग्रेजी में

*आधे घंटे की चर्चा ।

[श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा]

है । यह कहना व्यर्थ है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत देश आत्मनिर्भर हो जायेगा । राष्ट्र को इस विषय में अथक प्रयत्न करने की आवश्यकता है ।

†**श्री सिंहासन सिंह** (गोरखपुर) : बिना विभाग के मंत्री रखने का मुख्य उद्देश्य खाद्य उत्पादन के लिये विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करना है। अब शिकायत यह है कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय तथा योजना मंत्रालय के बीच समन्वय नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि विभिन्न मंत्रालयों के बीच इस सम्बन्ध में समन्वय स्थापित करने के लिये मंत्री महोदय क्या कर रहे हैं ?

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज): सभापति महोदय, यह डिस्कशन ७ अगस्त, १९६२ के स्टार्ड क्वेश्चन नं० ५८ पर है । इस सिलसिले में मैं कुछ थोड़ा सा कहना चाहता हूं । मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया था कि ३५ लाख मीट्रिक टन गल्ला हर साल बांटा जायेगा, और उतनी कमी हमारे फूड प्रोडक्शन में होगी । ३५ लाख टन के माने हैं ३.५ मिलियन टन । अगर हम इस को ५ से गुणा कर दें तो थर्ड फाइव इअर प्लैन में करीब १७.५ मिलियन टन की कमी होती है । जिस रेट से हमारे यहां पापुलेशन बढ़ रही है उसके हिसाब से हमारे यहां थर्ड फाइव इअर प्लैन के आखीर में ३५ मिलियन एक्स्ट्रा पापुलेशन हो जायेगी क्योंकि एक वर्ष में लगभग ७ मिलियन पापुलेशन बढ़ती है । अगर हम एक आदमी को एक साल में १/४ टन गल्ला खिलायें तो हमें करीब ९ मिलियन टन गल्ले की आवश्यकता और पड़ेगी ।

एक माननीय सदस्य : कोई मरेंगे भी या नहीं ?

श्री विश्राम प्रसाद : उनके मरने के बाद भी हमको ९ मिलियन टन और गल्ले की आवश्यकता होगी । इस तरह से हमारे यहां १७.५ मिलियन टन और ९ मिलियन टन को मिला कर कुल २६.५ मिलियन टन अधिक गल्ले की आवश्यकता तीसरी पंचवर्षीय योजना के आखीर में होगी, हमारा टार्गेट १०० मिलियन टन का है और हम ७९ मिलियन टन इस समय पैदा कर रहे हैं । इस तरह से यहां पर भी हम तीसरी पंचवर्षीय योजना के आखीर में २१ मिलियन टन गल्ला अधिक पैदा करेंगे । इस तरह अगर हम २६.५ मिलियन टन में से २१ मिलियन टन घटा दें तो हम को थर्ड फाइव इअर प्लैन के आखीर में ५.५ मिलियन टन की कमी रहेगी ।

सभापति महोदय : आप सवाल पूछिये, बहस का अवसर नहीं है ।

श्री विश्राम प्रसाद : सवाल पूछने के पहले मैं थोड़ी सी बात बतला रहा था । मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आप प्लैनिंग कर रहे हैं, अगर उसी तरह चलता रहा तो मेरा यह विश्वास है कि हमारे यहां ५.५ मिलियन टन की शार्टेज ऐग्रिकल्चर के सिलसिले में फूड प्रोडक्शन में रहेगी ।

दूसरी बात इस प्रश्न के सिलसिले में यह है कि तारांकित प्रश्न के (ख) भाग में पूछा गया था कि हमको सन् १९६२-६३ में कितना गेहूं मंगाने की आवश्यकता होगी । माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा था कि इसका बतलाना जनहित में नहीं होगा । इसी तरह से आस्ट्रेलिया और अमरीका के गेहूं के दामों में क्या फर्क है इसके उत्तर में भी माननीय मंत्री जी ने कहा कि उस का बतलाना जनहित में नहीं होगा । मैं इस सम्बन्ध में सिर्फ एक सिम्पल सा सवाल पूछना चाहता हूं । क्या यह कोई ऐटम बम का रहस्य है या कोई लड़ाई का वलू है जिसके बतलाने में मुश्किल हो सकती है ? मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि आप इन प्वाइंट्स को विलअर करने की कोशिश करेंगे । जहां तक

---

†मूल अंग्रेजी में

ऐग्रिकल्चर को बढ़ाने की बात है, प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाने की बात है, आप को माइनर इरिगेशन के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा वर्ना ऐग्रीकल्चर इसी तरह से पिछड़ा रहेगा और किसान लोग बराबर भूखों मरते रहेंगे ।

†**श्री ब० कु० दास** (कंटैय): भयानक बाढ़ें आती रही हैं और टिड्डियों के हमले भी होते रहे हैं । क्या हमारे आयात कार्यक्रम में कोई परिवर्तन करने का विचार है और वर्तमान स्थिति को देखते हुए कितनी कमी है ?

†**श्री इकबाल सिंह** (फिरोजपुर) : खाद्य मंत्रालय का संबंध देश के सबसे अधिक व्यक्तियों से है । जिला, राज्य और अखिल भारतीय स्तर पर मंत्रालय ने वास्तविक किसानों की कठिनाइयां जानने के लिये क्या उपाय किये हैं ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके । अन्य मंत्रालयों की राय हो सकता है ली गई हो परन्तु वह वास्तविक किसानों की राय नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि वास्तविक किसानों की राय जानने के लिये मंत्रालय ने क्या किया है ।

श्री विभूति मिश्र (मोतिहारी) : सभापति महोदय, अनाज, जो कि नकद आमदनी का जरिया है, विविध इंडिविडुअल प्लाट्स में पैदा होता है और उसको इंडिविडुअल प्लाट्स में इंडिविडुअल किसान पैदा करता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रदेशों के एग्रीकल्ट्यर मिनिस्टर, सेंटर के एग्रीकल्ट्यर मिनिस्टर, इरिगेशन मिनिस्टर, कम्यूनिटी डेवेलपमेंट मिनिस्टर, कामर्स एंड इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर हैं, ये सब मिल कर इंडिविडुअल किसान को, जो कि इंडिविडुअल प्लाट में अनाज पैदा करने वाला है, कौन सी इमदाद देते हैं ताकि बावजूद मौसमी अच्छाई और ख़राबी के वह अपने उस प्लाट में अनाज, चाहे वह नकदी हो, चाहे जिंसी हो, पैदा करे । क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार किसान को क्या इन्सेन्टिव देती है ?

श्री यशपाल सिंह (कैराना): अगर मिनिस्टर साहब के दिल में यह बात पैदा हो जाये कि घी-दूध का इन्तज़ाम करने से ग़ल्ले का ख़र्च आधा रह जायेगा और अगर हिन्दुस्तान की कैटल वैल्थ को बढ़ाया जाये, गाय-भैंसों को बढ़ाया जाये, तो यह खाद्य समस्या एक साल में हल हो सकती है, वर्ना सरकार करोड़ों अरबों रुपये ख़र्च करती रहेगी, लेकिन खाद्य समस्या फिर भी हल नहीं होगी । अगर माननीय फूड मिनिस्टर को घी-दूध मिलता है, तो वह एक रोटी से पेट भर लेते हैं और चूंकि मुझे घी-दूध नहीं मिलता है, इसलिए मुझ को छ : रोटियां खानी पड़ती हैं ।

हमारी सरकार को यह बात सोच लेनी चाहिए कि खाद्य समस्या को हल करने के लिए कैटल वैल्थ को इम्प्रूव करना चाहिए और ट्रैक्टरों को कानूनन ख़त्म कर देना चाहिए । ट्रैक्टरों के आने से हमारे सामने तीन दिक्कतें पैदा हो गई हैं । पहली दिक्कत यह है कि अब खाद बिल्कुल पैदा नहीं होती । जो मवेशी खाद्य पैदा करते थे, वे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं । आर्टिफ़िशल फ़र्टलाइज़र वग़ैरह फ़सल बढ़ा देते हैं, लेकिन वह ज़मीन को कमज़ोर करते हैं । अब सरसों, चने और तिल का पैदा होना बिल्कुल बन्द हो गया है । जैसे शराब पीने से आदमी का जोश एक दम उमड़ आता है, लेकिन अन्दर से वह खोखला हो जाता है, उसी तरह फ़र्टलाइज़र से सबसे बड़ी दिक्कत यह हुई है कि ज़मीनें कम पैदावार देने लगी हैं । फ़सल साल, दो साल, चार साल बढ़ जाती है, लेकिन उस के बाद ज़मीनें बेकार हो जाती हैं ।

मैं माननीय मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि देश में घी-दूध बढ़े और खाद्य का उत्पादन बढ़े, क्या इस के लिए वह ये तीन बातें मानने के लिए तैयार हैं : पहली यह

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री यशपाल सिंह]

कि ट्रैक्टरों को कानूनन ख़त्म किया जाये, दूसरी यह कि गाय-भैंसों को बढ़ाया जाये और तीसरी यह कि लोगों को यह तालीम दी जाये कि **दि मोर यू ईट, दि सूनर यू डाई**—जितना ज्यादा तुम खाओगे, उतनी जल्दी मरोगे। मैं ने शेर के शिकार में देखा है कि दस दस दिन तक शेर कोई चीज़ नहीं खाता है, लेकिन फिर भी उसकी एनर्जी बनी रहती है। भगवान् ने जो शक्ति हम को दी हुई है, जिससे हमारी विद्या और बुद्धि बढ़ती है, प्रतिभा बढ़ती है, और खूबसूरती बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, वह सारी शक्ति खाना हज्म करने में लगी रहती है। इस लिए कम खाने के लिए लोगों को प्रोत्साहन दिया जाये और इसके बारे में लिट्रेट्यर तैयार किया जाये, ट्रैक्टर्ज़ को ख़त्म किया जाये और कैटल वैल्थ को बढ़ाया जाये। क्या मिनिस्टर साहब ये सुझाव मानने के लिए तैयार हैं?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : मुझे खुशी है कि मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा ने यह प्रश्न उठाया। काफी समय से खाद्य उत्पादन पर कोई वाद-विवाद नहीं हुआ। मेरे माननीय मित्र कृषि वैज्ञानिक हैं और भारतीय कृषि की ओर उनका दृष्टिकोण भी वैज्ञानिक विकास तथा सुधार संबंधी है। कहा गया है इस संबंध में दो मंत्रियों के वक्तव्य में अन्तर है।

मेरा निवेदन है कि वास्तव में दोनों मंत्रियों की राय में कोई अंतर नहीं है मैं इस बात को स्पष्ट करूंगा।

कहा गया है कि हमें आशा थी कि कृषि-उत्पादन में हर साल लगभग ५ प्रतिशत से ६ प्रतिशत की वृद्धि होगी। यदि वृद्धि केवल एक प्रतिशत या इससे भी अधिक हो तो यह उतनी वृद्धि नहीं है जितनी आशा थी और यह संदेह किया जाना स्वाभाविक है कि हम अपना लक्ष्य शायद पूरा न कर पायें।

सभा को पता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक के लिये ८०० लाख टन का लक्ष्य था। पांच वर्षों में उत्पादन इस वर्ष से अधिक रहा है। हम देखेंगे कि प्रतिवर्ष ३ प्रतिशत की दर से लगातार वृद्धि नहीं हुई है। एक वर्ष में तो १० से १२ प्रतिशत तक की कमी हुई थी। कृषि का स्वरूप ही ऐसा है इसलिये ऐसा होना कोई असाधारण बात नहीं है।

अब हम ८०० लाख टन से १००० लाख टन की ओर जा रहे हैं। यह २५ प्रतिशत अधिक है और ५ प्रतिशत प्रति वर्ष पड़ता है।

योजना मंत्री केवल कृषि ही नहीं समस्त स्थिति को ध्यान में रख कर बोलते हैं। उन्हें बताया गया था कि हम कृषि में ६ प्रतिशत वृद्धि की आशा करते हैं जब कि वास्तव में यह कुछ कम रहा परन्तु जो प्रश्न उनके सामने रखा गया था वह एक अन्य प्रसंग में था। उनसे पूछा गया था कि भारत में हमारी आशा के अनुकूल प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी है। उत्तर में जरूरी था कि वह इस बात पर ज़ोर देते। उत्तर देते समय कोई दूरगामी बात का ख्याल तो रखना नहीं होता। अतः उस समय उन्होंने कहा था कि अन्य बातों के साथ कृषि आय में उतनी वृद्धि नहीं हुई है अतः प्रति व्यक्ति आय में भी उतनी ही कमी रह गई है। यह गलत बात नहीं है क्योंकि कृषि पर हमारे देश की ७० प्रतिशत जनता निर्भर करती है अतः यदि कृषि में आशा के अनुकूल वृद्धि नहीं होती तो राष्ट्रीय आय में भी कुछ कमी रहने की संभावना रहती ही है इसलिये उन्होंने जो कुछ भी कहा मैं उसे कृषि इत्यादि के खिलाफ नहीं समझता।

---

†मूल अंग्रेजी में

तब उनसे पूछा गया कि क्या वे उर्वरक के लिये धन और छोटी तथा बड़ी सिंचाई योजनाओं तथा अन्य कामों के लिये निधि के विषय में कृषि मंत्रालय के खिलाफ कुछ कह रहे थे तो उन्होंने उत्तर दिया कि छोटी सिंचाई योजनाओं तथा अन्य निर्माण कार्यों के लिये यदि आवश्यक हो तो धन की और व्यवस्था करनी चाहिये क्योंकि इसके बिना दस लाख टन के लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकती। उन्होंने यह निश्चित रूप से कहा कि चाहे यह तृतीय पंचवर्षीय योजना हो या न हो धन की व्यवस्था हो सकती है। मुझे इस बात का निश्चय है कि जहां तक छोटी सिंचाई योजनाओं का संबंध है—उन्होंने छोटी सिंचाई योजनाओं का उल्लेख इसलिये किया क्योंकि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है जब कि यह बात उर्वरक के बारे में भी सही है—यदि तृतीय पंचवर्षीय योजना में नियत की गई राशि पर्याप्त न हो तो यकीन मानिये कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय अधिक धन प्राप्त करने का अधिकार रखता है चाहे वे तृतीय योजना में नियत है या नहीं परन्तु अधिक धन से ही यह मामला हल नहीं हो जाता इस बारे में और भी कई प्रकार की आशंकायें है। यह कहा जाता है कि यदि उर्वरक थोड़ी अधिक मात्रा में उपलब्ध हो तो उपज बढ़ सकती है। यह बात सही है चाहे विरोधी दल के सदस्य इस से सहमत न हों क्योंकि उनकी यह धारणा है कि उर्वरक अथवा किसी आधुनिक वस्तु के प्रयोग से पैदावार रुक जायेगी और उन्होंने इस संबंध में एक उदाहरण दिया कि यदि किसी व्यक्ति को शराब पिलाई जाये तो कुछ समय के लिये वह काफी बलवान दिखाई देगा परन्तु वह उस का वास्तविक बल नहीं होगा। मैं तो इस उदाहरण के बारे में कुछ नहीं जानता परन्तु क्योंकि उन्होंने यह उदाहरण दिया तो सम्भव है कि यह ठीक ही हो। मालूम नहीं कि यह उनका व्यक्तिगत अनुभव है या किसी से उधार ले रखा है।

†**श्री यशपाल सिंह** : मैं गुरुकुल का विद्यार्थी रहा हूं।

†**श्री एस० के० पाटिल** : यह सच है कि हम विद्यार्थी ही हैं परन्तु उस प्रकार के उत्साह के नहीं जिससे शरीर में उत्तेजना पैदा होती है।

इस मामले में मैं विशेषज्ञ नहीं हूं परन्तु गत दो तीन वर्ष से मैं यह देख रहा हूं कि उर्वरक का प्रयोग केवल भारत ने ही नहीं बल्कि मैं जिस किसी देश में भी जाता हूं वहां इसका प्रयोग होता है। वहां की फसलों और उसका उर्वरक से क्या संबंध है इस बात का मैं अध्ययन करता हूं। हमारे देश में जो उर्वरक, प्राकृतिक खाद अथवा हरी खाद होती है वह बहुत अच्छी होती है। यह लोगों का वहम है कि रासायनिक खाद के प्रयोग से भूमि से उपज होना बन्द हो जाता है और कोई भी देश वैज्ञानिक दृष्टि से इस बात का समर्थन नहीं करता क्योंकि कई देशों ने, जैसे कि अमरीका, कृषि को रहस्यमय बना दिया है। अमरीका और रूस में भी यही स्थिति थी अर्थात् विस्तृत खेतों में ट्रैक्टरों का प्रयोग किया जा सकता है और उन खेतों से उपज हो सकती है जब कि हमारे देश में ट्रैक्टरों का प्रयोग नहीं किया जा सकता चाहे वे उपलब्ध हों या न हों।

यदि कृषि विज्ञान की चर्चा करते समय आप केवल यंत्रीकरण को ही लेते हैं तो रूस इस विषय में अमरीका से कुछ आगे है इसके बावजूद रूस की प्रति एकड़ उपज अमरीका से कहीं कम है और लगभग भारत के ही बराबर है इसका यह कारण नहीं कि कृषि को राजनीति से सम्बद्ध कर दिया जाता है। भूमि पर राजनीति का कोई प्रभाव नहीं। इसका मूल कारण यह है कि रूस ने अब तक उर्वरक का प्रयोग आरम्भ नहीं किया है। अब वह उर्वरक का प्रयोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि इसके प्रयोग से उपज बहुत बढ़ जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एस० के० पाटिल]

मैं यह सब बातें इसलिये कह रहा हूं कि यह बहुत आवश्यक हैं। परन्तु यदि कोई मुझे लाखों टन उर्वरक भेंट कर दे तो मेरे लिये वह कोई लाभप्रद वस्तु नहीं है जब तक कि किसान यह नहीं सीख जाते कि उर्वरक का प्रयोग कैसे किया जाता है। उर्वरक का प्रयोग एक अत्यन्त वैज्ञानिक विषय है जिसके बारे में हर एक किसान को पूरी जानकारी होनी चाहिये कि इनका प्रयोग किस ढंग से किया जाये। इस देश में आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य जिन राज्यों के किसानों ने इसका प्रयोग करना सीख लिया है वे न केवल अपने कोटे का ही प्रयोग करते हैं बल्कि कई प्रकार के वैध तथा अवैध तरीकों का प्रयोग कर के उर्वरक को खरीदने का प्रयत्न करते हैं। तो प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि चोर बाजार में उन किसानों के पास उर्वरक कौन बेचता है। ये वे लोग हैं जो उर्वरक का प्रयोग नहीं जानते। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि उर्वरक का प्रयोग करने की विधि जानना कितना आवश्यक है और ये हर किसान को भली भांति समझ लेना चाहिये क्योंकि यह उसके लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

मेरे माननीय मित्र श्री मल्होत्रा ने प्रकृति का उल्लेख किया है परन्तु प्रकृति अत्यन्त सबल है। अमरीका में वैज्ञानिक कृषि की व्यापक प्रगति होने पर भी वे देश आज भी प्रकृति पर निर्भर है। आज भी अमरीका वर्षा, मानसून और धरती पर आश्रित है। यह सच है कि भारत में सिंचाई का क्षेत्र विश्व में सब से अधिक है किन्तु हमारी आवश्यकता भी अधिक है। सौभाग्यवश हम वर्षा पर निर्भर हैं।

गत वर्ष जब मैंने अमरीका से लम्बे रेशे वाली कपास की मांग की तो हमसे कहा गया कि इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई है। इतना यांत्रिक विकास होने पर भी वे देश अभी तक वर्षा पर निर्भर है। इस वर्ष फसल अच्छी होने पर उनके पास कपास की १५० से १६० लाख गांठें हैं।

भारत में---उत्तर प्रदेश, बिहार और आसाम में---आज सर्वत्र बाढ़ें आ रही हैं। इन पर कृषि मंत्री का कोई नियंत्रण नहीं है। ये बातें होती रही हैं। विगत तीन वर्षों से मैं यही प्रयत्न कर रहा हूं कि लोग विश्वास रखें। विश्वास से ही प्रगति संभव है।

आपको इस प्रकार निराश होकर हमें चेतावनी नहीं देनी चाहिये। हममें इतना आत्मविश्वास होना चाहिये कि हम आत्म निर्भर हो जायेंगे और हम अवश्य पूरा कर लेंगे। साधारणतया अन्य देशों में एक टन अनाज १० व्यक्तियों के लिये एक वर्ष के लिये पर्याप्त होता है। हमारे देश में जो ८ करोड़ टन अनाज पैदा होता है वह ८० करोड़ की आबादी के लिये पर्याप्त होना चाहिये परन्तु हम जितना अनाज पैदा करते हैं वह ४४ करोड़ लोग ही खा जाते हैं और कई बार वे इतना अधिक खा जाते हैं कि यह भी कम पड़ जाता है।

यह वह प्रश्न है जिसकी ओर श्री यशपाल सिंह जी ने ध्यान आकृष्ट करवाया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अर्थात् हमें बहुत अधिक अनाज पर आश्रित नहीं रहना चाहिये। हमें और अच्छी पौष्टिक चीजें खानी चाहिएं और उन्हें हमें अपने देश में पैदा करना चाहिए। उत्पादन के सभी साधनों का उपयोग करना चाहिए। घी और दूध भी पैदा करना चाहिए। और सब से बड़ी बात यह है कि हमें देश में यह विश्वास पैदा करना है और यह भ्रम दूर करना है कि हमारे देश में खाद्यान्न की कमी है। हम कृषि और उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में काफी ठोस आधार पर खड़े हैं। देश भर के ६०० लाख परिवारों का भविष्य कृषि से सम्बन्धित है। हमें उन्हें कृषि उत्पादन की दृष्टि से सभी प्रकार की सुविधायें प्रदान करनी हैं। उनके लिये कर्जा, उर्वरक और संयंत्र सभी प्रकार की व्यवस्था करनी होगी। निराश न हो कर काम करते रहना चाहिए। इस तरह हमें कोई कठिनाई नहीं होगी और अगले पांच वर्षों में हम यह समस्या हल कर लेंगे।

उर्वरक और सिंचाई के बारे में मेरा निवेदन है कि हमारी ५७० लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई हो रही है जब कि कुल ३२५० अथवा ३५०० एकड़ भूमि है। हमारी लगभग २५ प्रतिशत भूमि में सिंचाई होती है। यह उच्चतम अनुपात है। श्री सिंहासन सिंह ने समन्वय की बात की है। मेरा निवेदन है कि सरकार के पास समन्वय कार्य के लिये अपेक्षित कर्मचारियों की कमी नहीं है और किसी नयी व्यवस्था की जरूरत नहीं है।

श्री विश्राम प्रसाद जी ने बढ़ रही जनसंख्या का उल्लेख किया है। जापान ने अपनी जनसंख्या को कम करने की दिशा में बड़ा ही आश्चर्यजनक काम किया है। छोटे से देश ने कमाल ढंग से जनसंख्या पर नियन्त्रण किया है। जो कुछ माननीय सदस्य चाहते हैं उस दिशा में जो कुछ हो सकेगा किया जायेगा परन्तु अब आबादी बढ़ रही हैं तो मेरा क्या दोष है। हमें ३५० लाख टन खाद्यान्नों की व्यवस्था करनी पड़ती है।

सरदार इकबाल सिंह की किसानों के संघ वाली बात बड़ी मजेदार बात है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमें ग्रामों में इस प्रकार वातावरण निर्माण करना चाहिए कि ग्रामों के लोग भी अपनी जिम्मेदारी का अहसास करें। दूध और घी के बारे में भी चिन्ता करने वाली कोई बात नहीं है। टिड्डी दलों के बारे में भी सरकार काफी चिन्तित है। और इन दलों को मारने के लिए विमान प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही है। इससे बड़ी हानि हो रही है। लाखों रुपयों की बढ़िया फसल नष्ट हो जाती है।

अन्त में मेरा कहना है कि भारतीय कृषि का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। यदि इस दिशा में उत्साह और विश्वास से काम किया गया तो कमाल हो जायेगा।

इस के पश्चात् लोक-सभा बुधवार, ५ सितम्बर, १९६२/भाद्र १४, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

[मंगलवार, ४ सितम्बर, १९६२
१३ भाद्र, १८८४ (शक)]

	विषय	पृष्ठ
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण		
	एक सदस्य ने अंग्रेजी में शपथ ली।	२५९३
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२६९३—२७१९
तारांकित प्रश्न संख्या		
७६७	चाय बागानों का विस्तार	२६९३—९५
७६८	गन्डक नदी पर बन्ध	२६९५—९७
७७०	पश्चिम एशिया के देशों के साथ व्यापार	२६९७—९९
७७१	बिहार में छोटे पैमाने के उद्योग	२६९९—२७०१
७७२	दण्डकारण्य	२७०१—०२
७७३	आयात और निर्यात नीति	२७०२—०५
७७६	काश्मीर	२७०५—०७
७७७	संसद् की कार्यवाही का हिन्दी में प्रसारण	१७०८—१०
७७९	वैस्ट इरियन के लिये भारतीय सेनायें	२७१०—१२
७८०	सोडियम नाइट्रेट का आयात	२७१३—१४
७८१	विदेशों में भारत के व्यापार तथा आर्थिक प्रतिनिधि	२७१४—१५
७८४	पांडिचेरी में पुलिस सेवा का पुनर्गठन	२७१५—१६
७८५	पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत दो भारतीय राष्ट्रजन	२७१६—१९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
११	नेपाली सैनिकों द्वारा किये गये धावे में दो भारतीयों की मृत्यु	२७२०—२१
१२	सिक्किम में पुलों का बह जाना	२७२१—२२
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२७२२—५७
तारांकित प्रश्न संख्या		
७६९	"औद्योगिक समझौते" की योजना	२७२२—२३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

तारांकित
प्रश्न संख्या

७७४ कपड़े का निर्यात २७२३
७७५ गोआ के लिये आयात परमिट २७२३–२४
७७८ अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में रिक्त स्थान २७२४
७८२ रेंड में "हिन्दुस्तान एलूमीनियम" २७२४
७८६ गुजरात में श्रमिक बीमा योजना २७२५
७८७ पाकिस्तान में भारतीय संयुक्त स्कन्ध समवायों (ज्वाइंट स्टाक कम्पनीज) की आस्तियां २७२५
७८८ उद्योग के लिये अलौह धातु २७२५–२६
७८९ रूस को सूती कपड़े का निर्यात २७२६
७९० संयुक्त राष्ट्र आपात कालीन सेना २७२६

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२२१० छावनी निधि कर्मचारी संस्था, अम्बाला के मामले में समझौता कार्यवाही २७२७
२२११ केरल में काजू के छिलकों का द्रव तैयार करने का कारखाना २७२७
२२१२ केरल में कागज का नया कारखाना २७२७
२२१३ केरल में सुगन्ध उद्योग २७२८
२२१४ संवाददाताओं को मान्यतादान २७२८
२२१५ सूचना अधिकारी २७२८–२९
२२१६ मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के दौरे २७२९–३०
२२१७ राज्य व्यापार निगम की शाखायें २७३०
२२१८ इलमैनाइट का निर्यात २८३०
२२१९ पंजाब में ग्रामीण औद्योगिक बस्तियां २७३०–३१
२२२० पंजाब में रेशम कीट पालन २७३१–३२
२२२१ पानीपत में कागज का कारखाना २७३२
२२२२ पंजाब में खादी तथा ग्रामोद्योग २७३२–३३
२२२३ मद्रास में खादी तथा ग्रामोद्योग २७३३–३४
२२२४ निर्यात २७३४
२२२५ 'अरब साझा बाजार' २७३४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२२२६	मनीपुर लोक निर्माण विभाग	२७३४–३५
२२२७	मनीपुर लोक निर्माण विभाग में नियुक्त व्यक्ति	२७३५
२२२८	आसाम और त्रिपुरा में पाकिस्तान के अवैध कब्जे में क्षेत्र	२७३५–३६
२२२९	२४ परगना में मलिक कालोनी	२७३६
२२३०	बागलकोट सीमेंट कम्पनी लिमिटेड	२७३७
२२३१	काफी बागान	२७३७–३८
२२३२	त्रिपुरा में दुकान सहायक	२७३८
२२३३	किंग्सवे कैम्प, दिल्ली में शरणार्थी क्वार्टर	२७३८–३९
२२३४	आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्ट .	२७३९–४०
२२३५	बागान श्रमिकों के लिये मकानों का निर्माण	२७४०–४१
२२३६	कर्मचारी राज्य बीमा योजना अस्पतालों में पलंगों का आरक्षण	२७४१
२२३७	लंका में भारतीय	२७४२
२२३८	जागरेब, युगोस्लाविया में अन्तर्राष्ट्रीय मेले	२७४२–४३
२२३९	शोलापुर स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड	२७४३
२२४०	राजस्थान की तृतीय योजना के लक्ष्य	२७४३
२२४१	मैसूर राज्य को सहायता तथा ऋण	२७४३–४४
२२४२	प्रैस सूचना कार्यालय	२७४४
२२४३	रोजगार के दफ्तरों में नाम दर्ज व्यक्ति	२७४५
२२४४	उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां	२७४५
२२४५	टाइपराइटर	२७४५–४६
२२४६	गवर्नमेंट आफ इण्डिया प्रैस,नई दिल्ली में प्रशिक्षार्थियों का प्रशिक्षण	२७४६
२२४७	गोआ में कृषि का विकास	२७४६–४७
२२४८	गोआ के लिये उपभोक्ता वस्तुओं का आयात	२७४७–४८
२२४९	गोआ, दमन और दीव में आयात की गई घड़ियों का पकड़ा जाना	२७४८–४९
२२५०	आणविक परीक्षणों पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी प्रस्ताव	२७४९
२२५१	बिहार में कपड़ा मिल.	२७४९–५०
२२५३	बिहार और उड़ीसा के औद्योगिक क्षेत्र	२७५०–५१
२२५४	बिहार में टसर कपड़े का उत्पादन	२७५१–५२
२२५६	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	२७५२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२२५७ समवाय अधिनियम २७५३

२२५८ मैसूर में एसिटेट फ्लैक उत्पादन परियोजना २७५३

२२५९ ताशों का निर्माण २७५३–५४

२२६० मुद्रणालय २७५५

२२६१ उत्तर प्रदेश के लिये स्वीकृत धनराशि २७५५–५७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना २७५७–६२

(१) श्री प्र० चं० बरुआ ने २९ अगस्त, १९६२ को नागालैंड के अन्तरिम निकाय के एक सदस्य श्री पैंटिंग फोम को गोली से मार देने के समाचार की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया।

(२) सरदार बूटा सिंह ने भारत सरकार द्वारा पुर्तगाल सरकार के साथ किये गये समझौते का उल्लंघन कर के पुर्तगाली बस्ती मोजाम्बिक में से भारतीयों को निकाले जाने के समाचार की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया।

वैदेशिक कार्य के राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया।

(३) श्री इन्द्रजीत गुप्त ने ३ सितम्बर, १९६२ को २०,००० इण्डोनेशियनों की भीड़ द्वारा जकार्ता में भारतीय दूतावास पर किये गये आक्रमण की ओर, जिस में सम्पत्ति की काफी हानि हुई, प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

सभा पटल पर रखे गये पत्र २७६२–६३

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति :—

(एक) दिनांक ४ अगस्त, १९६२ का चीन का टिप्पण।

(दो) दिनांक, २२ अगस्त, १९६२ का भारत सरकार का उत्तर।

(तीन) दिनांक २२ अगस्त, १९६२ का भारत सरकार का टिप्पण।

(२) देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य।

(३) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत दिनांक ११ अगस्त, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०७१ में प्रकाशित हुई नियंत्रण (संशोधन) आदेश, १९६२ की एक प्रति।

विषय पृष्ठ

(४) निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति :—

(एक) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उपधारा (१) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यु-फैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, उटकमण्ड की वर्ष १९६१–६२ का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उक्त समवाय के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) लघु उद्योगों की संगठनात्मक समिति का प्रतिवेदन ।

(५) शिक्षिक्षु अधिनियम, १९६१ की धारा ३७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक एक प्रति :—

(क) दिनांक २८ अप्रैल, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी०एस० आर० ६०८ में प्रकाशित केन्द्रीय शिशिक्षुता परिषद् नियम १९६२ ।

(ख) दिनांक २८ अगस्त, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११३४ में प्रकाशित शिशिक्षुता नियम, १९६२ ।

(६) निम्मलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) सितानाला कोयला-खान में १९ जुलाई १९६२ को हुई दुर्घटना के बारे में प्रतिवेदन ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संविधान के संशोधन संबंधी दस्तावेज, १९६२ की भारत सरकार द्वारा पुष्टि के बारे में वक्तव्य ।

राज्य सभा से सन्देश २७६४

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना दी :–

(एक) कि राज्य सभा ने ३ सितम्बर, १९६२ की अपनी बैठक में संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक, १९६२ को, जो लोक-सभा द्वारा २८ अगस्त, १९६२ को पास किया गया था, बिना किसी संशोधन के पास कर दिया है ।

(दो) कि राज्य सभा ३ सितम्बर, १९६२ की अपनी बैठक में नागालैंड राज्य बिल, १९६२ से, जो लोक-सभा द्वारा २९ अगस्त, १९६२ को पारित किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

अनुपस्थिति की अनुमति २७६४

निम्नलिखित सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दे दी गयी है :

श्री फतेह सिंह राव गायकवाड़ श्री रणञ्जय सिंह, श्री जोकीम आल्वा,
श्री पनमपिल्ली गोबिन्द मेनन, श्री गयासुद्दीन अहमद, श्री अ० क० गोपालन

विषय **पृष्ठ**

डा० पं० शे० देशमुख, श्री कमलनयन बजाज, सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया
महाराज कुमार विजय आनंद, श्री नाथ पाई, श्रीमती शकुंतला देवी ।

विधेयक पुरस्थापित २७६४–६५

धर्म परिवर्तन करने वालों का विवाह विच्छेद विधेयक, १९६२ ।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन-स्वीकृत २७६५

छठा प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया ।

विधेयक पारित २७६५–९५

(१) गन्ना नियंत्रण (अतिरिक्त शक्तियां) विधेयक, तथा उस के संशोधनों पर जो ३–९–६२ को प्रस्तुत किये गये थे, पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई । विधेयक पर राय जानने के लिये उसे परिचालित करने संबंधी संशोधन पर सभा में मत विभाजन हुआ । पक्ष में ४५, विपक्ष में २४८, तथा संशोधन अस्वीकृत हुआ । विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपे जाने के बारे में एक अन्य संशोधन भी अस्वीकृत हुआ । विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । श्री हरि विष्णु कामत द्वारा खंड २ पर प्रस्तुत किये गये एक संशोधन पर सभा में मत विभाजन हुआ, पक्ष में ३४, विपक्ष में १८२, तदनुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ । खण्डवार विचार के बाद विधेयक पारित किया गया ।

(२) गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) ने प्रस्ताव किया कि संविधान (चौदहवां) संशोधन विधेयक, १९६२ पर विचार किया जाये । सभा में मत विभाजन हुआ । पक्ष में २९७, विपक्ष में कोई नहीं । प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ । खंड २ से ७ तथा विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव को स्वीकृत करने के प्रस्तावों पर यही सूत्र प्रयुक्त किया गया । मत विभाजन के परिणाम इस प्रकार थे :—

खंड २	पक्ष में २९५; विपक्ष में कोई नहीं
खंड ३	पक्ष में २९७, विपक्ष में २
खंड ४ (संशोधित रूप में)	पक्ष में २९५; विपक्ष में कोई नहीं
खंड ५ से ७	पक्ष में २९८, विपक्ष में कोई नहीं

खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम स्वीकृत हुए ।

संशोधित रूप में विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव; पक्ष में २९३; विपक्ष में कोई नहीं ।

विधेयक संशोधित रूप में पारित हुआ ।

विषय पृष्ठ

आधे घंटे की चर्चा २७९५—२८०१

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा ने खाद्य उत्पादन के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ५८ के ७ अगस्त, १९६२ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठायी ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) ने चर्चा का उत्तर दिया ।

बुधवार, ५ सितम्बर, १९६२/१४ भाद्र, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) विधेयक और उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक पर विचार तथा उन का पारित किया जाना तथा आसाम, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा ।

GMGIPND—LS III—1809 (Ai) LSD—2-1-63—140